



## CHAPTER I

### Short Title and Definitions

**1. Short Title.**— These rules may be called the “Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly”.

**2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

"Assembly" means the Legislative Assembly of Rajasthan;

"Bulletin" means the Bulletin of the House issued under the authority of the Speaker in two parts, Part I containing a brief record of the proceedings of the House at each of its sittings, and Part II containing information on any matter relating to or connected with the business of the House or its Committees or other matter which the Speaker may direct to be included therein;

"Clear days" includes Sundays and holidays but does not include the day of the meeting and the day of the receipt of notice or the day of the issue of summons by the Principal Secretary, as the case may be;

"Committee" means any Committee which is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker and which works under the direction of the Speaker and presents its report to the House or to the Speaker;

"Constitution" means the Constitution of India;

"Day" or "Days" means "working day" or "working days" respectively, unless the House or the Speaker, as the case may be, otherwise directs;

"Finance Minister" includes any Minister;

"Gazette" means the Rajasthan Gazette;

"Government business" includes all business other than private members' business;

"Governor" means the Governor of Rajasthan;

## अध्याय 1

### संक्षिप्त नाम तथा परिभाषाएं

**1. संक्षिप्त नाम.-** ये नियम “राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम” कहलायेंगे।

**2. परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

“सभा” का तात्पर्य राजस्थान विधान सभा से है;

“विधान सभा समाचार” का तात्पर्य सभा के समाचार से है जो विधान सभा अध्यक्ष के प्राधिकार से दो भागों में जारी किया जाएगा, भाग-I जिसमें सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख होगा तथा भाग-II जिसमें सभा या इसकी समितियों के कार्य के बारे में या उससे सम्बन्धित किसी विषय पर या अन्य विषय पर जिनके सम्मिलित किये जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया जाय सूचना सम्मिलित होगी;

“पूरे दिन” में रविवार तथा छुट्टियां सम्मिलित हैं किन्तु उसमें बैठक का दिन और प्रमुखसचिव द्वारा सूचना प्राप्ति का दिन या आमंत्रण जारी करने का दिन, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित नहीं होगा;

“समिति” का तात्पर्य ऐसी किसी समिति से है जिसे सदन नियुक्त या अध्यक्ष मनोनीत करे और जो अध्यक्ष के निर्देशों के अन्तर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे;

“संविधान” का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

“दिन” अथवा “दिनों” से क्रमशः “कार्य दिवस” अथवा “कार्य दिवसों” अभिप्रेत है, जब तक सभा अथवा अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अन्यथा रूप से निदेश न दें;

“वित्त मंत्री” के अन्तर्गत कोई भी मंत्री है;

“राज-पत्र” का तात्पर्य “राजस्थान के राज-पत्र” से है;

“सरकारी कार्य” में गैर-सरकारी सदस्य कार्य के अतिरिक्त सब कार्य सम्मिलित हैं;

“राज्यपाल” का तात्पर्य “राजस्थान के राज्यपाल” से है;

## RAJASTHAN VIDHAN SABHA-RULES OF PROCEDURE

---

"House" means the Rajasthan Legislative Assembly;

"Leader of the House" means the Chief Minister, if he is a member of the House or a Minister who is a member of the House and is nominated by the Chief Minister to function as the Leader of the House;

"Leader of the Opposition" means Leader of a Legislature Party having the largest number of members other than the party which has formed the Government and having more than the quorum strength prescribed and recognised by the Speaker as such :

Provided that if more than one party has got equal number of members competing for recognition, the number of votes polled by the members of each group in the General Election shall be calculated and the Group which has polled more number of votes shall be recognised as the official opposition and its leader as the Leader of the Opposition:

Provided further that if the total number of votes polled by both the groups is equal, then the Office of the Leader of the Opposition shall be held alternatively and the order in which they will hold Office shall be decided by drawing lots.

"Lobby" means the covered corridor immediately adjoining the Chamber and coterminous with it;

"Member" means a member of the Rajasthan Legislative Assembly;

"Member-in-Charge" in the case of a resolution or motion means the member who has moved or made such resolution or motion;

"Member-in-Charge of the Bill" means in the case of a Government Bill any minister and in any other case the member who has introduced the Bill;

"Minister" means a member of the Council of Minister, a Minister of State, a Deputy Minister;

"Motion" means a proposal made by a member for the consideration of the Assembly and includes a resolution and an amendment to motion;

“सदन” का तात्पर्य राजस्थान विधान सभा से है;

“सदन के नेता” से तात्पर्य मुख्य मंत्री से, यदि वह सदन का सदस्य हो अथवा उस मंत्री से है, जो कि सदन का सदस्य हो और सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत किया गया हो;

“विपक्ष के नेता” से तात्पर्य ऐसे बड़े विधायक दल के नेता से है जिसके सदस्यों की संख्या सरकार निर्मात्री दल को छोड़कर सबसे अधिक हो तथा निर्धारित मान्यता प्राप्त गणपूर्ति संख्या से अधिक हो और अध्यक्ष द्वारा यथा मान्यता प्राप्त हो :

परन्तु यदि एक से अधिक दलों के सदस्यों की संख्या समान हो और वे मान्यता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में हों, तो प्रत्येक गुप के सदस्यों द्वारा आम चुनाव में प्राप्त किये गये मत संगणित किये जायेंगे और जिस गुप के मतों की संख्या अधिक होगी वह अधिकृत रूप से विरोधी दल की मान्यता प्राप्त करेगा और उसका नेता विपक्ष का नेता होगा :

परन्तु यह और कि यदि दोनों गुप को प्राप्त कुल मत समान हैं, तो विपक्ष के नेता का पद दोनों दल वैकल्पिक रूप से धारित करेंगे और पद धारण करने का क्रम शलाका द्वारा निश्चित किया जायेगा।

“सभा-कक्ष” का तात्पर्य उस बरामदे से है जो सभा भवन के बिलकुल सन्निकट है और जो सभा भवन के साथ ही समाप्त होता है;

“सदस्य” का तात्पर्य राजस्थान विधान सभा के सदस्य से है;

“प्रभारी सदस्य” का तात्पर्य किसी संकल्प की या प्रस्ताव की अवस्था में उस सदस्य से है जिसने ऐसा संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तावित या प्रस्तुत किया है;

“विधेयक का प्रभारी सदस्य” का तात्पर्य सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से तथा अन्य किसी अवस्था में ऐसे सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो;

“मंत्री” का तात्पर्य मंत्री परिषद् के किसी सदस्य, राज्य मंत्री, उप-मंत्री से है;

“प्रस्ताव” का तात्पर्य सभा के विचार के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से है और जिसमें संकल्प तथा किसी प्रस्ताव का संशोधन सम्मिलित है;

#### RAJASTHAN VIDHAN SABHA-RULES OF PROCEDURE

---

"Precincts of the House" means and includes the main Vidhan Sabha Bhawan, the open space there-in and iron railing around the compound walls of Assembly and such other places as the Speaker may, from time to time, specify.

"Private member" means a member other than a Minister;

"Principal Secretary" means the Principal Secretary to the Assembly and includes any person for the time being performing the duties of the Principal Secretary;

"Marshal/Sergeant - at - Arms" means any person appointed as such or any officer to whom duties of marshal / sergeant - at - Arms under these rules and other cognate duties may be assigned under the directions of the Speaker.

"Session" means the period from the time the Assembly meets at the summons of the Governor to the time when it is prorogued by the Governor;

"Speaker" means the person holding Office of the Speaker under Article 178 of the Constitution;

"State" means the State of Rajasthan ;

"Substantive motion" means a self-contained proposal submitted for the approval of the Assembly and drafted in such a way as to be capable of expressing a decision of the Assembly;

"Table" means the Table of the House.

(2) Words and expressions used in the Constitution and also in these rules shall, unless the context otherwise require, have the meanings assigned to them in the Constitution.

“सदन की प्रसीमाएं” से तात्पर्यित एवं उसमें सम्मिलित होंगे, मुख्य विधान सभा भवन, विधान सभा स्थित खुला परिसर व विधान सभा चारदीवारी पर लगी लोहे की रेलिंग तथा ऐसे अन्य स्थान जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें;

“गैर सरकारी” सदस्य का तात्पर्य मंत्री के अतिरिक्त किसी सदस्य से है;

“प्रमुख सचिव” का तात्पर्य सभा के प्रमुख सचिव से और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस समय प्रमुख सचिव का कार्य कर रहा हो;

“मार्शल/सशस्त्र परिचारक” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इस पद पर नियुक्त किया गया हो अथवा ऐसे किसी अधिकारी से है जिसको अध्यक्ष के निर्देशों के अन्तर्गत इन नियमों के अधीन मार्शल/सशस्त्र परिचारक के कर्तव्य तथा अन्य सम्बन्धित काम सौंपे गये हों;

“सत्र” का तात्पर्य राज्यपाल के आमंत्रण पर सभा के एकत्रित होने के समय राज्यपाल द्वारा अवसान (प्रोरोग) किये जाने के समय तक की अवधि से है;

“अध्यक्ष” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत अध्यक्ष पद धारक हो;

“राज्य” का तात्पर्य राजस्थान राज्य से है;

“मूल प्रस्ताव” का तात्पर्य किसी स्वतः पूर्ण प्रस्थापना से है जो सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत हो और इस प्रकार से प्रारूपित हो कि सभा के विनिश्चय को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सके;

“मेज” का तात्पर्य सदन की मेज से है।

(2) संविधान और इस नियमावली में भी प्रयुक्त शब्दों तथा पदावलियों के अर्थ जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होंगे जो उन्हें संविधान में दिये गये हैं।

## CHAPTER II

### **Summons to Members, Seating, Oath or Affirmation, Roll of Members and Number of Sessions and Sittings**

**3. Summoning of Assembly.**—(1) When a session of the Assembly is summoned, the Principal Secretary shall intimate to each member the date, time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly and shall cause a notification to be issued in the Gazette.

(2) The summons under sub-rule (1) shall ordinarily be issued twenty one clear days before the date so fixed :

Provided that if a session is called at short notice, the Principal Secretary shall intimate the date, time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct.

**3A. Number of Sessions and sittings.**—Subject to the provisions contained in Article 174 of the Constitution, there shall be at least three sessions, namely Winter session, Budget session and Rainy session of the Assembly in a calendar year and the total number of sittings in all the sessions put together in a calendar year shall not be less than sixty :

Provided that where there is no Government business to be transacted by the Assembly, the Assembly shall transact business mentioned in Rule 126 and such other business as may be given notice of by private members and admitted under rules.

**4. Seating of Members.**—The members shall sit in such order as the Speaker may determine.

**4A. Penalty for violation of the provisions of Article 193 of the Constitution.**—(1) No person other than a member shall sit on a seat reserved for a member in the House.

(2) A person found to be violating the provisions of Article 193 of the Constitution, when so determined by the Speaker, shall be liable to the penalty provided therefor in the said Article of the Constitution. The decision of the Speaker in this behalf shall be final.

## अध्याय 2

### सदस्यों को आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों की नामावली तथा सत्र और बैठकों की संख्या

**3. सभा का आव्हान.-** (1) जब सभा को किसी सत्र में आमंत्रित किया जाय तो प्रमुखसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय तथा स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किये गये हों तथा वह राज-पत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवायेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आमंत्रण साधारणतया इस प्रकार नियत की गई तारीख से पूरे इक्कीस दिन पूर्व जारी किये जावेंगे :

परन्तु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाय तो प्रमुख सचिव सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो अध्यक्ष निदेशित करे।

**3का. सत्र और बैठकों की संख्या.-** संविधान के अनुच्छेद 174 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन एक कलेण्डर वर्ष में विधान सभा के कम से कम तीन सत्र, अर्थात् शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और वर्षाकालीन सत्र होंगे, और एक कलेण्डर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या कुल मिलाकर साठ से कम नहीं होगी :

परन्तु जब कोई सरकारी कार्य विधान सभा द्वारा किये जाने को न हो तो विधान सभा, नियम 126 में उल्लिखित कार्य और ऐसा अन्य कार्य करेगी जिसकी गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सूचना दी जाये और जिसे नियमों के अधीन स्वीकार कर लिया जाये।

**4. सदस्यों के बैठने का क्रम.-** सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जो कि अध्यक्ष निर्धारित करें।

**4का. संविधान के अनुच्छेद 193 के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति.-** (1) सदन में केवल सदस्य के लिये आरक्षित स्थान पर सदस्य के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं बैठेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 193 के प्रावधानों का अतिक्रमण करता हुआ पाया जायेगा तो वह, जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चित करेंगे, संविधान के उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित शास्ति का भागी होगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

**5. Oath or Affirmation.**—As soon as feasible after a member is declared duly elected, the Principal Secretary shall arrange the making and subscribing of oath or affirmation by him, in pursuance of Article 188 of the Constitution, before the Governor or the person appointed by him at such place and on such date and time as the Governor, or the person appointed by him, as the case may be, may determine :

Provided that members returned after each General Election shall ordinarily make and subscribe the oath either before the Governor or at the commencement of the sitting of the House assembled for the first time after such election before the person appointed by the Governor under Article 188 of the Constitution.

**6. Roll of Member.** —There shall be a Roll of Members of the House which shall be signed by every member in the presence of the Principal Secretary before taking his seat.

**5. शपथ या प्रतिज्ञान.-** सदस्य यथाविधि निर्वाचित घोषित किये जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, प्रमुख सचिव संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ऐसे स्थान पर तथा ऐसी तारीख और समय पर जो कि राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, अवधारित करे, उसके शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था करेगा :

परन्तु प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् निर्वाचित सदस्य सामान्यतः या तो राज्यपाल के समक्ष या ऐसे चुनाव के पश्चात् पहले पहल समवेत सदन की बैठक के प्रारम्भ के समय संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

**6. सदस्यों की नामावली.-** सदन के सदस्यों की एक नामावली होगी जिस पर प्रत्येक सदस्य, अपने स्थान पर बैठने से पहले, प्रमुख सचिव के सामने हस्ताक्षर करेगा।

## CHAPTER III

### **Election of Speaker and Deputy Speaker and Panel of Chairmen**

**7. Election of Speaker by House.**— (1) The election of a Speaker shall be held on such date as the Governor may fix, and the Principal Secretary shall send to every member notice of this date.

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Principal Secretary, of a motion that another member be chosen as the Speaker of the Assembly and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Speaker, if elected :

Provided that a member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A member in whose name a motion stands on the list of business may, when called, move the motion or withdraw the motion, and shall confine himself to a mere statement to that effect.

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the Assembly.

**8. Election of Deputy Speaker by House.**— (1) The election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix and the Principal Secretary shall send to every member notice of this date.

### अध्याय 3

#### अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा

##### सभापति-तालिका

**7. सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन.-** (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करे और प्रमुखसचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाय, प्रमुखसचिव को सम्बोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ ऐसे सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाय, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है :

परन्तु कोई सदस्य अपना नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो वह पुकारे जाने पर, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा, या प्रस्ताव वापस ले सकेगा, और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत् अनुमोदित हो गये हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और, यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है।

**8. सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन.-** (1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष निश्चित करे और प्रमुखसचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Principal Secretary, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the Assembly, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected :

Provided that a member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A member in whose name a motion stands on the list of business may, when called, move the motion or withdraw the motion, and shall confine himself to a mere statement to that effect.

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Deputy Speaker of the Assembly.

**9. Panel of Chairmen.**—(1) At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate from amongst the members a panel of not more than four Chairmen, any one of whom may preside over the House in the absence of the Speaker or the Deputy Speaker at the request of the Speaker or the Deputy Speaker or the person then presiding.

(2) A Chairman nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new panel of Chairmen is nominated.

**10. Powers of Deputy Speaker or other member presiding over sittings of House.**—The Deputy Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall, when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding.

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की, कि किसी अन्य सदस्य को सदन का उपाध्यक्ष चुना जाये प्रमुख सचिव को सम्बोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है :

परन्तु कोई सदस्य अपना नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों वे एक-एक करके उसी क्रम से रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और, यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा, विनिश्चित किये जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

**9. सभापति-तालिका.-** (1) सदन के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिनमें से कोई एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा तत्समय पीठासीन व्यक्ति के कहने पर, सदन में पीठासीन हो सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत मनोनीत सभापति नई सभापति तालिका मनोनीत की जाने तक पद धारण करेगा।

**10. उपाध्यक्ष या सभा की बैठक में पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां.-** उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम किसी अन्य सदस्य को, जब वह पीठासीन हो, वही शक्ति होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती है और इन परिस्थितियों में, इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब निर्देश इस तरह पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

## CHAPTER IV

### Sittings of the House

**11. When is sitting of House duly constituted.**— A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules.

**12. Sittings of House.**— (1) The House shall sit on such days as the Speaker, having regard to the state of business of the House, may, from time to time, direct.

(2) Sitting of the House, shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 a.m. and conclude at 5.00 p.m.

**13. Adjournment of House.**—The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned *sine die* or to a particular day or to an hour or part of the same day:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned *sine die*.

## अध्याय 4

### सदन की बैठकें

**11. सदन की बैठक कब विधिवत् गठित होंगी.-** सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो।

**12. सदन की बैठकें.-** (1) सदन की बैठकें उन दिनों होंगी जिनका निदेश अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समयसमय पर दे।

(2) अध्यक्ष के निदेशों के अधीन रहते हुए, सदन की बैठकें साधारणतया मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे प्रारम्भ होंगी और मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे समाप्त होंगी।

**13. सदन का स्थगन.-** अध्यक्ष वह समय निर्धारित करेगा जबकि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये या किसी और दिन तक के लिये या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिये स्थगित की जायेगी :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, उस तिथि विशेष या समय के पूर्व, जब तक के लिये कि सदन की बैठक स्थगित की गई हो, या सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होने के बाद किसी भी समय, सदन की बैठक बुला सकेगा।

## CHAPTER V

### Governor's Address and Message to the House

**14. Motion of Thanks for the Governor's Address under Article 176 (1).**— (1) As soon as may be after the authenticated copy of the Governor's Address to the House under Article 176 (1) has been laid on the Table of the House, any member selected by the Chief Minister may move a motion expressing thanks to the Governor for his Address in the following terms :-

"That an Address be presented to the Governor in the following terms :-

"That we, the members of the Rajasthan Legislative Assembly, assembled in this session are grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to this House" ; "

The Motion shall be seconded by another member selected by the Chief Minister.

(2) The notice of such motion shall be signed by the mover and the seconder and shall be sent to the Principal Secretary through the Minister for Parliamentary Affairs.

**15. Amendments.**—Amendments may be moved to the motion of thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker.

**16. Allotment of time for discussion of the Address.**—The House shall, on the recommendation of the Business Advisory Committee, allot time for the discussion of the matters referred to in the Governor's Address :

Provided that in emergent cases the Speaker may allot such time in consultation with the Leader of the House.

**17. Other business that may be taken up.**—(1) Notwithstanding that a day has been allotted for discussion on the Governor's Address—

- (a) a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day, and

## अध्याय 5

### राज्यपाल का अभिभाषण और सदन को संदेश

**14. अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव.-** (1) अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा सदन में किए गए अभिभाषण की प्रमाणित प्रति सदन में रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र मुख्य मंत्री द्वारा चयनित कोई सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए निम्नलिखित रूप में धन्यवाद व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा :-

“राज्यपाल को निम्नलिखित रूप में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :-

“इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ”;

प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य मंत्री द्वारा चयनित दूसरे सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(2) ऐसे प्रस्ताव की सूचना पर प्रस्तावक व अनुमोदनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा यह मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के जरिए प्रमुख सचिव को भेजी जायेगी।

**15. संशोधन.-** धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

**16. अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय का नियतन.-** सदन, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर समय नियत करेगा :

परन्तु अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से उक्त समय आबंटित कर सकेगा।

**17. अन्य कार्य जो लिया जा सकेगा.-** (1) इस बात के होते हुए भी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये कोई दिन नियत किया जा चुका है :-

(क) ऐसे दिन विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव किये जा सकेंगे और विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा, और

(b) other business of a formal character may be transacted on such day before the House commences or continues the discussion on the Address.

(2) The discussion on the Address may be postponed in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day or time to be appointed by the Speaker. The Speaker shall forthwith put the question, no amendment or debate being allowed.

(3) The discussion on the Address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 55.

**18. Government's right of reply.**— The Chief Minister or any other Minister, whether he has previously taken part in the discussion or not, shall on behalf of the Government have a general right of explaining the position of the Government at the end of the discussion.

**19.** Deleted.

**20. Governor's Address under Article 175 (1).**— The House may, on the advice of the Business Advisory Committee, allot time for the discussion of the matters, referred to in the Governor's Address under Article 175 (1) of the Constitution.

**21. Messages from Governor.**— Where a message from the Governor for the House under Article 175 (2) of the Constitution is received by the Speaker, he shall read the message to the House and give necessary directions in regard to the procedure that shall be followed for the consideration of matters referred to in the message. In giving these directions, the Speaker shall be empowered to suspend or vary the rules to such extent as may be necessary.

(ख) ऐसे दिन अभिभाषण पर सदन द्वारा चर्चा आरम्भ किये जाने या जारी रखे जाने से पूर्व औपचारिक रूप का अन्य कार्य किया जा सकेगा।

(2) यह प्रस्ताव किये जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले बाद के किसी दिन अथवा समय तक के लिए स्थगित की जाये, उस अभिभाषण पर चर्चा किसी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में विलम्बित की जा सकेगी। अध्यक्ष तुरन्त वह प्रश्न रखेगा और किसी संशोधन या वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी।

(3) किसी बैठक के दौरान नियम 55 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव द्वारा अभिभाषण पर चर्चा रोक दी जायेगी।

**18. सरकार का उत्तर देने का अधिकार.-** सरकार की ओर से मुख्य मंत्री या अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अन्त में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा।

**19. विलोपित किया गया।**

**20. संविधान के अनुच्छेद 175(1) के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण.-** संविधान के अनुच्छेद 175(1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सदन कार्य सलाहकार समिति के परामर्श पर समय नियत कर सकेगा।

**21. राज्यपाल से संदेश.-** जब अध्यक्ष को सदन के लिए संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत राज्यपाल से संदेश मिले तो वह सदन को संदेश पढ़ कर सुनायेगा और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए अनुकरणीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निदेश देगा। ऐसे निदेश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलम्बित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी जिस सीमा तक कि आवश्यक हो।

## CHAPTER VI

### Arrangement of Business and List of Business

#### (a) Arrangement of Business

**22. Arrangement of Government Business.**— On days allotted for the transaction of Government business such business shall have precedence and the Principal Secretary shall arrange that business in such order as may be determined by the House on the recommendation of the Business Advisory Committee.

**23. Allotment of time for private member's business.**— The House may, on the advice of the Business Advisory Committee, allot as many days as may be possible for private member's business and may allot different days for the disposal of different classes of such business and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence :

Provided that two days in a month shall be allotted for the transaction of private member's business subject to such variations as the Speaker may consider necessary or convenient.

**24. Precedence of private members Bills.**— (1) On a day allotted for the disposal of private members Bills, such Bill shall have relative precedence in the following order, namely :-

- (a) Bills in respect of which the motion is that leave be granted to introduce the Bill;
- (b) Bills returned by the Governor with a message under Article 200 of the Constitution;
- (c) Bills in respect of which the next stage is that the Bill be passed;
- (d) Bills in respect of which a motion has been carried that the Bill be taken into consideration;
- (e) Bills in respect of which the report of a Select Committee has been presented;

## अध्याय 6

### कार्य-विन्यास और कार्य-सूची

#### (क) कार्य-विन्यास

**22. सरकारी कार्य का विन्यास:-** सरकारी कार्य के सम्पादन के लिए नियत किये गये दिनों में ऐसे कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और प्रमुख सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर सदन द्वारा अवधारित किया जाये।

**23. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का नियतन:-** सदन, कार्य सलाहकार समिति की सलाह पर, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए जितने सम्भव हो सके उतने दिन आबंटित करेगा तथा ऐसे कार्य के विभिन्न वर्गों के निपटारे के लिए अलग-अलग दिन आबंटित कर सकेगा और इस प्रकार कार्य के किसी वर्ग विशेष के लिए आबंटित दिनों में उस वर्ग के कार्य की पूर्ववर्तिता होगी :

परन्तु ऐसे फेरफार के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि अध्यक्ष द्वारा आवश्यक व सुविधाजनक समझा जाये, एक मास में दो दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए आबंटित किये जावेंगे।

**24. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता:-** (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निपटाने के लिये नियत किये गये दिन ऐसे विधेयकों की निम्नलिखित क्रम में सापेक्ष पूर्ववर्तिता होगी, अर्थात् :-

- (क) वे विधेयक जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये;
- (ख) वे विधेयक जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत संदेश के साथ लौटाये गये हैं;
- (ग) वे विधेयक जिनके संबंध में अगला प्रक्रम (नैक्स्ट स्टेज) यह है कि विधेयक को पारित किया जाये;
- (घ) वे विधेयक जिनके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो कि विधेयक पर विचार किया जाये;
- (ङ) वे विधेयक जिनके सम्बन्ध में किसी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया जा चुका हो;

- (f) Bills which have been circulated for the purpose of eliciting opinion thereon;
- (g) Bills introduced and in respect of which no further motion has been made or carried; and
- (h) Other Bills.

(2) The relative precedence of Bills falling under the same clause of sub-rule (1) shall be determined by ballot to be held in accordance with the orders made by the Speaker and on such day and in such manner as the Speaker may direct :

Provided that the motion in respect of Bills falling under clause (a) of sub-rule (1) shall be entered in the list of business in the order in which notices of such motions have been received in point of time.

(3) The Speaker may, by special order to be announced in the House make such variations in the relative precedence of Bills set out in sub-rule (1) as he may consider necessary or convenient.

**25. Deleted.**

**26. Business outstanding at the end of day.**— Private member's business set down for the day allotted for that class of business and not reached for discussion on that day shall not be set down for any subsequent day, unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day :

Provided that notwithstanding anything contained in rule 24 and sub-rule (1) of rule 110A, any such business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day.

**27. Resumption of adjourned debate on private members' Bill or resolution.**— (1) When on a motion being carried the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned to the next day allotted for private member's business in the same or next session it will not be included in the ballot but shall be given priority over the items resulting from the ballot.

- (च) वे विधेयक जो उन पर राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों;
- (छ) वे विधेयक जो पुरःस्थापित किये गये हों और जिनके सम्बन्ध में कोई अग्रोत्तर प्रस्ताव न किया गया हो या स्वीकृत न हुआ हो; और
- (ज) अन्य विधेयक।

(2) उप-नियम (1) के एक ही खण्ड के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार होने वाली शलाका द्वारा तथा ऐसे दिन और ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, निर्धारित की जायेगी :

परन्तु उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों के सम्बन्ध का यह प्रस्ताव कार्य सूची में उस क्रम में दर्ज किया जायेगा जिस समय-क्रम में ऐसे प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

(3) अध्यक्ष विशेष आदेश द्वारा जो सभा में विधोषित किया जायेगा उप-नियम (1) में दिये हुए विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो वह आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

**25. विलोपित किया गया।**

**26. दिन के अन्त में अवशिष्ट कार्य.-** गैर सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो इस वर्ग के कार्य के लिये नियत किये गये दिन के लिये रखा गया हो और उस दिन चर्चा के लिये नहीं पहुँचा हो, किसी बाद के दिन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा, जब तक उसे उस दिन के सम्बन्ध में की गई शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो :

परन्तु नियम 24 तथा नियम 110 का के उप-नियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य जो उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अग्रिम दिन के लिये रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिए रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी।

**27. गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर स्थगित वाद-विवाद का पुनरारम्भ.-** (1) जब किसी प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद उसी या अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किये गये अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जाये तो उसे शलाका में सम्मिलित नहीं किया जायेगा किन्तु शलाका से उत्पन्न होने वाले मदों के ऊपर पूर्ववर्तिता दी जायेगी।

(2) When the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned sine die, the Member-in-Charge of the Bill or the mover of resolution, as the case may be, may, if he wishes to proceed with such Bill or resolution on a subsequent day allotted for private member's business, give notice for resumption of the adjourned debate and on receipt of such notice the relative precedence of such Bill or resolution shall be determined by ballot.

**(b) List of Business**

**28. List of Business.**— (1) A list of business for the day shall be prepared by the Principal Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

(2) Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker.

(3) Save as otherwise provided in these rules, no business requiring notice shall be set down for a day earlier than the day after that on which the period of the notice necessary for that class of business expires.

(4) The Speaker may, after being satisfied that circumstances exist wherein it is expedient or unavoidable to do so, may not include in the list of business for the allotted day any item of business covered by the report of the Business Advisory Committee as adopted by the House or may direct that a particular item of business already appearing on the list of business shall not be taken up for discussion, or that the order given in the list of business be varied.

(2) जब गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया जाये, तो यथास्थिति, विधेयक का प्रभारी सदस्य या संकल्प का प्रस्तावक, यदि वह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत बाद के किसी दिन ऐसे विधेयक या संकल्प पर चर्चा जारी रखना चाहता हो, स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरम्भ करने के लिये सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना मिलने पर ऐसे विधेयक या संकल्प की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जावेगी।

### (ख) कार्य-सूची

**28. कार्य-सूची.-** (1) प्रमुख सचिव प्रत्येक दिन के लिए एक कार्य-सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो।

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, कोई कार्य जिसके लिये सूचना अपेक्षित हो उस कार्य के वर्ग के लिये अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिये नहीं रखा जायेगा।

(4) सदन द्वारा अभिस्वीकृत कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार किसी निर्धारित दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित करने के लिये कार्य के जो मद स्वीकृत हों उनमें से किसी भी मद के विषय में अध्यक्ष आदेश दे सकेगा कि उसे उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जावे या कार्य-सूची में सम्मिलित किसी मद विशेष को विचारार्थ नहीं लिया जाये या कार्य-सूची में दिये गए क्रम में परिवर्तन कर दिया जाये यदि अध्यक्ष को समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें ऐसा करना समीचीन या अपरिहार्य हो।

## CHAPTER VII

### Questions

#### (a) General

**29. Categorisation of Questions.**— Questions shall be of three categories, namely:—

- (1) Starred Questions,
- (2) Unstarred Questions, and
- (3) Short Notice Questions

Notice of each category of question shall be given on the form prescribed for such category.

**Explanation.**— (1) Starred Questions are those questions to which a member desires an oral answer to be given and in respect of which supplementary questions may be asked.

(2) Unstarred Questions are those questions to which written replies shall be given to the member concerned.

(3) Short Notice Questions are those to which a member desires an oral answer within a period shorter than fourteen clear days.

**30. Form of notice of Questions.**— Notice of a Question shall be given in writing to the Principal Secretary and shall specify the official designation of the Minister to whom it is addressed.

#### (b) Starred and Unstarred Questions

**31. Time for Starred Questions.**— (1) Unless the Speaker otherwise directs, the first hour of every sitting shall be available for the asking and answering of Starred questions, including Short notice questions.

(2) Ordinarily asking and answering of a question should not take more than 5 minutes and endeavour should be made that at least 12 questions are taken up each day.

## अध्याय 7

### प्रश्न

#### (क) सामान्य

**29. प्रश्नों का वर्गीकरण.-** प्रश्न तीन वर्गों के होंगे, अर्थात् :-

- (1) तारांकित प्रश्न
- (2) अतारांकित प्रश्न
- (3) अल्प सूचना प्रश्न

प्रत्येक प्रश्न की सूचना उक्त वर्ग के लिए विहित प्रपत्र में दी जायेगी।

**स्पष्टीकरण.-** (1) तारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है और जिसके सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(2) अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनके लिखित में सम्बन्धित सदस्य को उत्तर दिये जायेंगे।

(3) अल्प सूचना प्रश्न वे हैं जिनका कोई सदस्य पूरे चौदह दिनों से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है।

**30. प्रश्नों की सूचना का प्रपत्र.-** प्रश्नों की सूचना प्रमुखसचिव को लिखित में दी जायेगी और उसमें प्रश्न जिस मंत्री को सम्बोधित हो उसके पद के नाम का उल्लेख होगा।

#### (ख) तारांकित और अतारांकित प्रश्न

**31. तारांकित प्रश्न के लिए समय.-** (1) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(2) प्रश्न को पूछने और उसका उत्तर देने में साधारणतः 5 मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाये।

**32. Notice of Starred and Unstarred Questions.**— Unless the Speaker otherwise directs, not less than fourteen clear day's notice of a Starred and Unstarred question shall be given.

**33. Limit of Starred and Unstarred Questions.**— (1) Unless the Speaker otherwise permits, no member shall give notice of more than forty Starred questions and sixty Unstarred questions during a session in which the demands for grants in respect of the Annual Financial Statement of the State are discussed and more than ten Starred questions and twenty Unstarred questions during any other session.

(2) Not more than two Starred questions by the same member shall be placed on the list of questions for oral answer on any one day.

**33A. Notice of Unstarred Questions during the inter-sessional period.**— (1) For obtaining information with regard to a matter of public importance, a member may give notice of not more than one Unstarred question a week during the inter-sessional period.

(2) A reply to such a question shall invariably be sent by the Government direct to the member within a period of 30 days with a copy of the reply to the Legislative Assembly.

**34. Allotment of days for oral answers to questions.**— The time available for answering questions shall be allotted on different days in rotation for the answering of questions relating to such department or departments as the Speaker may, from time to time, provide, and on each such day, unless the Speaker with the consent of the Minister concerned otherwise directs, only questions relating to the department or departments for which time has been allotted on that day shall be placed on the list of questions for oral answer.

**35. Written answer to questions not replied orally.**— If any question placed on the list of questions for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, the Minister to whom the question is addressed shall forthwith lay on the Table a written reply to the question, and no oral reply shall be required to such question and no supplementary questions shall be asked in respect thereof. The written reply to such question shall be furnished to the member concerned.

**32. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए सूचना.-** जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए पूरे चौदह दिन से कम की सूचना नहीं दी जायेगी।

**33. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सीमा.-** (1) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा अनुज्ञा न दें, कोई भी सदस्य ऐसे सत्र के दौरान जिसमें राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के सम्बन्ध में अनुदान मांगों पर चर्चा की जाती है, चालीस से अधिक तारांकित प्रश्नों और साठ से अधिक अतारांकित प्रश्नों की और किसी अन्य सत्र में दस से अधिक तारांकित प्रश्नों और बीस से अधिक अतारांकित प्रश्नों की सूचना नहीं देगा।

(2) एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन दो से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में नहीं रखे जायेंगे।

**33का. अन्तःसत्रकाल में अतारांकित प्रश्नों के लिये सूचना.-** (1) प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये अन्तःसत्रकाल में एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिवस की अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति विधान सभा को भेजनी होगी।

**34. प्रश्नों के मौखिक उत्तरों के लिए दिन नियत करना.-** प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय, ऐसे विभाग या विभागों से सम्बद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भिन्न-भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर उपबन्धित करे, और प्रत्येक ऐसे दिन जब तक कि अध्यक्ष सम्बद्ध मंत्री की सम्मति से अन्यथा निदेश न दे केवल ऐसे विभाग या विभागों से सम्बद्ध प्रश्न ही, जिनके लिए उस दिन समय नियत किया गया हो, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे जायेंगे।

**35. जिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर न दिया गया हो उनका लिखित उत्तर.-** यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न सूची में रखे गये किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिए न पुकारा जाये तो जिस मंत्री को प्रश्न सम्बोधित हो वह उस प्रश्न का लिखित उत्तर तुरन्त मेज पर रख देगा, और ऐसे प्रश्न का मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी और न उसके सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर सम्बन्धित सदस्य को दिया जायेगा।

**36. Questions to private members.**— A question may be addressed to a private member provided the subject matter of the question relates to some Bill, resolution or other matter connected with the business of the House for which that member is responsible and the procedure in regard to such question shall, be as far as may be, the same as that followed in the case of questions addressed to a Minister with such variations as the Speaker may consider necessary or convenient.

**37. Conditions of admissibility of questions.**— (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a question may be asked for the purpose of obtaining information on a matter of public importance within the special cognizance of the Minister to whom it is addressed.

(2) The right to ask a question is governed by the following conditions, namely :—

- (i) it shall not relate to a matter with which a Minister is not officially connected;
- (ii) it shall not bring in any name or statement not strictly necessary to make the question intelligible;
- (iii) if it contains a statement, the member shall make himself responsible for the accuracy of the statement;
- (iv) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements;
- (v) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition;
- (vi) it shall not ask as to the character or conduct of any person except in his official or public capacity, or reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;
- (vii) it shall not ask for information on a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;

**36. गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न.-** प्रश्न किसी गैर-सरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का विषय किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन के कार्य के अन्य विषय से सम्बन्धित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो और ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यथा सम्भव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को सम्बोधित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जाती है ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जायेगा जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

**37. प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें.-** (1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो।

(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात् :-

1. उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन सम्बन्धित न हो;
2. उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो;
3. यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा;
4. उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;
5. उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा;
6. उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्तावों के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;
7. उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो;

- (viii) it shall not be of excessive length;
- (ix) it shall not ask for information set forth in accessible documents or in ordinary works of reference.
- (x) it shall not raise question of policy too large to be dealt with within the limits of an answer to a question;
- (xi) it shall not amount in substance to a suggestion or request for any particular action but it may ask for a statement of the intentions of Government in respect of a matter on which a question may be asked;
- (xii) it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the State Government;
- (xiii) it shall not raise matters under the control of bodies or persons not primarily responsible to the State Government;
- (xiv) it shall not make or imply a charge of a personal character;
- (xv) it shall not ask about proceedings in a Committee which have not been placed before the House by a report from the Committee;
- (xvi) it shall not repeat in substance questions already answered or to which an answer has been refused;
- (xvii) it shall not ask information on trivial matters;
- (xviii) it shall not ordinarily ask for information on matters of past history;
- (xix) it shall not ordinarily ask for information on matters which are under consideration before a Committee;
- (xx) it shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matters by the tribunal or commission or court of inquiry;

8. वह अत्यधिक लम्बा नहीं होगा;
9. उसमें ऐसी जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निर्देश ग्रन्थों में दी गई हो;
10. उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके;
11. उसमें किसी विशेष कार्यवाही हेतु वस्तुतः कोई सुझाव या प्रार्थना न की जावेगी किन्तु उसमें ऐसे किसी मामले के प्रति, जिस पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता हो, सरकार के विचार सम्बन्धी वक्तव्य की मांग की जा सकती है;
12. वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया सरकार का विषय न हो;
13. उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अन्तर्गत विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो;
14. उसमें व्यक्तिगत रूप को दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा;
15. उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सदन के सामने न रखी गई हो;
16. उसमें ऐसे प्रश्नों की सारतः पुनरुक्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो;
17. उसमें तुच्छ विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी;
18. उसमें साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी;
19. उसमें साधारणतया ऐसे विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो किसी समिति के समक्ष विचाराधीन हो;
20. उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हों किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, यदि उसमें न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो;

- (xxi) It shall relate to a single matter;
- (xxii) it shall not relate to an individual case unless it raises a question of principle or policy;
- (xxiii) it shall not relate to any matter within the jurisdiction of the Speaker;
- (xxiv) it shall not relate to day-to-day administration of local bodies or other autonomous or semi-autonomous bodies but may seek to elicit information on a subject arising out of their relation with the Government or to refer breaches of law or rules or relate to important matters involving general welfare; and
- (xxv) it shall not ask for information regarding Cabinet discussions or advice given to the Governor in relation to any matter in respect of which there is a constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information.

**38. Speaker to decide admissibility of questions.— (1)**

The Speaker shall decide whether a question, or a part thereof, is or is not admissible under these rules and may disallow any question, or part thereof, when in his opinion it is an abuse of the right of questioning or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

(2) If a question is disallowed, the Principal Secretary shall give intimation to the member that his question has been disallowed and shall also state the reason or reasons thereof.

**39. Speaker to decide if a question is to be treated starred or unstarred.**—If, in the opinion of the Speaker, any question put down for oral answer is of such a nature that a written reply would be more appropriate, the Speaker may direct that such question be placed on the list of questions for written answer :

21. उसका सम्बन्ध एक ही विषय से होगा;
22. जब तक उसमें किसी सिद्धान्त अथवा नीति का प्रश्न हो, उसमें व्यक्तिगत मामला नहीं उठाया जायेगा;
23. वह ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में हो;
24. उसका सम्बन्ध स्थानीय निकायों अथवा अन्य स्वायत्तशासी या अर्द्धस्वायत्तशासी निकायों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन से नहीं होगा; परन्तु उसके द्वारा उनके राज्य सरकार के सम्बन्ध से उत्पन्न विषय पर सूचना चाही जा सकेगी अथवा उसमें कानून या नियमों के उल्लंघन का निर्देश किया जा सकेगा अथवा उसका सम्बन्ध जनकल्याण के महत्वपूर्ण विषयों से हो सकेगा; और
25. उसमें मंत्रिमण्डल में हुए विचारविमर्श अथवा राज्यपाल को किसी ऐसे विषय में दी गई सलाह के बारे में जानकारी नहीं मांगी जायेगी जिसे प्रकट न करने के सम्बन्ध में कोई संवैधानिक, संविहित अथवा परम्परागत दायित्व हो।

**38. अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.-** (1) अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

(2) यदि कोई प्रश्न अस्वीकार किया जाये तो प्रमुखसचिव सदस्य को सूचित करेगा कि उसका प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है और अस्वीकार करने के कारण या कारणों को भी बतायेगा।

**39. अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रश्न तारांकित माना जाये या अतारांकित.-** यदि अध्यक्ष की राय में मौखिक उत्तर के लिए रखा गया कोई प्रश्न ऐसे स्वरूप का है कि उसका लिखित उत्तर अधिक उचित होगा तो अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि ऐसा प्रश्न लिखित उत्तर के लिये प्रश्न-सूची में रख दिया जाये :

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call upon the member who has given notice of a question for oral answer to state in brief his reasons for desiring an oral answer and, after considering the same, may direct that the question be included in the list of questions for written answer.

**40. List of questions.**— Questions which have not been disallowed shall be entered in the list of questions for the day for oral or written answer, as the case may be, in accordance with the orders of the Speaker.

**41. Order in which questions shall be called.**— Questions for oral answer shall be called, if the time made available for questions permits, in the order in which they stand on the list before any other business is entered upon at the sitting :

Provided that a question not reached for oral answer may be answered after the end of the Question Hour with the permission of the Speaker, if the Minister represents to the Speaker that the question is one of special public interest to which he desires to give a reply.

**42. Answers laid on the Table.**— Lengthy answers to Starred questions may, on statement by the Minister concerned, be laid on the Table without being read, but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being laid on the Table.

**43. Withdrawal or postponement of questions.**—A member may, by notice given at any time before the sitting for which his question has been placed on the list, withdraw his question or postpone it to a later day to be specified in the notice and on such later day the question shall, subject to the provisions of rule 34, be placed on the list after all questions which have not been so postponed :

Provided that a postponed question shall not be placed on the list until four clear days have expired from the day when the notice of postponement has been received by the Principal Secretary.

**44. Mode of asking question.**—(1) When the time for asking questions arrives, the Speaker shall call successively each member in whose name a question appears on the list of question.

परन्तु अध्यक्ष, यदि ठीक समझे तो, मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारणों को संक्षेप में बताने के लिये कह सकेगा और उन पर विचार करने के बाद निदेश दे सकेगा कि प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में सम्मिलित किया जाये।

**40. प्रश्न सूची.-** जो प्रश्न अस्वीकृत न हुए हों वे अध्यक्ष के आदेश के अनुसार उस दिन की, यथास्थिति, मौखिक या लिखित उत्तर के लिये प्रश्न-सूची में दर्ज कर दिये जायेंगे।

**41. प्रश्नों के पुकारे जाने का क्रम.-** मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न, प्रश्नों के लिये उपलब्ध किये गये समय के भीतर, बैठक में किसी अन्य कार्य को प्रारम्भ करने से पहले, उस क्रम से पुकारे जायेंगे जिसमें कि वे सूची में दिये हों :

परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिये समय नहीं बचा हो उसका उत्तर प्रश्न के घंटे के अन्त में यदि मंत्री अध्यक्ष से अभ्यावेदन करे कि वह प्रश्न विशेष लोक हित का है और उसका वह उत्तर देना चाहता है तो अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा।

**42. मेज पर रखे जाने वाले उत्तर.-** तारांकित प्रश्नों के लम्बे उत्तर, बिना पढ़े सम्बन्धित मंत्री के कथन पर, सदन की मेज पर रखे जायेंगे, परन्तु उस दशा में एक प्रति ऐसा प्रश्न पूछने वाले सदस्य को मेज पर उत्तर रखे जाने से पूर्व दी जा सकेगी।

**43. प्रश्नों की वापसी या स्थगन.-** कोई सदस्य उस बैठक से पहले, जिसके लिये उसका प्रश्न सूची में रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर अपने प्रश्नों को वापस ले सकेगा या उस सूचना में उल्लिखित किसी बाद के दिन के लिये स्थगित करा सकेगा और बाद के ऐसे दिन वह प्रश्न नियम 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची में उन सब प्रश्नों के बाद रखा जायेगा जो इस तरह स्थगित न किये गये हों :

परन्तु स्थगित किया गया कोई प्रश्न सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि प्रमुखसचिव को स्थगन की सूचना प्राप्त हुए पूरे चार दिन समाप्त न हो गये हों।

**44. प्रश्न पूछने की रीति.-** (1) प्रश्न पूछने का समय आने पर अध्यक्ष प्रत्येक ऐसे सदस्य को जिनके नाम में प्रश्न-सूची में कोई प्रश्न हो, क्रमवार पुकारेगा।

(2) The member so called shall rise in his place and unless he states that it is not his intention to ask the question standing in his name, ask the question by reference to its number on the list of questions.

(3) If on a question being called, it is not asked or the member in whose name it stands is absent, the Speaker may, at the request of any member, direct that answer to it be given.

**45. Questions of absent members.**— When all the questions for which oral answers are desired have been called, the Speaker may, if time permits, call again any question which has not been asked by reason of the absence of the member in whose name it stands, and may also permit a member to ask a question standing in the name of another member, if so authorised by him.

**46. Supplementary questions.**— (1) No discussion shall be permitted during the time for questions under rule 31 in respect of any question or of any answer given to a question.

(2) Any member when called by the Speaker may ask a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given :

Provided that the Speaker shall disallow any supplementary question, if in his opinion, it infringes the rules regarding questions :

Provided further that priority to ask supplementary question shall be given to the member in whose name the question stands.

**47. Publicity of answers to questions in advance.**— Answers to questions which Ministers propose to give in the House shall not be released for publication until the answers have actually been given on the floor of the House or laid on the Table.

### **(c) Short Notice Questions**

**48. Short notice questions.**— (1) A question relating to a matter of public importance may be asked with notice shorter than fourteen clear days and if the Speaker is of opinion that the question is of an urgent character, he may direct that an enquiry may be made from the Minister concerned if he is in a position to reply and, if so, on what date.

(2) इस प्रकार पुकारा गया सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होगा और, जब तक वह न कहे कि अपने नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने का उसका विचार नहीं है, वह उस प्रश्न को प्रश्न-सूची में उसकी क्रमांक संख्या का उल्लेख करके पूछेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष, किसी सदस्य की प्रार्थना पर, निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाये।

**45. अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न.-** जब मौखिक उत्तर के सब प्रश्न पुकारे जा चुके हों, तो अध्यक्ष, यदि समय बचा हो, किसी प्रश्न को फिर से पुकार सकेगा, जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम पर वह प्रश्न हो और किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को भी पूछने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उस सदस्य ने उसे इस तरह का प्राधिकार दिया हो।

**46. अनुपूरक प्रश्न.-** (1) नियम 31 के अन्तर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा की अनुज्ञा नहीं होगी।

(2) कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, किसी ऐसे तथ्य विषय के अग्रेत्तर स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हों :

परन्तु यह और कि पूरक प्रश्न पूछने की पूर्ववर्तिता उस सदस्य को प्रदान की जायेगी जिसके नाम में प्रश्न पूछा गया है।

**47. प्रश्नों के उत्तरों का पूर्व प्रकाशन.-** प्रश्नों के उत्तर, जो मंत्री सदन में देना चाहते हों तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिए जायेंगे जब तक कि वास्तव में सदन में न दिए जा चुके हों या मेज पर न रखे जा चुके हों।

#### (ग) अल्प-सूचना प्रश्न

**48. अल्प-सूचना प्रश्न.-** (1) लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे चौदह दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की राय यह हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो वह निदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित मंत्री से पूछताछ की जाये कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हां, तो किस तिथि को।

(2) If the Minister concerned agrees to reply, such question shall be answered on a day to be indicated by him and shall be called immediately after the questions which have appeared on the list of questions for oral answer have been disposed of.

(3) If the Minister is unable to answer the question at short notice, he shall give reasons thereof in writing to the Speaker and if the Speaker is still of opinion that the question is of sufficient public importance to be orally answered in the House, he may fix the date when the question shall be asked and answer given thereto :

Provided that where two such questions have been fixed for a particular day, the relative priority of such questions shall be such as may be determined by the Speaker.

(4) Where two or more members give notice of short notice questions on the same subject and one of the questions is accepted for answer at short notice, the names of the other members shall be bracketed with the name of the member whose question has been accepted for answer :

Provided that the Speaker may direct that all the notices be consolidated into a single notice, if in his opinion it is desirable to have a single self contained question covering all the important points raised by members, and the Minister shall then give his reply to the consolidated question :

Provided further that in the case of a consolidated question the names of all the members concerned may be bracketed and shown against the questions in the order of priority of their notice.

(5) Where a member desires an oral answer to a question at a shorter notice, he shall briefly state the reasons for asking the question with short notice. Where no reasons have been assigned in the notice of the question the question shall be returned to the member.

(2) यदि सम्बन्धित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा दर्शाये गये दिन को दिया जायेगा और वह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न सूची में दिए गए प्रश्नों के निपटाये जाने के तुरन्त पश्चात् पुकारा जायेगा।

(3) यदि मंत्री अल्पावधि सूचना प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो वह अध्यक्ष को लिखित में उसके कारण बतायेगा तथा फिर भी यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न पर्याप्त लोक महत्व का है जिसका कि सदन में मौखिक रूप से उत्तर दिया जाना चाहिए तो वह ऐसी तारीख नियत कर सकेगा जिसको प्रश्न पूछा जायेगा और उसका उत्तर दिया जाएगा :

परन्तु जहां किसी दिन विशेष के लिए ऐसे दो प्रश्न नियत किये गये हैं तो ऐसे प्रश्नों की आपसी पूर्ववर्तिता ऐसी होगी जैसी कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाये।

(4) जब दो या अधिक सदस्य एक ही विषय पर अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना दें और उनमें से एक प्रश्न अल्प-सूचना पर उत्तर के लिये स्वीकार कर लिया जाये तो अन्य सदस्यों के नाम भी उस सदस्य के नाम के साथ रख दिये जायेंगे जिसका प्रश्न उत्तर के लिये स्वीकार कर लिया गया हो :

परन्तु अध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि सब सूचनाओं को एक ही सूचना में समेकित कर दिया जाये, यदि उसकी राय में एक ही स्वयं पूर्ण ऐसा प्रश्न तैयार करना वांछनीय हो जिसमें सदस्यों द्वारा उठाई गई सब महत्वपूर्ण बातें आ जायें और तब मंत्री उस समेकित प्रश्न का उत्तर देगा :

परन्तु यह भी कि समेकित प्रश्न की अवस्था में सभी सम्बन्धित सदस्यों के नाम साथ-साथ दिये जा सकेंगे और उनकी सूचना के पूर्ववर्तिता क्रम में प्रश्न के सामने दिखाये जा सकेंगे।

(5) यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर अल्प-सूचना पर चाहे तो वह संक्षेप में अल्प-सूचना पर प्रश्न पूछने के कारण बतायेगा। यदि प्रश्न की सूचना में कोई कारण न बताये गये हों तो प्रश्न सदस्य को लौटा दिया जायेगा।

(6) The member who has given notice of the question shall be in his seat to read the question when called by the Speaker and the Minister concerned shall give a reply immediately :

Provided that when a question is shown in the names of more than one member the Speaker shall call the name of the first member or, in his absence, any other name.

(7) In other respects, the procedure for short notice question shall be the same as for ordinary questions for oral answer, with such modifications as Speaker may consider necessary or convenient.

(6) जिस सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी हो वह उस समय प्रश्न पढ़ने के लिये अपने स्थान पर होगा जब अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाये और सम्बन्धित मंत्री तुरन्त उत्तर देगा :

परन्तु जब कोई प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम दिखाया गया हो तो अध्यक्ष प्रथम सदस्य का नाम या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य नाम पुकारेगा।

(7) अन्य प्रकरणों में अल्प-सूचना प्रश्नों के लिये प्रक्रिया वही होगी जो ऐसे रूप भेदों के साथ जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, मौखिक उत्तर के लिये, साधारण प्रश्नों के लिये है।

## CHAPTER VIII

### Half-an-hour Discussion

**49. Discussion on a matter of public importance arising out of answer to a question.**— (1) The Speaker shall allot half-an-hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of a recent question, oral or written, and the answer to which needs elucidation on a matter of fact.

(2) A member wishing to raise a matter shall give notice in writing to the Principal Secretary three days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall briefly specify the point or points that he wishes to raise:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question:

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members:

Provided further also that the Speaker may with the consent of the Minister concerned waive the requirement concerning the period of notice.

(3) The Speaker shall decide whether the matter is of sufficient public importance to be put down for discussion, and may not admit a notice which, in his opinion, seeks to revise the policy of Government.

(4) If more than two notices have been received and admitted by the Speaker, the Principal Secretary, shall hold a ballot with a view to draw two notices and the notices shall be put down in the order in which they were received in point of time :

Provided that if any matter put down for discussion on a particular day is not disposed of on that day, it shall not be set down for any other day, unless the member so desires, in which case it shall be included in the ballot for the next available day.

## अध्याय 8

### आधे घंटे की चर्चा

**49. प्रश्न के उत्तर से उठने वाले किसी लोक-महत्व के विषय पर चर्चा.-** (1) अध्यक्ष आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत करेगा जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी उक्त विषय के सम्बन्ध में विशदीकरण आवश्यक हो।

(2) जो सदस्य कोई विषय उठाना चाहे वह उस दिन से जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो, तीन दिन पहले प्रमुखसचिव को लिखित सूचना देगा और संक्षेप में उस बात या बातों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह उठाना चाहता हो :

परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिये होंगे :

परन्तु यह भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष सम्बन्धित मंत्री की सम्मति से सूचना की कालावधि सम्बन्धी आवश्यकता को हटा सकेगा।

(3) अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि विषय चर्चा के लिये रखे जाने के लिये पर्याप्त लोक-महत्व का है या नहीं और किसी ऐसी सूचना को अग्राह्य कर सकेगा जिसका उद्देश्य उसकी राय में सरकार की नीति में परिवर्तन करना हो।

(4) यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली गयी हों तो प्रमुखसचिव दो सूचनाएं निकालने के लिये शलाका द्वारा निर्णय करेगा और सूचनाएं उस क्रम में रखी जायेंगी जिस समय-क्रम में वे प्राप्त हुई हों :

परन्तु यदि किसी विशेष दिन चर्चा के लिये रखा गया कोई विषय उस दिन न निपटाया जायेगा तो वह किसी अन्य दिन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि सदस्य ऐसा न चाहे और उस अवस्था में उसे अगले प्राप्य दिन के लिये शलाका में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

#### RAJASTHAN VIDHAN SABHA-RULES OF PROCEDURE

---

(5) There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a brief statement and the Minister concerned shall reply briefly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact :

Provided that if the member who has given notice is absent, any member who has supported the notice may, with the permission of the Speaker, initiate the discussion.

(5) सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे किसी तथ्य विषय के अग्रेत्तर विशदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परन्तु यदि सूचना देने वाला सदस्य अनुपस्थित हो तो कोई ऐसा सदस्य, जिसने सूचना का समर्थन किया हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा से चर्चा का सूत्रपात कर सकेगा।

## CHAPTER IX

### Motion for Adjournment on a Matter of Public Importance

**50. Speaker's consent necessary to make motion.—**

Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker.

**51. Method of giving notice.—** Notice of an adjournment motion shall be given before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following :-

- (i) the Speaker;
- (ii) the Minister concerned; and
- (iii) the Principal Secretary.

**52. Restrictions on right to make motion.—** The right to move the adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely :—

- (i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;
- (ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;
- (iii) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;
- (iv) the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session;
- (v) the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time ;

## अध्याय 9

### लोक-महत्व के किसी विषय पर स्थगन-प्रस्ताव

**50. प्रस्ताव करने के लिये अध्यक्ष की सम्मति आवश्यक.-** इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा।

**51. सूचना देने की रीति.-** स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व, जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, निम्न में से प्रत्येक को दी जायेगी :-

- (1) अध्यक्ष;
- (2) सम्बन्धित मंत्री; और
- (3) प्रमुख सचिव।

**52. प्रस्ताव करने के अधिकार पर निबन्धन.-** अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सदन को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निबन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :-

- (1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा;
- (2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;
- (3) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;
- (4) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो;
- (5) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न की जायेगी जो विचार के लिये पहले ही नियत किया जा चुका हो। यह निर्धारित करने के लिये कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियम-बाह्य है या नहीं, अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सदन के सामने आने की सम्भाव्यता का ध्यान रखेगा;

- (vi) the motion shall not raise a question of privilege;
- (vii) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India; and
- (viii) the motion shall not raise any question which under the Constitution or these rules can only be raised on a distinct motion by a notice given in writing to the Principal Secretary.

**53. Motion for discussion on matters before tribunals, commissions, etc.**— No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved :

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

**54. Mode of asking for leave to move adjournment motion.**— (1) The Speaker, if he gives consent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House :

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 50 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than one-tenth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. If less than one-tenth of the total number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

- (6) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जावेगा;
- (7) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अन्तर्गत हो; और
- (8) प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जायेगा जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत प्रमुखसचिव को लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता हो।

**53. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव.-** साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित हो यदि अध्यक्ष को समाधान हो जावे कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

**54. स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने की रीति.-** (1) अध्यक्ष यदि नियम 50 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सदन के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा :

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 50 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह, यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इंकार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जावे तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा और तदनुसार यदि सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या के कम से कम दसवें भाग के सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या के दसवें भाग से कम सदस्य उठें तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है।

**55. Time for taking up motion.**— If the leave is granted, the motion shall be taken up on the same day at such time as the Speaker may decide.

**56. Closure of debate.**— The Speaker may, if he is satisfied that there has been adequate debate, put the question :

Provided that if the debate is not concluded within two hours from the time at which it was commenced, it shall automatically terminate and no question shall be put.

**57.** Deleted.

**55. प्रस्ताव को लेने का समय.-** यदि अनुमति दे दी जावे तो प्रस्ताव उसी दिन ऐसे समय पर, जो अध्यक्ष निश्चित करे, लिया जायेगा।

**56. वाद-विवाद का समापन.-** यदि अध्यक्ष को समाधान हो जाय कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है तो वह प्रश्न रख सकेगा :

परन्तु आरम्भ होने के दो घंटों के भीतर यदि वाद-विवाद समाप्त न हो तो स्वतः समाप्त हो जावेगा एवं कोई प्रश्न नहीं रखा जाएगा।

**57. विलोपित किया गया।**

## CHAPTER X

### LEGISLATION

#### (a) Introduction and publication of Bills

**58. Publication before introduction.**— The speaker may, on request being made to him by the Government, order the publication of any Bill (together with the Statement of Objects and Reasons, the memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case, it shall not be necessary to move to introduce the Bill, and, if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again.

**59. Notice of motion for leave to introduce private member's Bills.**— (1) Any member, other than a Minister, desiring to move for leave to introduce a Bill, shall give notice of his intention, and shall, together with the notice, submit a copy of the Bill and an explanatory Statement of Objects and Reasons which shall not contain arguments:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, revise the Statement of Objects and Reasons.

(2) If the Bill is a Bill which under the Constitution cannot be introduced without the previous sanction of the President or recommendation of the Governor, the member shall annex to the notice such sanction or recommendation conveyed through a Minister and the notice shall not be valid until this requirement is complied with.

(3) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be fifteen days unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice.

(4) The Speaker may disallow a notice of Bill in case the Bill does not comply with the requirement of sub-rule (2) of this rule, or rule 61 or 62.

**60. Communication of sanction or recommendation of President or Governor.**— The order of the President or the Governor granting or withholding the sanction or recommendation to the introduction or consideration of a Bill shall be communicated to the Principal Secretary by the Minister concerned in writing.

## अध्याय 10

### विधान

#### (क) विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन

**58. पुरःस्थापन के पहले प्रकाशन.-** अध्यक्ष से सरकार द्वारा प्रार्थना की जाने पर, वह किसी विधेयक (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण, विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन सम्बन्धी ज्ञापन और उससे संलग्न वित्तीय ज्ञापन सहित) के राज-पत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव नहीं रखा गया हो। उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाय तो उसको फिर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

**59. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना.-** (1) मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे, भेजेगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित कर सकेगा।

(2) यदि विधेयक एक ऐसा विधेयक हो जो संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य सूचना के साथ किसी मंत्री के मार्फत भेजी गई ऐसी मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करेगा, और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन न हो जाय।

(3) इस नियम के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि पन्द्रह दिन होगी यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे दे।

(4) अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उप-नियम (2), या नियम 61 या 62 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो।

**60. राष्ट्रपति की मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश पहुंचाना-** किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार किए जाने की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश सम्बन्धित मंत्री द्वारा लिखित रूप में प्रमुखसचिव को पहुंचाये जायेंगे।

**61. Financial memorandum and money clauses.**— (1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in thick type or in italics:

Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in thick type or in italics, the Speaker may permit the member-in-charge of the Bill to bring such clauses to the notice of the House.

**62. Explanatory memorandum to Bill delegating legislating powers.**— A Bill involving proposals for the delegation of legislative powers shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character.

**63. Statement in connection with Ordinances.**— (1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.

(2) Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of the Bill pending before the House, is promulgated, a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance.

**64. Motion for leave to introduce Bill.**— If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question :

**61. वित्तीय ज्ञापन और धन खण्ड.-** (1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्गस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्गस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जावेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन किया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्गस्त हो।

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्गस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे :

परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खण्ड, जिसमें व्यय अन्तर्गस्त हो मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा जाय, तो अध्यक्ष विधेयक के प्रभारी सदस्य को ऐसे खण्डों को सदन की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

**62. विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन.-** जिस विधेयक में विधायिनी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनाएं अन्तर्गस्त हों उसके साथ अग्रेत्तर एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवाद स्वरूप की।

**63. अध्यादेशों के सम्बन्ध में विवरण.-** (1) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सदन में पुरःस्थापित किया जाये तो सदन के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जायेगा, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये, जिसमें सदन के सामने लम्बित विधेयक के उपबन्ध पूर्णतः या अंशतः या रूपभेद सहित समाविष्ट हो तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में मेज पर रख दिया जायेगा।

**64. विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव.-** यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जावे तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेत्तर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा :

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.

**65. Publication after introduction.-** As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette.

**(b) Motions after introduction of Bills**

**66. Motions after introduction of Bills.-** When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:—

- (a) that it be taken into consideration; or
- (b) that it be referred to a Select Committee of the House; or
- (c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon :

Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

**67. Discussion of principle of Bill.—** (1) On the day on which any motion referred to in rule 66 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved, but—

- (a) if the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जावे कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सदन की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।

**65. पुरःस्थापन के बाद प्रकाशन.-** विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के बाद यथा-संभव शीघ्र विधेयक राज-पत्र में प्रकाशित कर दिया जायेगा, यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो।

**(ख) विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव**

**66. विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव.-** विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाय तब या उसके बाद किसी अवसर पर, प्रभारी सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् :-

- (1) कि उस पर विचार किया जाये; या
- (2) कि उसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये; या
- (3) कि उस पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये :

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गई हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दे तो, ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

**67. विधेयक के सिद्धांत की चर्चा.-** (1) जिस दिन नियम 66 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाये उस दिन या उसके बाद किसी दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाये, विधेयक के सिद्धांत और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेत्तर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उनके सिद्धांतों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे किन्तु :-

- (क) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये;

- (b) if the member-in-charge moves that the Bill be referred to a Select Committee of the House, any member may move as an amendment that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion.

(3) Where a motion that a Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon is carried, and the Bill is circulated in accordance with that direction and opinions are received thereon, the member-in-charge, if he wishes to proceed with the Bill thereafter, shall move that the Bill be referred to a Select Committee of the House, unless the Speaker allows a motion to be made that the Bill be taken into consideration :

Provided that if an amendment or a motion for appointment of a Select Committee has been moved under this rule, any member may move that the House give instructions to the Select Committee, to which the Bill is proposed to be referred, to make some particular or additional provision in the Bill and if necessary or convenient, to consider and report on amendments which may be proposed to the original Act which the Bill seeks to amend.

**68. Members by whom motions in respect of Bills may be made.**— No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member in charge except by way of amendment to a motion made by the member in charge :

Provided that if the member in charge of a Bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker.

**Explanation.**— Notwithstanding the provisions contained in the proviso the member who introduced the Bill shall continue to be the member-in-charge.

(ख) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जावे।

(3) जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाये कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये और विधेयक उस निदेश के अनुसार परिचालित किया जा चुका हो और उस पर राय प्राप्त हो गई हो, तो प्रभारी सदस्य, यदि वह अपने विधेयक पर उसके आगे कार्यवाही करना चाहता हो, प्रस्ताव करेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये, यदि अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दे कि विधेयक पर विचार किया जाये :

परन्तु यदि इस नियम के अन्तर्गत कोई संशोधन या प्रवर समिति की नियुक्ति के लिये कोई प्रस्ताव किया गया हो, तो कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन प्रवर समिति को जिसे विधेयक को सौंपा जाने का प्रस्ताव है, विधेयक में कुछ खास या अतिरिक्त उपबन्ध करने और यदि आवश्यक या सुविधाजनक हो तो ऐसे संशोधनों पर जो उस मूल अधिनियम के सम्बन्ध में प्रस्तावित किया जाये, जिसे विधेयक द्वारा संशोधित किया जा रहा हो, विचार करने और प्रतिवेदन देने का अनुदेश दे।

**68. सदस्य जो विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकेंगे.-**

विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये और विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में अतिरिक्त, यह प्रस्ताव नहीं किया जायेगा कि विधेयक सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाये या उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये :

परन्तु यदि किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य, ऐसे कारणों से जिसे अध्यक्ष पर्याप्त समझें, उसके पुरःस्थापन के बाद उनके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य सदस्य को अधिकृत कर सकेगा।

**व्याख्या:-** परन्तुक में दिये गये उपबन्धों के होते हुए भी वह सदस्य जिसने विधेयक को पुरःस्थापित किया है, प्रभारी सदस्य बना रहेगा।

**(c) Procedure after presentation of report of a  
Select Committee**

**69. Motions that may be moved after presentation of report of a Select Committee.**— (1) After the presentation of the final report of a Select Committee of the House on a Bill, the member-in-charge may move—

- (a) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration :

Provided that any member may object to the report being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for use of members for two days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the report to be taken into consideration; or

- (b) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be re-committed to the same Select Committee or to a new Select Committee either :-
  - (i) without limitation, or
  - (ii) with respect to particular clauses or amendments only, or
  - (iii) with instructions to the Committee to make some particular or additional provision in the Bill; or
- (c) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be circulated or re-circulated, as the case may be, for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon.

(2) If the member-in-charge moves that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be recommitted or be circulated or re-circulated for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon.

**70. Scope of debate on report of Select Committee.**— The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill.

**(ग) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया**

**69. प्रस्ताव जो प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद प्रस्तुत किये जा सकेंगे.-** (1) किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद प्रभारी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा-

(क) कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये :

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये प्रस्ताव किये जाने के दिन से दो दिन पहले के लिये उपलब्ध न कर दी गई हो, तो कोई सदस्य उस पर इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और, यदि अध्यक्ष प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की अनुमति न दे दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी; या

(ख) कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को या तो उसी प्रवर समिति को या नई प्रवर समिति को पुनः सौंपा जाये-

- (1) परिसीमा के बिना; अथवा
- (2) केवल खास खण्डों या संशोधनों के संबंध में ही; अथवा
- (3) समिति को विधेयक में कोई खास या कोई अतिरिक्त उपबन्ध करने के अनुदेशों के साथ; अथवा

(ग) सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक यथास्थिति उस पर राय या अग्रत्तर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये।

(2) यदि विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करे कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाये या उस पर राय या अग्रत्तर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये।

**70. प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति.-** इस प्रस्ताव पर कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये, वाद-विवाद समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धांत से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा।

**(d) Amendments to clauses, etc., and clause by clause  
consideration of Bills**

**71. Notice of amendments.**— (1) If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved:

Provided that in the case of a Government Bill, an amendment of which notice has been received from the member-in-charge, shall not lapse by reason of the fact that the member-in-charge has ceased to be a Minister or a member and such amendment shall be printed in the name of new member in charge of the Bill.

(2) The Principal Secretary shall, if time permits, make available to members from time to time lists of amendments of which notices have been received.

**72. Conditions of admissibility of amendments.**— The following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a Bill:—

- (i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject-matter of the clause to which it relates.
- (ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question.
- (iii) An amendment shall not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical.
- (iv) If an amendment refers to, or is not intelligible without, a subsequent amendment or schedule, notice of the subsequent amendment or schedule shall be given before the first amendment is moved so as to make the series of amendments intelligible as a whole.
- (v) The Speaker shall determine the place at which an amendment shall be moved.
- (vi) The Speaker may refuse to propose an amendment which is, in his opinion, frivolous or meaningless.

**(घ) खण्डों आदि के संशोधन तथा विधेयकों पर**

**खण्डवार विचार**

**71. संशोधनों की सूचना.-** (1) यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन के विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी:

परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ऐसा संशोधन, जिसकी सूचना प्रभारी सदस्य से मिली हो, इस कारण व्यपगत नहीं होगा कि प्रभारी सदस्य मंत्री या सदस्य नहीं रहा है और ऐसा संशोधन विधेयक के नये प्रभारी सदस्य के नाम में छापा जायेगा।

(2) यदि समय हो तो प्रमुखसचिव सदस्यों को, समय-समय पर उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध करेगा जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हों।

**72. संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें.-** किसी विधेयक के खण्डों या अनुसूचियों के संशोधन की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- (1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से संगत होगा।
- (2) संशोधन सदन के उस प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।
- (3) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खण्ड, जिसे संशोधित करने की उसमें प्रस्थापना हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये।
- (4) यदि संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाये या उसके बिना वह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी, जिससे कि संशोधन-माला पूर्णरूप में बोधगम्य हो जाये।
- (5) अध्यक्ष वह स्थान निर्धारित करेगा जहां संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा।
- (6) अध्यक्ष ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो।

- (vii) An amendment may be moved to an amendment which has already been proposed by the Speaker.

**73. Sanction or recommendation of the President or Governor to be annexed to notice of amendment.**—If any member desires to move an amendment which under the Constitution can not be moved without the previous sanction of the President or the recommendation of the Governor, as the case may be, he shall annex such sanction or recommendation conveyed through a Minister and the notice shall not be valid until this requirement is complied with:

Provided that no previous sanction of the President or the recommendation of the Governor shall be required, if an amendment seeks to-

- (a) abolish or reduce the limits of the tax proposed in the Bill or amendment, or  
(b) increase such tax upto the limits of an existing tax.

**74. Communication of the order of President or Governor.**—The order of the President or Governor, as the case may be, granting or withholding the sanction or recommendation to an amendment to a Bill, shall be communicated to the Principal Secretary by the Minister concerned in writing.

**75. Selection of new clauses or amendments.**— The Speaker shall have power to select the new clauses or amendments to be proposed, and may, if he thinks fit, call upon any member who has given notice of an amendment to give such explanation of the object of the amendment as may enable him to form a judgment upon it.

**76. Arrangement of amendments.**— Amendments of which notice has been given shall, as far as practicable, be arranged in the list of amendments issued from time to time in the order in which they may be called. In arranging amendments raising the same question at the same point of a clause, precedence may be given to an amendment moved by the member in charge of the Bill. Subject as aforesaid, amendments may be arranged in the order in which notices thereof are received.

**77. Order of amendments.**— (1) Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate; and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made : "That this clause do stand part of the Bill."

(7) जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्तावित हो चुका हो उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

**73. संशोधनों की सूचना के साथ राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करना.-** यदि कोई सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हो जो संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य किसी मंत्री के मार्फत भेजी गई ऐसी मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करेगा और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता:

परन्तु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक नहीं होगी यदि संशोधन में-

- (क) विधेयक या किसी संशोधन में प्रस्थापित कर की सीमाओं को समाप्त या कम करने, या
- (ख) ऐसे कर को किसी विद्यमान कर की सीमाओं तक बढ़ाने की अपेक्षा हो।

**74. राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश को पहुँचाना-** किसी विधेयक के संशोधन की मंजूरी देने या रोक लेने या सिफारिश करने या रोक लेने के यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश सम्बन्धित मंत्री द्वारा लिखित रूप में प्रमुख सचिव को पहुँचाये जायेंगे।

**75. नये खण्डों या संशोधनों को चुनना-** अध्यक्ष को, प्रस्थापित किये जाने वाले नये खण्ड या संशोधन चुनने की शक्ति होगी और यदि वह ठीक समझे तो किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, उस संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिये कह सकेगा जिससे कि वह उस पर कोई निर्णय कर सके।

**76. संशोधनों का विन्यास-** जिन संशोधनों की सूचना दी जा चुकी हो उनका विन्यास समय-समय पर निगमित संशोधन सूची में यथासाध्य उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें कि वे पुकारे जायें। किसी खण्ड के एक ही स्थान पर एक सा ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन की पूर्ववर्तिता दी जा सकेगी। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए संशोधनों का विन्यास उस क्रम में किया जा सकेगा जिसमें कि उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

**77. संशोधनों का क्रम-** (1) साधारणतया संशोधनों पर विधेयक के उप-खण्डों के क्रम में विचार किया जायेगा जिनसे वे क्रमशः सम्बन्धित हों, और उसे किसी खण्ड के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया समझा जायेगा “कि यह खण्ड विधेयक का अंग बने।”

(2) The Speaker may, if he thinks fit, put as one question similar amendments to a clause:

Provided that if a member requests that any amendment be put separately, the Speaker shall put that amendment separately.

**78. Mode of moving amendments.**— When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, any member may, when called upon by the Speaker, move an amendment to the Bill of which he has previously given notice:

Provided that in order to save time and repetition of arguments, a single discussion may be allowed to cover a series of inter-dependent amendments.

**79. Withdrawal of amendments.**— An amendment moved may, by leave of the House, but not otherwise, be withdrawn on the request of the member moving it. If an amendment has been proposed to an amendment, the original amendment shall not be withdrawn until the amendment proposed to it has been disposed of.

**80. Submission of a Bill clause by clause.**— Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may, when a motion that Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill, to the House clause by clause. The Speaker may call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question : "That this clause (or, this clause as amended, as the case may be) do stand part of the Bill".

**81. Postponement of clause.**— The Speaker may, if he thinks fit, postpone the consideration of a clause.

**82. Consideration of schedule.**— The consideration of the schedule or schedules, if any, shall follow the consideration of clauses. Schedules shall be put from the Chair and may be amended in the same manner as clause and the consideration of new schedules shall follow the consideration of the original schedules. The question shall then be put: "That this schedule (or, that this schedule as amended, as the case may be) stand part of the Bill" :

(2) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेगा।

**78. संशोधन प्रस्तुत करने की रीति.-** जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर विधेयक में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी उसने पहले सूचना दे दी हो:

परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये एक दूसरे पर आश्रित कितने ही संशोधनों के सम्बन्ध में एक ही चर्चा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

**79. संशोधनों की वापसी.-** प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य की प्रार्थना पर सभा की अनुमति से वापस लिया जा सकेगा किन्तु अन्यथा नहीं। यदि किसी संशोधन में संशोधन प्रस्थापित किया गया हो तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि उसमें प्रस्थापित संशोधन न निपटा दिया जावे।

**80. विधेयक का खण्डशः रखा जाना.-** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष, जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये स्वीकृत हो गया हो विधेयक को या विधेयक के किसी भाग को खण्डशः सदन के सामने रख सकेगा। अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग पुकार सकेगा और जब उससे सम्बन्धित संशोधन निपटा दिये गये हों, प्रश्न रखेगा: “कि यह खण्ड (या, कि यह खण्ड संशोधित रूप में, यथास्थिति), विधेयक का अंग बने।”

**81. खण्ड का विलम्बन.-** अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, खण्ड पर विचार विलम्बित कर सकेगा।

**82. अनुसूची पर विचार.-** यदि कोई अनुसूची या अनुसूचियां हों तो उन पर विचार, खण्डों पर विचार के बाद होगा, अनुसूचियां सभापति द्वारा उसी रीति से रखी और संशोधित की जा सकेंगी जैसे कि खण्ड; और नयी अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा। तब यह प्रश्न रखा जाएगा: “कि यह अनुसूची (या, कि यह अनुसूची संशोधित रूप में, यथास्थिति) विधेयक का अंग बनें”:

Provided that the Speaker may allow the schedule or schedules, if any, being considered before the clauses are disposed of or along with a clause or otherwise as he may think fit.

**83. Voting on group of clauses and schedules.**— The Speaker may, if he thinks fit, put as one question clauses and/or schedules, or clauses and/or schedules as amended, as the case may be, together to the vote of the House:

Provided that if a member requests that any clause or schedule, or any clause or schedule as amended, as the case may be, be put separately, the Speaker shall put that clause or schedule, or clause or schedule as amended, as the case may be, separately.

**84. Clause one, Enacting Formula, Preamble and Title of Bill.**— Clause one, the Enacting Formula, the Preamble, if any, and the Title of a Bill shall stand postponed until the other clauses and schedules (including new clauses and new schedules) have been disposed of and the Speaker shall then put the question: "That Clause one, or the Enacting Formula, or the Preamble or the Title (or, that Clause one, Enacting Formula, Preamble or Title, as amended, as the case may be) do stand part of the Bill".

#### **(e) Passing of Bills**

**85. Passing of Bill.**— (1) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member-in-charge may at once move that the Bill be passed.

(2) Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made.

(3) To such a motion, no amendment may be moved which is not either formal, verbal or consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration.

**86. Scope of debate.**— The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.

परन्तु अध्यक्ष अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हों, खण्डों के निबटाये जाने के पहले या किसी खण्ड के साथ या अन्यथा जैसा कि वह ठीक समझे, विचार किये जाने की अनुमति दे सकेगा।

**83. खण्डों और अनुसूचियों के समूह पर मतदान.-** अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे तो, खण्डों और/या अनुसूचियों को, अथवा संशोधित रूप में खण्डों और/या अनुसूचियों को यथास्थिति एक साथ एक प्रश्न के रूप में सदन के मतदान के लिये रख सकता है:

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची, यथास्थिति, पृथक रूप से मतदान के लिए रखी जाये तो अध्यक्ष उस खण्ड या अनुसूची को, अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची को यथास्थिति, पृथक रूप से रखेगा।

**84. विधेयक का खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम.-** विधेयक का खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, यदि कोई हो, और नाम पर विचार तब तक विलम्बित रखा जायेगा जब तक कि अन्य खण्ड तथा अनुसूचियां (नये खण्ड तथा नयी अनुसूचियों सहित) न निपटा दी जायें और अध्यक्ष तब प्रश्न रखेगा: “कि खण्ड 1, या अधिनियमन सूत्र, या प्रस्तावना या नाम (या, कि संशोधित रूप में खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना या नाम) विधेयक का अंग बने।”

#### (ड) विधेयकों का पारण

**85. विधेयक का पारण.-** (1) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये, स्वीकार हो गया हो और विधेयक में कोई संशोधन न किया जाये, तब प्रभारी सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पारित किया जाये।

(2) जब किसी विधेयक में संशोधन किये गये हों तो यह प्रस्ताव कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये, उस दिन प्रस्तुत न किया जायेगा जिस दिन उस विधेयक पर विचार समाप्त हुआ हो, जब तक अध्यक्ष उस प्रस्ताव की अनुमति न दे।

(3) ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो औपचारिक या शाब्दिक न हो या विधेयक पर विचार किये जाने के बाद किये गये संशोधन के कारण आनुषंगिक न हो।

**86. वाद-विवाद की व्याप्ति.-** इस प्रस्ताव पर विधेयक, या विधेयक संशोधित रूप में, यथास्थिति, पारित किया जाये, चर्चा विधेयक के समर्थन में, या उसे अस्वीकार करने के लिए दिए गए प्रतर्कों तक सीमित होगी। भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे निर्देश नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतर्कों के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो जो कि सामान्य रूप के होंगे।

**87. Correction of patent errors.-** Where a Bill is passed by the House, the Speaker shall have power to correct patent errors and make such other changes in the Bill as are consequential upon the amendments accepted by the House.

**(f) Adjournment of Debate on and Withdrawal and Removal of Bills**

**88. Adjournment of debate on Bill.—** At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker.

**89. Withdrawal of Bill.—** The member-in-charge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that—

- (a) the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped; or
- (b) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein, or
- (c) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provisions;

and if such leave is granted no further motion shall be made with reference to the Bill:

Provided that where a Bill is under consideration by a Select Committee of the House, notice of any motion for the withdrawal of Bill shall automatically stand referred to the Committee and after the Committee has expressed its opinion in a report to the House, the motion shall be set down in the list of business.

**90. Explanatory statement by member who moves or opposes withdrawal motion.—** If a motion for leave to withdraw a Bill is opposed, the Speaker may, if he thinks fit, permit the member who moves and the member who opposes the motion to make brief explanatory statements and may thereafter, without further debate, put the question.

**91. Removal of Bill from Register of Bills.—** (1) Where any of the following motions made by the member-in-charge under these rules in regard to a Bill is rejected by the House, no further motion shall be made with reference to the Bill and such Bill shall be removed from the Register of Bills pending in the House for the session:—

**87. प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि.-** जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित हो जाये तब अध्यक्ष को विधेयक में प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध करने और ऐसे अन्य परिवर्तन करने की शक्ति होगी जो सदन द्वारा स्वीकृत संशोधनों से आनुषंगिक हो।

**(च) विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना**

**88. विधेयक पर वाद-विवाद का स्थगन-** सदन में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।

**89. विधेयक की वापसी.-** विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि-

- (क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है; या
- (ख) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्ध में सारवान रूप से फेरबदल हो जायेगी; या
- (ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबन्ध सम्मिलित हो;

और यदि ऐसी अनुमति दी जाय तो उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई अग्रेत्तर प्रस्ताव नहीं किया जायेगा:

परन्तु जब कोई विधेयक सदन की प्रवर समिति के विचाराधीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वतः समिति को सौंपी गई मानी जायेगी और समिति द्वारा सदन को दिये गये प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जायेगा।

**90. वापसी के प्रस्ताव को प्रस्तुत या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य.-** यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेगा और उसके बाद, अग्रेत्तर वाद-विवाद के बिना, प्रश्न रख सकेगा।

**91. विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना.-** (1) जब सदन द्वारा किसी विधेयक के बारे में इन नियमों के अन्तर्गत प्रभारी सदस्य द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव अस्वीकार किया जाये, तो उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और ऐसा विधेयक सदन में उस सत्र के लिये लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायेगा-

- (i) that leave be granted to introduce the Bill;
- (ii) that the Bill be referred to a Select Committee;
- (iii) that the Bill be taken into consideration;
- (iv) that the Bill as reported by Select Committee of the House be taken into consideration; and
- (v) that the Bill (or, that the Bill as amended, as the case may be) be passed.

(2) A Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case a Bill substantially identical is passed by the House or the Bill is withdrawn under rule 89.

**Explanation:-**A Bill pending before the House shall include—

- (i) a Bill introduced in the House which does not fall within the categories of Bills mentioned in this rule or rule 92; and
- (ii) a Bill returned by the Governor with a message under Article 200 of the Constitution.

**92. Special provision for removal of private member's Bill from Register of Bills.**— A private member's Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case—

- (a) the member-in-charge cease to be a member of the House; and
- (b) the member-in-charge is appointed a Minister.

**(g) Authentication of Bills**

**93. Authentication of Bills.**— When a Bill is passed by the House and is in possession of the House, the Bill shall be signed in duplicate by the Speaker and presented to Governor:

Provided that in the absence of the Speaker, the Principal Secretary may, in case of urgency, authenticate the Bill on behalf of the Speaker.

**(h) Reconsideration of Bills returned by the Governor**

**94. Reconsideration of Bills returned by the Governor.**— When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration, the point or points referred for reconsideration or the amendments recommended shall be put before the House by the Speaker and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House.

- (1) कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये;
- (2) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये;
- (3) कि विधेयक पर विचार किया जाये;
- (4) कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये; और
- (5) कि विधेयक को (या विधेयक को, संशोधित रूप में, यथा स्थिति) पारित किया जावे।

(2) सदन के सामने लम्बित विधेयक सदन द्वारा सारवान रूप से समान विधेयक को पारित करने या नियम 89 के अन्तर्गत विधेयक वापस लिये जाने की अवस्था में भी सदन में लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायेगा।

**व्याख्या:-** सदन के सामने लम्बित विधेयक में ये सम्मिलित होंगे-

- (1) सदन में पुरःस्थापित विधेयक जो इस नियम या नियम 92 में उल्लिखित विधेयकों के वर्गों के अन्दर नहीं आता; और
- (2) संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा संदेश के साथ लौटाया गया विधेयक।

**92. विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिये विशेष उपबन्ध.-** सदन के सामने लम्बित कोई गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भी सदन में लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायेगा, यदि-

- (क) प्रभारी सदस्य सदन का सदस्य न रहे; और
- (ख) प्रभारी सदस्य मंत्री नियुक्त किया जावे।

#### **(छ) विधेयकों का प्रमाणीकरण**

**93. विधेयकों का प्रमाणीकरण.-** जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाय और वह सदन के वश में हो तो उसकी दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह राज्यपाल के सामने उपस्थित की जायेंगी:

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलम्बनीय मामलों में प्रमुख सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकेगा।

#### **(ज) राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयकों पर पुनर्विचार**

**94. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयकों पर पुनर्विचार.-** जब कोई विधेयक, जो सदन द्वारा पारित हो चुका हो, राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया जाये तो पुनर्विचार के लिये निर्देशित मुद्दा या मुद्दे या सिफारिश किये गये संशोधन अध्यक्ष द्वारा सदन के सामने रखे जावेंगे, और उन पर उसी प्रकार से वाद-विवाद किया जायेगा और मत लिये जावेंगे जैसे कि किसी विधेयक के संशोधन पर, या किसी ऐसी अन्य रीति से, जिसे अध्यक्ष, सदन द्वारा उन पर विचार किये जाने के लिये, अत्यन्त सुविधाजनक समझे।

**95. Authentication of Bill passed again by the House.—**

When a Bill is passed again by the House, the Bill shall be signed in duplicate by the Speaker and presented to the Governor in the following form:-

"The above Bill has been passed again by the House in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution.

Dated.....20 Speaker":

Provided that in the absence of the Speaker, the Principal Secretary may, in case of urgency, authenticate the Bill on behalf of the Speaker.

**95. सदन द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण.-** जब कोई विधेयक सदन द्वारा पुनः पारित किया जाये, तो उसकी दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे राज्यपाल के समक्ष निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया जायेगा:-

“उक्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा पुनः पारित किया गया है।

दिनांक.....20

अध्यक्ष”:

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलम्बनीय मामलों में प्रमुख सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकेगा।

## CHAPTER XI

### Petitions

**96. Scope of petitions.**—Petitions may be presented or submitted to the House with the consent of the Speaker on-

- (i) a Bill which has been published under rule 58 or which has been introduced in the House;
- (ii) any matter connected with the business pending before the House; and
- (iii) any matter of general public interest provided that it is not one:-
  - (a) which falls within the cognizance of a court of law having jurisdiction in any part of India or a court of enquiry or a statutory tribunal or authority or a quasi-judicial body, or a commission;
  - (b) which can be raised on a substantive motion or resolution; or
  - (c) for which remedy is available under the law, including rules, regulations, bye-laws made by the State Government or an authority to whom power to make such rules, regulations, etc., is delegated.

**97. General form of petition.**—(1) The general form of petition set out in the First Schedule, with such variations as the circumstances of each case require, may be used, and, if used, shall be sufficient.

(2) Every petition shall be couched in respectful, decorous and temperate language:

Provided that the Speaker may, if he thinks necessary, make such verbal or other changes in the petition so as to make it concise, brief and presentable.

**98. Authentication of petition.**— The full name and address of every signatory to a petition shall be set out therein and shall be authenticated by his signature, and if illiterate, by his thumb impression.

**99. Documents not to be attached.**— Letters, affidavits or other documents shall ordinarily not be attached to any petition.

**100. Countersignature.**— (1) Every petition shall, if presented by a member, be countersigned by him.

## अध्याय 11

### याचिकाएं

**96. याचिकाओं की व्याप्ति.-** अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकाएं सदन में उपस्थापित या प्रस्तुत की जा सकेंगी:-

- (1) ऐसा विधेयक जो नियम 58 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सदन में पुरःस्थापित हो चुका हो;
- (2) सदन के सामने लम्बित कार्य से सम्बन्धित कोई विषय; और
- (3) सामान्य लोक-हित का कोई भी विषय परन्तु वह ऐसा न हो-
  - (क) जो भारत के किसी भी भाग में या क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी संविहित न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;
  - (ख) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है; या
  - (ग) जिसके लिये विधि के अन्तर्गत उपचार उपलब्ध है और विधि में नियम, विनियम, उप-नियम सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाये गये हों जिसे ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित हो।

**97. याचिका का सामान्य प्रपत्र.-** (1) पहली अनुसूची में दिया गया याचिका का सामान्य प्रपत्र, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों उपयोग में लाया जा सकेगा और यदि उपयोग में लाया जाये तो वह पर्याप्त होगा।

(2) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण, शिष्ट और संयत भाषा में लिखी जायेगी:

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, याचिकाओं में शाब्दिक या अन्य परिवर्तन कर सकेगा, ताकि उसे सुगठित, संक्षिप्त और प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके।

**98. याचिका का प्रमाणीकरण.-** याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जायेगा और वह उसके हस्ताक्षर से और यदि निरक्षर हो तो उसके अंगूठे के निशान से प्रमाणीकृत होगी।

**99. दस्तावेजों का नहीं लगाया जाना.-** किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेज सामान्यतः नहीं लगाया जायेगा।

**100. प्रतिहस्ताक्षर.-** (1) यदि याचिका किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित की जाये तो ऐसी प्रत्येक याचिका पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(2) A member shall not present a petition from himself.

**101. Petition to be addressed to House.**— Every petition shall be addressed to the House and shall conclude with a prayer reciting the definite object of the petitioner in regard to the matter to which it relates.

**102. Notice of presentation.**— A member shall give advance intimation to the Principal Secretary of his intention to present a petition.

**103. Presentation of petition.**— A petition may be presented by a member or be forwarded to the Principal Secretary, who shall report it to the House. The report shall be made in the form set out in the Second Schedule. No debate shall be permitted on the presentation, or the making of such report.

**104. Form of petition.**— A member presenting a petition shall confine himself to a statement in the following form:-

"Sir, I beg to present a petition signed by.....  
petitioner(s) regarding....." and no debate shall be permitted on this statement.

**105. Reference to Committee on Petitions.**— Every petition shall, after presentation by a member or report by the Principal Secretary, as the case may be, stand referred to the Committee on Petitions.

**105A. Reference of petitions to Committee by Speaker.**— The Speaker may refer any petition to the Committee on Petitions even if the same has not been presented to the House by a member or reported by the Principal Secretary under rule 105.

(2) सदस्य अपनी ओर से कोई याचिका उपस्थापित नहीं करेगा।

**101. याचिका सदन को संबोधित की जायेगी.-** प्रत्येक याचिका सदन को संबोधित की जायेगी और जिस विषय से उसका सम्बन्ध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्यों का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी।

**102. उपस्थापन की सूचना.-** सदस्य प्रमुख सचिव को याचिका उपस्थापित करने के अपने विचार की पूर्व सूचना देगा।

**103. याचिका का उपस्थापन.-** याचिका सदस्य द्वारा उपस्थापित की जा सकेगी, या प्रमुख सचिव को भेजी जा सकेगी जो उसे सभा को प्रतिवेदित करेगा। वह प्रतिवेदन द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में किया जायेगा। ऐसे प्रतिवेदन के उपस्थापन पर या उसके किये जाने पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।

**104. याचिका का रूप.-** याचिका उपस्थापित करने वाला सदस्य अपने को निम्न रूप के कथन तक ही सीमित रखेगा:-

“महोदय, मैं.....के सम्बन्ध में.....याचिका देने वाले (लों) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूँ।”

और इस कथन पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।

**105. याचिका समिति को निदेश.-** प्रत्येक याचिका, यथास्थिति, सदस्य द्वारा उपस्थापित किये जाने के बाद या प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिवेदित किये जाने के बाद समिति को सौंपी गई समझी जायेगी।

**105क. अध्यक्ष द्वारा याचिकाओं का समिति को निर्देशन.-** अध्यक्ष कोई भी याचिका समिति को भेज सकेगा भले ही वह किसी सदस्य द्वारा सदन को प्रस्तुत नहीं की गई हो या नियम 105 के अधीन प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिवेदित नहीं हो।

## CHAPTER XII

### Resolutions

**106. Notice of Resolution.**— A Private member, who wishes to move a resolution on a day allotted for private members business, shall give notice to that effect at least two days before the date of ballot and shall together with the notice, submit the text of the resolution which he wishes to move:

Provided that notice of not more than two resolutions shall be given by a member for any day allotted for private members business.

**107. Form of resolution.**— A resolution may be in the form of declaration of opinion, or recommendation; or may be in the form so as to record either approval or disapproval by the House of an act or policy of Government or convey a message; or commend, urge or request an action; or call attention to a matter or situation for consideration by Government; or in such other form as the Speaker may consider appropriate.

**108.** Deleted.

**109. Conditions of admissibility of resolution.**— In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:-

- (i) it shall be clearly and precisely expressed;
- (ii) it shall raise substantially one definite issue;
- (iii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;
- (iv) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their official or public capacity;
- (v) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government;
- (vi) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law, having jurisdiction in any part of India; and
- (vii) it shall not relate to a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing

## अध्याय 12

### संकल्प

**106. संकल्प की सूचना.-** कोई गैर सरकारी सदस्य जो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिन कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो शलाका की तारीख से कम से कम दो दिन पहले तद्विषयक एक सूचना और उस सूचना के साथ उस संकल्प का पाठ भी देगा जो कि वह प्रस्तुत करना चाहता है:

परन्तु गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किसी एक दिन के लिये किसी सदस्य द्वारा दो से अधिक संकल्पों की सूचना नहीं दी जाएगी।

**107. संकल्प का रूप.-** संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में, जिससे कि सरकार के किसी काम अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाये या कोई संदेश दिया जाये; या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, अनुरोध या प्रार्थना की जाये; या किसी विषय अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा विचार के लिये ध्यान आकर्षित किया जाये या किसी ऐसे अन्य रूप में जो अध्यक्ष उचित समझे, हो सकेगा।

**108. विलोपित किया गया।**

**109. संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें:-** कोई संकल्प ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्:-

- (1) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतया व्यक्त किया जायेगा;
- (2) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जावेगा;
- (3) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;
- (4) उसमें व्यक्तियों के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा;
- (5) वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय न हो;
- (6) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो; और
- (7) वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या

any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter:

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

**110. Speaker to decide admissibility of resolution.—** (1)

The Speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules:

Provided that the Speaker may, in his discretion, amend the resolution in form or give member concerned an opportunity of amending it.

(2) The Principal Secretary shall give intimation to the member that his resolution has been admitted or admitted as amended or disallowed, as the case may be, and shall, in case the resolution has been disallowed, also state the reason or reasons thereof.

**110A. Order and limit of resolution.—** (1) The relative precedence of resolutions, which have been admitted under rule 110 shall be determined by ballot to be held in accordance with the orders made by the Speaker on such day as the Speaker may direct.

(2) Unless the Speaker otherwise directs, not more than five resolutions in addition to any resolution which is outstanding under the proviso to rule 26, shall be set down in the list of business for any day.

**111. Moving of resolution.—** (1) A member in whose name a resolution stands on the list of business shall, except when he wishes to withdraw it, when called upon, move the resolution and shall commence his speech by a formal motion in the terms appearing in the list of business.

संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो:

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय प्रक्रम से सम्बन्धित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

**110. अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता विनिश्चित करेगा.-** (1) अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह किसी संकल्प अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो:

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे संकल्प के रूप में संशोधन कर सकता है या सम्बन्धित सदस्य को उसमें संशोधन करने का अवसर दे सकता है।

(2) प्रमुखसचिव सदस्य को, यथास्थिति, सूचना देगा कि उसके संकल्प को प्रतिग्रहीत या यथा-संशोधित प्रतिग्रहीत या अस्वीकृत किया गया है और संकल्प को अस्वीकृत किये जाने की दशा में उसके कारण या कारणों को भी बतायेगा।

**110का. संकल्पों का क्रम और सीमा.-** (1) उन संकल्पों की, जो नियम 110 के अधीन ग्राह्य कर लिए गए हैं, पारस्परिक पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार ऐसे दिन जो वे निर्दिष्ट करे, शलाका द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, किसी दिन के लिये कार्य-सूची में पांच से अधिक संकल्प (किसी ऐसे संकल्प के अतिरिक्त जो नियम 26 के परन्तुक के अन्तर्गत अवशिष्ट हो) नहीं रखे जाएंगे।

**111. संकल्प का प्रस्तुत किया जाना.-** (1) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह, सिवाय उस दशा में जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो, पुकारे जाने पर, संकल्प प्रस्तुत करेगा और उस अवस्था में, कार्य-सूची में दिये गये रूप में औपचारिक प्रस्ताव के साथ, वह अपना भाषण प्रारम्भ करेगा।

(2) A member may, with the permission of the Speaker, authorise any other member, in whose name the same resolution stands lower in the list of business, to move it on his behalf, and the member so authorised may move it accordingly.

(3) If the member, in whose name a resolution stands on the list of business, when called, is absent, any other member authorised by him in writing in this behalf may, with the permission of the Speaker, move the resolution.

**112. Amendments.**— (1) After a resolution has been moved, any member may, subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to the resolution.

(2) If notice of such amendment has not been given one day previous to the day on which the resolution is moved, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved.

(3) The Principal Secretary shall, if time permits, make available to members, from time to time, lists of amendments of which notices have been received:

Provided that the mover of a resolution when moving the same and the Minister concerned when speaking for the first time, may speak for thirty minutes or for such longer time as the Speaker may permit.

**113.** Deleted.

**114. Scope of discussion.**— The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution.

**115. Withdrawal of resolution and amendment.**— (1) A member in whose name a resolution stands on the list of business may, when called upon, withdraw the resolution, and shall confine himself to a mere statement to that effect.

(2) A member who has moved a resolution or amendment to a resolution shall not withdraw the same except by leave of the House.

**116. Splitting of resolution.**— When any resolution involving several points has been discussed, the Speaker may divide the resolution, and put each or any point separately to the vote, as he may think fit.

(2) कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से किसी अन्य सदस्य को जिसके नाम में वही संकल्प कार्य-सूची में नीचे दिया हुआ हो उसे अपनी ओर से प्रस्तुत करने का प्राधिकार दे सकेगा, और इस तरह प्राधिकृत सदस्य उसे तदनुसार प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) कोई सदस्य जिसके नाम में संकल्प कार्य-सूची में दिया हुआ हो यदि पुकारे जाने के समय अनुपस्थित हो, तो इस निमित्त उसकी ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

**112. संशोधन.-** (1) संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई सदस्य, संकल्पों से सम्बन्धित नियमों के अधीन रहते हुए संकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि ऐसे संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन संकल्प प्रस्तुत किया जाये तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(3) यदि समय हो तो प्रमुखसचिव सदस्यों को समय-समय पर उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध करेगा जिनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बन्धित मंत्री प्रथम बार भाषण देते समय तीस मिनट तक या उससे इतने अधिक समय तक, जितने की अध्यक्ष अनुज्ञा दे भाषण दे सकेंगे।

**113. विलोपित किया गया।**

**114. चर्चा की व्याप्ति.-** किसी संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संगत और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी।

**115. संकल्प और संशोधनों की वापसी.-** (1) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम कोई संकल्प हो, वह पुकारे जाने पर, संकल्प वापस ले सकेगा और उस अवस्था में वह अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

(2) जिस सदस्य ने कोई संकल्प या संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया हो वह उसे सदन की अनुमति के बिना वापस नहीं लेगा।

**116. संकल्प के टुकड़े करना.-** जब अनेक विषयों से अन्तर्गुह्य किसी संकल्प पर चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्ष संकल्प को विभाजित कर सकेगा और जैसा वह उचित समझे प्रत्येक विषय या कोई विषय मत के लिये अलग-अलग रख सकेगा।

**117. Repetition of resolution.**— (1) When a resolution has been moved, no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within one year from the date of the moving of the earlier resolution.

(2) When a resolution has been withdrawn with the leave of the House, no resolution raising substantially the same question shall be moved during the same session.

**118. Copy of resolution passed to be sent to Minister.**— A copy of every resolution which has been passed by the House shall be forwarded to the Minister concerned.

**118A. Government resolutions.**— A Minister may, with the previous permission of the Speaker, move any resolution on a matter of general public interest, and the rules relating to resolution shall *mutatis mutandis* apply.

**117. संकल्प की पुनरुक्ति.-** (1) जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया हो तो सारवान रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(2) जब कोई संकल्प सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया हो तो सारवान रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प उसी सत्र के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

**118. मंत्री के पास पारित संकल्प की प्रति भेजना.-** प्रत्येक संकल्प की, जिसे सदन ने पारित किया हो, एक प्रति सम्बन्धित मंत्री के पास भेजी जायेगी।

**118का. सरकारी संकल्प.-** कोई मंत्री अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से सामान्य लोकहित के मामले पर कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और संकल्पों से सम्बन्धित नियम, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

## CHAPTER XII-A

### Ratification of Amendment of the Constitution

**118A. A. Message regarding ratification of amendment of Constitution.**— (1) If a message from a House of Parliament for the ratification of an amendment of the Constitution under the proviso of Article 368 of the Constitution is received by the Principal Secretary when the House is in session, he shall report the message to the House at the earliest opportunity after its receipt and lay the same on the Table.

(2) If the House is not in session at the time the message is received, a copy of the message shall, as soon as it is received by the Principal Secretary, be forwarded by him to every member and the Principal Secretary shall report the message to the House and lay the same on the Table on the first day of the next session or as soon as may be thereafter.

(3) The Principal Secretary shall forward a copy of the message to the State Government at the first convenient opportunity after its receipt and in any case within three days of its receipt.

(4) Copies of the Bill as passed by the Houses of Parliament making provision for the proposed amendment to the Constitution, received with the message, shall be forwarded to the State Government and shall be made available for use of members.

**118B. Notice of resolution.**—After the message has been laid on the Table under rule 118AA, any member may, after giving seven days notice, or, with the consent of the Speaker, at shorter notice, move a resolution that the amendment to the Constitution proposed by the Bill be ratified:

Provided that any member may object to the resolution being moved if copies of the Bill have not been made available for the use of members for three days before the resolution is moved and such objection shall prevail unless the Speaker allows the resolution to be moved.

**118C Discussion of resolution.**— (1) The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a date for a discussion on the resolution.

## अध्याय 12-का

### संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन

**118का. का. संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में संदेश.-** यदि प्रमुखसचिव द्वारा जब सदन सत्र में हो, संसद से किसी सदन के संविधान के अनुच्छेद 368 के परन्तुक के अधीन किसी संशोधन के अनुसमर्थन के लिए संदेश प्राप्त हो, तो वह इसके प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र सदन को संदेश की सूचना देगा और उसे सदन के पटल पर रखेगा।

(2) यदि संदेश प्राप्त होने के समय सदन सत्र में नहीं हो, तो प्रमुख सचिव को संदेश प्राप्त होने पर यथासम्भव शीघ्र उसकी एक प्रति उसके द्वारा प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित की जाएगी और अगले सत्र के प्रथम दिन या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र प्रमुखसचिव सदन को संदेश की सूचना देगा और उसे सदन के पटल पर रखेगा।

(3) प्रमुखसचिव, संदेश प्राप्ति के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र और प्रत्येक स्थिति में इसके प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन के भीतर उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) संदेश के साथ प्राप्त संविधान में प्रस्तावित संशोधन का उपबन्ध करने वाले संसद के सदनों द्वारा यथापारित विधेयक की प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी और सदस्यों द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाएंगी।

**118खा. संकल्प की सूचना.-** नियम 118 का. का. के अधीन संदेश के पटल पर रखे जाने के पश्चात् कोई सदस्य सात दिन की सूचना देने के पश्चात्, या अध्यक्ष की सम्मति से कम अवधि की सूचना पर संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा कि विधेयक द्वारा प्रस्तावित संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन कर दिया जाये:

परन्तु यदि संकल्प के प्रस्तुत किये जाने से तीन दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए विधेयक की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हों तो कोई भी सदस्य संकल्प के प्रस्तुत किये जाने के प्रति आपत्ति कर सकेगा और जब तक कि अध्यक्ष संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न प्रदान कर दे ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

**118गा. संकल्प पर चर्चा.-** (1) अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श से, संकल्प पर चर्चा के लिये कोई तारीख नियत करेगा।

(2) No amendment shall be proposed to such a resolution.

**118D. Communication of decision on resolution.**— (1) If the resolution is passed by the House, a message shall be sent to the House of Parliament from which the message referred to in rule 118AA was received, that the Assembly ratifies the amendment.

(2) If the resolution is rejected by the House, a message shall be sent as aforesaid that the Assembly does not ratify the amendment.

(3) If no resolution is moved during the session in which the message of the House of Parliament is laid on the Table, the Principal Secretary shall send information to the effect to the Secretary General or Secretary, as the case may be, of the House of Parliament from which the message was received.

**118E. Procedure for ratification when communication received direct by Government.**— (1) If instead of a message referred to in rule 118AA, a communication for the ratification of an amendment of the Constitution proposed by a Bill passed by Parliament is received by the State Government, any Minister may, notwithstanding anything contained in this chapter, after giving seven days notice or, with the consent of the Speaker, at shorter notice, move a resolution that the amendment to the Constitution, proposed by the Bill be ratified.

(2) The provisions contained in the proviso to rule 118B and rule 118C shall apply to such resolution.

(3) The decision taken by the House on the said resolution shall be communicated by the Principal Secretary to the State Government and to the Secretary or the Secretary-General, as the case may be, of the House of Parliament from which the communication was received by the State Government.

(2) ऐसे संकल्प का कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

**118घा. संकल्प पर विनिश्चय की संसूचना.-** (1) यदि सदन द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है तो संसद के उस सदन को जहां से नियम 118का. का. में निर्दिष्ट संदेश प्राप्त हुआ था, एक संदेश भेजा जाएगा कि विधान सभा संशोधन का अनुसमर्थन करती है।

(2) यदि सदन द्वारा संकल्प अस्वीकार कर दिया जाता है तो यथा-उपर्युक्त एक संदेश भेजा जाएगा कि विधान सभा ने संशोधन का अनुसमर्थन नहीं किया है।

(3) यदि उस सत्र के दौरान, जिसमें संसद के सदन के संदेश को पटल पर रखा जाता है कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव इस आशय की एक सूचना संसद के उस सदन के, जहां से संदेश प्राप्त हुआ था, यथास्थिति, महासचिव या सचिव को भेजेगा।

**118झ. सरकार द्वारा सीधे ही संसूचना प्राप्त किये जाने पर अनुसमर्थन की प्रक्रिया.-** (1) यदि नियम 118का. का. में निर्दिष्ट संदेश की बजाय, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक द्वारा संविधान के किसी प्रस्तावित संशोधन के लिए कोई संसूचना राज्य सरकार को प्राप्त होती है तो इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी कोई मंत्री सात दिन की सूचना के पश्चात् या अध्यक्ष की सम्मति से कम अवधि की सूचना पर एक संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा कि विधेयक द्वारा प्रस्तावित संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन कर दिया जाये।

(2) ऐसे संकल्पों पर नियम 118खा. और नियम 118गा. के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होंगे।

(3) उक्त संकल्प पर सदन द्वारा लिया गया विनिश्चय प्रमुख सचिव द्वारा राज्य सरकार और संसद के सदन जहां से राज्य सरकार द्वारा संसूचना प्राप्त की गयी थी, के यथास्थिति सचिव या महासचिव को संसूचित किया जाएगा।

## CHAPTER XIII

### Motion

**119. Discussion on a matter of public interest.**— Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker.

**120. Notice of motion.**— Notice of a motion shall be given in writing addressed to the Principal Secretary.

**121. Conditions of admissibility of motion.**— In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall raise substantially one definite issue;
- (ii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;
- (iii) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity;
- (iv) it shall be restricted to a matter of recent occurrence;
- (v) it shall not raise a question of privilege;
- (vi) it shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session;
- (vii) it shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session;
- (viii) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;
- (ix) if it contains a statement, the member shall make himself responsible for the accuracy of the statement;
- (x) it shall not seek discussion on a paper or document laid on the Table of the House by a private member;
- (xi) it shall not ordinarily relate to matters which are under consideration of a Parliamentary Committee;
- (xii) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition;

## अध्याय 13

### प्रस्ताव

**119. लोक-हित के किसी विषय पर चर्चा.-** संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

**120. प्रस्ताव की सूचना.-** प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और प्रमुखसचिव को संबोधित होगी।

**121. प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें.-** कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्:-

- (1) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जाएगा;
- (2) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होगा;
- (3) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निदेश नहीं होगा;
- (4) वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निबन्धित रहेगा;
- (5) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;
- (6) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो;
- (7) उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो;
- (8) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो;
- (9) यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होना पड़ेगा;
- (10) उसमें गैर सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज अथवा पत्र पर चर्चा की मांग नहीं की जायेगी;
- (11) सामान्यतया वह किसी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित नहीं होगा;
- (12) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा;

- (xiii) it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the State Government;
- (xiv) it shall not raise matters under the control of bodies or persons not primarily responsible to the State Government;
- (xv) it shall not relate to a matter with which a Minister is not officially concerned;
- (xvi) it shall not refer to or seek disclosure of information about matters which are in their nature secret such as Cabinet discussions or advice given to the Governor in relation to any matter in respect of which there is a constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information; and
- (xvii) it shall not relate to a trivial matter.

**122. Speaker to decide admissibility of motion.**— The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

**123. Motion for raising discussion on matters before tribunals, commissions, etc.**— No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

**123A. Publication of admitted motions.**— If the Speaker admits the notice of a motion and no date is fixed for the discussion of such motion, it shall be notified in the Bulletin with the heading "No-Day-Yet-named Motions".

- (13) वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय न हो;
- (14) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो;
- (15) उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन सम्बन्धित न हो;
- (16) उसमें ऐसे विषयों के बारे में निर्देश नहीं किया जायेगा या उनके बारे में जानकारी प्रकट करने की मांग नहीं की जायेगी जो गोपनीय स्वरूप के हों, जैसे मंत्रिमण्डल में की जाने वाली चर्चाएं या राज्यपाल को किसी ऐसे विषय के बारे में दी गई मंत्रणा जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित रूढ़िगत दायित्व हो; और
- (17) वह किसी तुच्छ विषय से सम्बन्धित नहीं होगा।

**122. अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करेगा.-** अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

**123. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा उठाने के लिए प्रस्ताव.-** साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो:

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

**123का. गृहीत प्रस्तावों का प्रकाशन.-** यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना ग्रहण कर ले और ऐसे प्रस्ताव की चर्चा के लिये कोई तिथि निश्चित न की जाये तो वह सूचना विधान सभा समाचार में, “अनियत दिन वाले प्रस्ताव” शीर्षक के साथ अधिसूचित किया जायेगा।

**124. Allotment of time and discussion of motions.**— The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion.

**125. Speaker to put question at the appointed time.**— The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the original question.

**125A. Time limit for speeches.**—The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

**126. Discussion of Reports, etc.**— In any session or sessions of the House, the House shall discuss every year such of the following reports, etc. as have been laid on the Table of the House, on the recommendation of the Business Advisory Committee, namely:—

- (a) Annual Report of the Rajasthan Public Service Commission;
- (b) Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (c) Report of the Lokayukta and the Up-Lokayukta;
- (d) The Annual Accounts and Reports of the following:—
  - (1) Rajasthan State Road Transport Corporation;
  - (2) Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd., alongwith the Annual Financial Statement thereof;
  - (3) Rajasthan State Transmission corporation Ltd., alongwith the Annual Financial Statement thereof;
  - (4) Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd., alongwith the Annual Financial Statement thereof;
  - (5) Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd., alongwith the Annual Financial Statement thereof;
  - (6) Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd., alongwith the Annual Financial Statement thereof;

**124. समय का नियतन और प्रस्तावों पर चर्चा.-** अध्यक्ष, सदन के कार्य की स्थिति विचार करने के बाद और सदन के नेता के परामर्श से, ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।

**125. अध्यक्ष निश्चित समय पर प्रश्न रखेगा.-** अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन, नियत दिनों के अन्तिम दिन निश्चित समय पर मूल प्रश्न पर सदन का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

**125का. भाषणों के लिए समय सीमा.-** अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिए समय सीमा विहित कर सकेगा।

**126. रिपोर्ट आदि पर चर्चा.-** सदन के किसी सत्र या सत्रों में निम्नलिखित रिपोर्ट आदि पर, जैसी कि सदन के पटल पर रखी जाये, प्रत्येक वर्ष कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर चर्चा की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन;
- (ख) आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिवेदन;
- (ग) लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त का प्रतिवेदन;
- (घ) निम्नलिखित के वार्षिक लेखे और रिपोर्ट:-
  - (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम;
  - (2) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड; वार्षिक वित्तीय विवरण सहित
  - (3) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड; वार्षिक वित्तीय विवरण सहित
  - (4) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; वार्षिक वित्तीय विवरण सहित
  - (5) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; वार्षिक वित्तीय विवरण सहित
  - (6) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; वार्षिक वित्तीय विवरण सहित

RAJASTHAN VIDHAN SABHA-RULES OF PROCEDURE

---

- (7) Rajasthan Small Scale Industries Corporation;
- (8) Rajasthan Financial Corporation;
- (9) Rajasthan State Agro-Industries Corporation;
- (10) Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation;
- (11) Rajasthan State Mines and Minerals Ltd.;
- (12) Rajasthan Housing Board;
- (13) Rajasthan Co-operative Dairy Federation;
- (14) Rajasthan State Tanneries Ltd.;
- (15) Rajasthan State Text Book Board;

Provided that the Speaker may, on the advice of the Business Advisory Committee, include for discussion during a particular year any other Board, Corporation or Public Undertaking in the above list.

- (7) राजस्थान लघु उद्योग निगम;
- (8) राजस्थान वित्त निगम;
- (9) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम;
- (10) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम;
- (11) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड;
- (12) राजस्थान आवासन बोर्ड;
- (13) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन;
- (14) राजस्थान स्टेट टैनरीज लि.;
- (15) राजस्थान राज्य पाठ्य-पुस्तक मण्डल:

परन्तु अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति की राय से किसी अन्य बोर्ड, निगम या लोक उपक्रम को किसी वर्ष विशेष के दौरान चर्चा के लिये उक्त सूची में सम्मिलित कर सकेगा।

## CHAPTER XIV

### Discussion on matters of urgent public importance for short duration

**127. Notice of raising discussion.**— Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Principal Secretary specifying clearly and precisely the matter to be raised:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising discussion on the matter in question:

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members.

**128. Speaker to decide admissibility and allotment of time.**— (1) If the Speaker is satisfied, after calling for such information from the member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the House at an early date, he may admit the notice:

Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter, the Speaker may refuse to admit the notice.

(2) The Speaker may allot two sittings in a week on which such matters may be taken up for discussion and allow such time for discussion not exceeding one hour at or before the end of the sitting, as he may consider appropriate in the circumstances.

**129. No formal motion.**— There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply briefly. Any member who has previously intimated to the Speaker, may be permitted to take part in the discussion.

**130.** Deleted.

## अध्याय 14

### अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा

**127. चर्चा उठाने की सूचना.-** अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर प्रमुख सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा:

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी:

परन्तु यह भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा।

**128. अध्यक्ष ग्राह्यता और समय का नियतन विनिश्चित करेगा.-**

(1) यदि अध्यक्ष का सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि विषय अविलम्बनीय है और सदन में जल्दी ही उठाए जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा:

परन्तु यदि विषय पर चर्चा के लिये अन्यथा रूप से शीघ्र ही अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष एक सप्ताह में दो बैठकें नियत कर सकेगा जिनमें बैठक के अन्त में या उसकी समाप्ति से पूर्व ऐसे विषय चर्चा के लिए लिये जा सकेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की जितनी कि वह उन परिस्थितियों में ठीक समझे, जो एक घंटे से अधिक नहीं होगा, अनुमति दे सकेगा।

**129. कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा.-** सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री थोड़े में उत्तर देगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

**130. विलोपित किया गया।**

## CHAPTER XV

### Calling attention to matters of urgent public importance

**131. Notice of calling attention.**— Any member desirous of calling attention of a Minister to a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Principal Secretary giving three copies of the notice, specifying clearly and precisely the matter to be raised.

**131A. Conditions of admissibility of motion.**— In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:-

- (i) it relates to a specific matter of recent occurrence;
- (ii) it is of grave public importance requiring the immediate intervention of the State Government;
- (iii) it does not assail or question decided issues of public policy but it may seek to discuss the implementation thereof;
- (iv) it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session;
- (v) it shall not relate to a matter which has been previously appointed for discussion or is likely to be brought before the House within a reasonable time;
- (vi) it shall not raise a question of privilege;
- (vii) it shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;
- (viii) it shall not raise any question which under the Constitution or these rules can be raised only on a distinct motion by notice given in writing to the Principal Secretary;
- (ix) it does not seek to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial function or any commission or court of enquiry;

## अध्याय 15

### अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण

**131. ध्यानाकर्षण की सूचना.-** कोई सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हो, उठाये जाने वाले विषय को स्पष्टतः और संक्षिप्ततः सूचना में विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमुखसचिव को उसकी तीन प्रतियां देते हुए लिखित सूचना दे सकेगा।

**131का. प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें.-** कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये उसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायेंगी, अर्थात्:-

- (1) यह हाल ही की किसी घटना के विनिर्दिष्ट विषय से संबंधित है;
- (2) वह गम्भीर लोक महत्व का है जिसमें राज्य सरकार का तुरन्त हस्तक्षेप करना अपेक्षित है;
- (3) वह लोक नीति के विनिश्चित मुद्दों पर आक्षेप या प्रश्न न करता हो किन्तु उसमें उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की जा सकेगी;
- (4) उसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा पुनः नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है;
- (5) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो चर्चा के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो या जिसे युक्तियुक्त समय के भीतर सदन के समक्ष लाये जाने की सम्भावना हो;
- (6) वह किसी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठायेगा;
- (7) उसमें किसी ऐसे विषय की चर्चा नहीं होगी जो भारत के किसी भी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयाधीन हो;
- (8) वह किसी ऐसे प्रश्न को नहीं उठायेगा जिसे प्रमुखसचिव को लिखित सूचना देकर संविधान या इन नियमों के अधीन किसी सुभिन्न प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है;
- (9) उसमें न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी कानूनी अधिकरण या कानूनी प्राधिकरण या किसी आयोग या जांच न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी विषय पर चर्चा करना नहीं चाहा गया हो:

Provided that the Speaker may, in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory authority, commission or court of enquiry.

**131B. Procedure of calling attention.**— (1) The Speaker, may, before deciding admissibility of the motion, call for such information from the member, who has given notice, as he may consider necessary. He may also ascertain, in writing, facts of the case from the Minister.

(2) After the motion has been put on the list of business, immediately after the questions and before the list of business is entered upon, the member who has given notice of the motion, may, while calling the attention of the Minister, read his motion and the Minister shall make a statement. Thereafter the member who has given notice and any other member who has given previous intimation to the Speaker, may seek clarification from the Minister, but no debate shall follow.

**131C. Limit of motions.**— Not more than two calling attention notices shall ordinarily be admitted at the same sitting, but in the event of more than one such notice being admitted, the relative priority shall be determined by the Speaker.

परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से किसी ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे कानूनी प्राधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा ऐसे विषय पर विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

**131खा. ध्यानाकर्षण प्रक्रिया.-** (1) अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करने से पहले सूचना देने वाले सदस्य से ऐसी सूचना मांग सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे। वह मामले के तथ्यों को मंत्री से लिखित में सुनिश्चित भी कर सकेगा।

(2) प्रस्ताव को कार्य-सूची पर लिये जाने के बाद वह सदस्य, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी है, प्रश्नों के तुरन्त पश्चात् और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले मंत्री का ध्यान आकर्षित करते समय अपने प्रस्ताव का वाचन करेगा और मंत्री वक्तव्य देगा। उसके बाद वह सदस्य जिसने सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य जिसने अध्यक्ष को पूर्व प्रज्ञापना दी है मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकते हैं परन्तु कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

**131गा. प्रस्तावों की सीमा.-** सामान्यतः एक ही बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा, किन्तु एक से अधिक ऐसी सूचनाओं को ग्रहण कर लेने की दशा में उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जायेगी।

## CHAPTER XVI

### **Motion of No Confidence in Council of Ministers/ Motion of Confidence in Council of Ministers and Statement by Minister who has resigned**

#### **132. Motion of No-Confidence in Council of Ministers.—**

(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely:-

- (a) leave to move the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon;
- (b) the member asking for leave shall, before the commencement of the sitting for that day, give to the Principal Secretary a written notice of the motion which he proposes to move.

(2) If the Speaker is of the opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than one-fifth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such day, not being more than ten clear days from the date on which the leave is asked for, as he may appoint. If less than one-fifth of the total number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

(3) If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.

(4) The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

#### **132A. A Motion of Confidence in Council of Ministers.—**

There may be a Motion of Confidence for expressing confidence in Council of Ministers:

Provided that if there is a notice of a Motion expressing No-Confidence in Council of Ministers, then the Motion received expressing confidence in Council of Ministers, shall get precedence over the Motion of No-Confidence.

## अध्याय 16

### मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव/मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव और पदत्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य

**132. मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव.-** (1) मंत्री परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निबन्धनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले मांगनी होगी;
- (ख) अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पहले प्रमुखसचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी।

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सदन में प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा और यदि तदनुसार सदस्यों की समग्र संख्या के कम से कम पांचवें भाग के सदस्य खड़े हो जाएं तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो अनुमति मांगने के दिन से पूरे दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि समग्र संख्या के पांचवें भाग से कम संख्या में खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है।

(3) यदि उप-नियम (2) के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष, सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।

(4) अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों में से अन्तिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सदन का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

**132का. मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव.-** मंत्री परिषद् में विश्वास प्रकट किये जाने का प्रस्ताव भी किया जा सकेगा:

परन्तु यदि मंत्री परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने सम्बन्धी प्रस्ताव की भी सूचना नियम 132 में प्राप्त हो, तो मंत्री परिषद् में विश्वास व्यक्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तिता होगी।

**133. Statement by Minister who has resigned.**— (1) A member who has resigned the office of Minister may, with the consent of the Speaker, make personal statement in explanation of his resignation.

(2) A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made:

Provided that in the absence of a written statement, the points or the gist of such statement shall be conveyed in writing to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made.

(3) Such statement shall be made after the questions and before the list of business for the day is entered upon.

(4) There shall be no debate on such statement but after it has been made, a Minister may make a statement pertinent thereto.

**133. मंत्री का वक्तव्य जिसने पद त्याग किया हो.-** (1) जो सदस्य मंत्री पद का त्याग कर दे वह, अध्यक्ष की सम्मति से, अपने पदत्याग के स्पष्टीकरण के लिये व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा।

(2) जिस दिन वक्तव्य दिया जावे उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन के नेता को भेजी जावेगी:

परन्तु लिखित वक्तव्य की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बात या उसका सार अध्यक्ष और सदन के नेता को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उसके एक दिन पहले, लिखित में भेजा जावेगा।

(3) ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले दिया जायेगा।

(4) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु उसके दिये जाने के बाद कोई भी मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेगा।

## CHAPTER XVII

### Resolution for removal of Speaker or Deputy Speaker from office

**134. Notice of a resolution for removal of Speaker or Deputy Speaker.**— (1) A member wishing to give notice of a resolution under clause (c) of Article 179 of the Constitution, for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker shall do so in writing to the Secretary.

(2) On receipt of a notice under sub-rule (1), a motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned, on a day fixed by the Speaker, provided that the day so fixed shall be any day after fourteen clear days and before twenty one clear days from the date of the receipt of notice of the resolution.

**135. Leave of House to take up resolution.**— (1) Subject to the provisions of Article 181 of the Constitution, the Speaker or the Deputy Speaker or such other person as is referred to in clause (2) of Article 180 of the Constitution shall preside when a motion under sub-rule (2) of rule 134 is taken up for consideration.

(2) The member in whose name the motion stands in the list of business shall, except when he wishes to withdraw it, move the motion when called upon to do so, but no speech shall be permitted at this stage.

(3) The Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall thereupon place the motion before the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places. If not less than one-fifth of the total number of members rise accordingly, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall declare that leave has been granted and that the resolution will be taken up on such day, not being more than ten days from the date on which leave is asked for, as he may appoint. If less than one-fifth of the total number of members rise, the Speaker or the Deputy Speaker or the person then presiding, as the case may be, shall inform the member that he has not the leave of the House.

## अध्याय 17

### अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिये संकल्प

#### 134. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संकल्प की सूचना.-

(1) कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत किसी संकल्प की सूचना देना चाहे तो वह उसे लिखित रूप में सचिव को देगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये किसी दिन की कार्य-सूची में सम्बन्धित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जायेगा, परन्तु उस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से पूरे चौदह दिन बाद और पूरे इक्कीस दिन से पहले का कोई दिन होगा।

135. संकल्प को लेने के लिये सदन की अनुमति.- (1) संविधान के अनुच्छेद 181 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब नियम 134 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव विचार के लिये लिया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा।

(2) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह, सिवाय उस दशा में जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा किन्तु इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति, उसके बाद प्रस्ताव को सदन के सामने रखेगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा। यदि तदनुसार सदस्यों की समग्र संख्या के कम से कम पांचवें भाग के सदस्य खड़े हो जायें तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति कहेगा कि अनुमति दी गई है और यह कि संकल्प किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो वह नियत करे और जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि समग्र संख्या के पांचवें भाग से कम संख्या में सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति यथास्थिति, सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है।

**136. Inclusion of resolution in the list of business.**— On the appointed day, the resolution shall be included in the list of business to be taken up after the questions and before any other business for the day is entered upon.

**137. Time limit for speeches.**— Except with the permission of the Speaker or the person presiding, a speech on the resolution shall not exceed fifteen minutes in duration :

Provided that the mover of the resolution when moving the same may speak for such longer time as the Speaker or the person presiding may permit.

**136. कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना.-** संकल्प नियत दिन की कार्य-सूची में प्रश्न के घंटे के बाद और उस दिन का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पहले विचार के लिये सम्मिलित किया जायेगा।

**137. भाषणों के लिये समय सीमा.-** किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना, पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी :

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय इतने अधिक समय तक भाषण दे सकेगा जितने की अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति अनुज्ञा दे।

## CHAPTER XVIII

### Procedure in Financial Matters

#### (a) The Budget

**138. The Budget.**— The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the State in respect of each financial year (hereinafter referred to as "the Budget") shall be presented to the House on such day as the Governor may direct.

**139. Budget not to be discussed on presentation.**— There shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to the House.

#### (b) Demands for Grants

**140. Demands for Grants.**— (1) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

(2) A separate demand shall ordinarily be made in respect of the grant proposed for each department, provided that the Finance Minister may include in one demand grants proposed for two or more departments or make a demand in respect of expenditure which cannot readily be classified under particular departments.

(3) Each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items.

(4) The Budget shall be presented to the House in such form as the Finance Minister may, after considering the suggestions, if any, of the Estimates Committee, settle.

**141. Discussion of Budget.**— The Budget shall be dealt with by the Assembly in two stages, namely :-

- (i) A general discussion, and
- (ii) the voting of demands for grants.

**142. General discussion on the Budget.**— (1) On a day or days to be appointed by the Speaker subsequent to the day on which the Budget is presented and for such time as the Speaker may allot for this purpose, the House shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein, but no motion shall be moved nor shall the Budget be submitted to the vote of the House.

## अध्याय 18

### वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

#### (क) आय-व्ययक

**138. आय-व्ययक.-** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् 'आय-व्ययक' कहा गया है) सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जायेगा जैसा कि राज्यपाल निदेश दे।

**139. उपस्थापन पर आय-व्ययक पर चर्चा न होना.-** आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन कि वह सदन में उपस्थापित किया जाये।

#### (ख) अनुदानों की मांगें

**140. अनुदानों की मांगें.-** (1) राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान के लिये कोई मांग नहीं की जायेगी।

(2) प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्तावित अनुदान के सम्बन्ध में साधारणतया एक पृथक मांग की जायेगी, परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिए प्रस्थापित अनुदानों को एक मांग में सम्मिलित कर सकेगा या, ऐसे व्यय के सम्बन्ध में एक मांग कर सकेगा, जिसका वर्गीकरण विशेष विभागों के अन्तर्गत सहज में न किया जा सके।

(3) प्रत्येक मांग में पहले समस्त प्रस्थापित अनुदान का विवरण और उसके बाद मदों में विभाजित प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत विस्तृत प्राक्कलन का विवरण होगा।

(4) आय-व्ययक सदन के सामने ऐसे रूप में उपस्थापित किया जायेगा जो वित्त मंत्री प्राक्कलन समिति के सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद, तय करे।

**141. आय-व्ययक पर चर्चा.-** आय-व्ययक पर सभा द्वारा चर्चा निम्नलिखित दो प्रक्रमों में होगी, अर्थात् :-

(1) सामान्य चर्चा एवं

(2) अनुदानों की मांगों पर मतदान

**142. आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.-** (1) जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले दिन या दिनों, और उतने समय के लिये, जितना कि अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए नियत करे, सदन आय-व्ययक पर सम्पूर्ण रूप से या उसमें अन्तर्गस्त सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगा, किन्तु कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा।

(2) The Finance Minister shall have a general right of reply at the end of the discussion.

**143. Arrangement of demands.**— The demands for grants shall be arranged in such order as the Leader of the House may, after the advice of the Business Advisory Committee has been taken into consideration, determine.

**144. Voting of demands for grants.**— (1) The House shall, on the recommendation of the Business Advisory Committee, allot so many days as may be adequate for the discussion and voting of demands for grants.

(2) On the last day of the allotted days, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the demands for grants.

(3) Motions may be moved to reduce any demand for grant.

(4) No amendments to motions to reduce any demand for grant shall be permissible.

(5) When several motions relating to the same demand for grant are offered, they shall be discussed in the order in which the heads to which they relate appear in the Budget.

**145. Cut motions.**— A motion may be moved to reduce the amount of a demand in any of the following ways :-

- (a) 'that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/-,' representing disapproval of the policy underlying the demand. Such a motion shall be known as 'Disapproval of Policy Cut'. A member giving notice of such a motion shall indicate in precise terms the particulars of the policy which he proposes to discuss. The discussion shall be confined to the specific point or points mentioned in the notice and it shall be open to members to advocate an alternative policy;

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा।

**143. मांगों का विन्यास.-** अनुदानों की मांगें ऐसे क्रम में रखी जायेंगी जो सदन के नेता, कार्य सलाहकार समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात् निश्चित करे।

**144. अनुदानों की मांगों पर मतदान.-** (1) सदन, कार्य सलाहकार समिति के परामर्श से अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये उतने दिन नियत करेगा जितने उसके लिये पर्याप्त हों।

(2) अध्यक्ष नियत दिनों के अन्तिम दिन अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

(3) किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(4) किसी अनुदान की मांग को कम करने के प्रस्तावों में संशोधन की अनुज्ञा नहीं होगी।

(5) जब एक ही अनुदान की मांग से सम्बन्धित कई प्रस्ताव दिये जायें तब उन पर उस क्रम में चर्चा होगी जिसमें कि उनसे सम्बन्धित शीर्ष आय-व्ययक में दिये हों।

**145. कटौती प्रस्ताव.-** किसी मांग की राशि कम करने के लिये निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :-

(क) 'कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये' - मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये ऐसा प्रस्ताव 'नीति अननुमोदन कटौती' कहा जायेगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य उस नीति का ब्यौरा सुतथ्यतया दर्शायेगा जिस पर वह चर्चा करना चाहता हो। चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे;

- (b) 'that the amount of the demand be reduced by a specified amount' representing the economy that can be effected. Such specified amount may be either a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand. The motion shall be known as 'Economy Cut'. The notice shall indicate briefly and precisely the particular matter on which discussion is sought to be raised and speeches shall be confined to the discussion as to how economy can be effected;
- (c) 'that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-' in order to ventilate specific grievance which is within the sphere of the responsibility of the Government. Such a motion shall be known as 'Token Cut' and the discussion thereon shall be confined to the particular grievance specified in the motion.

**146. Conditions of admissibility of cut motions.**— In order that a notice of motion for reduction of the amount of demand may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely :-

- (i) it shall relate to one demand only;
- (ii) it shall be clearly expressed and shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statement;
- (iii) it shall be confined to one specific matter which shall be stated in precise terms;
- (iv) it shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;
- (v) it shall not make suggestions for the amendment or repeal of existing laws;
- (vi) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the State Government;
- (vii) it shall not relate to expenditure charged on the Consolidated Fund of the State;

- (ख) 'कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाये' जो की जा सकने वाली मितव्ययता का प्रतीक हो। ऐसी उल्लिखित राशि या तो मांग में से एकमुश्त घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी या मांग की किसी मद का विलोपन अथवा उसमें घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी ऐसा प्रस्ताव 'मितव्ययता कटौती' कहा जायेगा। सूचना में संक्षेप में और सुतथ्यतया वह विशेष विषय दर्शाया जायेगा, जिस पर चर्चा उठानी हो और भाषण इस बात की चर्चा करने के लिये ही सीमित होंगे कि मितव्ययता कैसे की जा सकती है।
- (ग) 'कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाये' ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिये जो सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो। ऐसा प्रस्ताव 'सांकेतिक कटौती' कहा जायेगा और उस पर चर्चा प्रस्ताव में उल्लिखित विशेष शिकायत तक ही सीमित होगी।

**146. कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्तें:-** मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :-

- (1) उसका सम्बन्ध केवल एक मांग से होगा;
- (2) वह स्पष्टतया व्यक्त की जायेगी और उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;
- (3) वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायेगा;
- (4) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;
- (5) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिये सुझाव नहीं दिये जायेंगे;
- (6) वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतया सरकार का विषय न हो;
- (7) उसका किसी ऐसे व्यय से सम्बन्ध नहीं होगा जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित हो;

- (viii) it shall not relate to a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;
- (ix) it shall not raise a question of privilege;
- (x) it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session and on which a decision has been taken;
- (xi) it shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration in the same session;
- (xii) it shall not ordinarily seek to raise a discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter :

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry; and

- (xiii) it shall not relate to a trivial matter.

**147. Speaker to decide admissibility of cut motions.—**

The Speaker shall decide whether a cut motion is or is not admissible under these rules and may disallow any cut motion when in his opinion it is an abuse of the right of moving cut motions or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

**148. Notice of cut motion.—**

If notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given two days previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

- (8) उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो;
- (9) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;
- (10) उसमें ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चय किया जा चुका हो;
- (11) उसमें उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जो विचार के लिये उसी सत्र में पहले ही नियत किया जा चुका हो;
- (12) उसमें साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठाई जायेगी जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के, या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेगा, जो जांच की प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से सम्बन्धित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है; और

- (13) उसका सम्बन्ध तुच्छ विषय से नहीं होगा।

**147. अध्यक्ष कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता विनिश्चित करेगा.-**

अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई कटौती प्रस्ताव इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

**148. कटौती प्रस्ताव की सूचना.-**

यदि किसी मांग के अनुदान को कम करने के प्रस्ताव की उस दिन से दो दिन पूर्व सूचना न दी गई हो, जिस दिन कि वह मांग विचाराधीन हो, तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

**148A. Limit of cut motions.**— No member shall give notice of more than five motions to reduce any demand for grant unless otherwise permitted by the Speaker.

**149. Presentation of budget in parts.**— Nothing here-in-before contained shall be deemed to prevent the presentation of the Budget to the House in two or more parts and when such presentation takes place, each part shall be dealt with in accordance with these rules as if it were the Budget.

**150. Vote on Account.**— (1) A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion.

(2) Amendments may be moved for the reduction of the whole grant or for the reduction or omission of the items whereof the grant is composed.

(3) Discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendments moved thereto, but the details of the grants shall not be discussed further than is necessary to develop the general points.

(4) In other respects, a motion for vote-on-account shall be dealt with in the same way as if it were a demand for grant.

**151. Supplementary, additional, excess and exceptional grants and votes of credit.**— Supplementary, additional, excess and exceptional grants and votes of credit shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants, subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may deem to be necessary or expedient.

**152. Scope of discussion on supplementary grants.**— The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

**153. Token grant.**—When funds to meet proposed expenditure on a new service can be made available by re-appropriation, a demand for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the House and, if the House assents to the demand, funds may be so made available.

**148का. कटौती प्रस्तावों की सीमा.-** जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा अनुज्ञा न दें, कोई भी सदस्य किसी एक मांग के अनुदान को कम करने के पांच से अधिक कटौती प्रस्तावों की सूचना नहीं देगा।

**149. आय-व्यय का भागों में उपस्थापन.-** इससे पहले अन्तर्विष्ट किसी नियम को सदन में आय-व्यय के दो या अधिक भागों में उपस्थापित किये जाने से रोकने वाला नहीं समझा जायेगा और जब ऐसा उपस्थापन हो तो प्रत्येक भाग पर इन नियमों के अनुसार उस प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसा कि वह आय-व्यय हो।

**150. लेखानुदान.-** (1) लेखानुदान के प्रस्ताव में समस्त अपेक्षित राशि बतायी जायेगी और प्रत्येक विभाग या व्यय की मद के लिये आवश्यक विभिन्न धनराशियां, जिनसे वह राशि बनी है, प्रस्ताव से संलग्न अनुसूची में बताई जायेंगी।

(2) सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिये या जिन मदों से मिलकर अनुदान हो, उनको कम करने या निकाल देने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(3) प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तावित किये गये संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति होगी, किन्तु अनुदान के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि सामान्य विषयों को बताने के लिये आवश्यक हो।

(4) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्यवाही की जावेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो।

**151. अनुपूरक, अपर, अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्ययानुदान.-** अनुपूरक, अपर, अतिरिक्त और अपवाद अनुदान, तथा प्रत्ययानुदान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो चाहे रूप भेद के हों या कुछ अंश जोड़ कर या निकालकर बनाये गये हों, जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक या वांछनीय समझे, उसी प्रक्रिया से विनियमित होंगे जो अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में लागू होती है।

**152. अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की व्याप्ति.-** अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों, और जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।

**153. सांकेतिक अनुदान.-** जब किसी नई सेवा पर प्रस्थापित व्यय के लिये पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके, तो कोई सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग सदन के मतदान के लिये रखी जा सकेगी, और यदि सदन मांग की अनुमति दे दे तो धन इस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा।

**153A. Discussion on charged appropriations.**— The House may, on the advice of the Business Advisory Committee, allot time for the discussion of charged appropriations appearing in the Budget documents alongwith the demands for grants.

**(c) Appropriation Bill**

**154. Appropriation Bill.**— (1) Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary.

(2) At any time after the introduction in the House of an Appropriation Bill, the Speaker may allot a day or days, jointly or severally, for the completion of all or any of the stages involved in the passage of the Bill by the House, and when such allotment has been made, the Speaker shall at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the day or days have been allotted.

(3) Deleted.

(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration.

(5) The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance.

(6) If an Appropriation Bill is in pursuance of Supplementary grant in respect of an existing service, the discussions shall be confined to the items constituting the same, and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it save in so far as it may be necessary to explain or illustrate a particular item under discussion.

**153का. प्रभूत विनियोगों पर चर्चा.-** सदन, कार्य सलाहकार समिति के परामर्श से बजट के दस्तावेजों में अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत किये प्रभूत विनियोगों पर चर्चा के लिये समय आबंटित कर सकेगा।

**(ग) विनियोग विधेयक**

**154. विनियोग विधेयक.-** (1) संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया ऐसे रूप भेदों के साथ जैसे अध्यक्ष आवश्यक समझे, वही होगी जो सामान्यतया विधेयकों के लिये होती है।

(2) सदन में विनियोग विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष सदन द्वारा विधेयक के पारण में अन्तर्गस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिये संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक या कई दिन नियत कर सकेगा, और जब ऐसा नियतन किया जा चुका हो तो अध्यक्ष यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों के अन्तिम दिन निश्चित समय पर उस प्रक्रम या प्रक्रमों के सम्बन्ध में, जिनके लिये एक या कई दिन नियत किये गये हों, सभी अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

(3) विलोपित किया गया।

(4) विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक-महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासनिक नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जब कि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं।

(5) अध्यक्ष वाद-विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से, विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों द्वारा उन विशिष्ट विषयों की पूर्व सूचना दिये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वे उठाना चाहते हों, और वह ऐसे विषयों को उठाने के लिये अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की मांग के सम्बन्ध में चर्चा किये गये विषयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों।

(6) यदि विनियोग विधेयक किसी वर्तमान सेवा के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदान के अनुसरण में हो तो चर्चा केवल उन्हीं मदों तक सीमित रहेगी जिनसे वह अनुदान बना हो और जहां तक चर्चाधीन खास मद की व्याख्या करने या उसे स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदान पर या उससे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।

**(d) Finance Bill**

**154A. Finance Bill.**— (1) In this rule "Finance Bill" means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of Rajasthan for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period.

(2) At any time after the introduction in the House of a Finance Bill, the Speaker may allot a day or days, jointly or severally for the completion of all or any of the stages involved in the passage of the Bill by the House, and when such allotment has been made, the Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the day or days have been allotted :

Provided that if a Minister has a right of reply to the debate on the motion which is under discussion at the appointed hour on that day and has not commenced his reply at that hour, the Speaker shall inquire how much time, not exceeding one hour he requires for his reply, and shall call upon any member for the time being addressing the House to resume his seat at such time as will leave available before the appointed hour the amount of time which the Minister has stated that he requires for his reply.

(3) Where the question or one of the questions required by sub-rule (2) to be put at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days is that the Bill be passed, sub-rule (2) shall have effect notwithstanding that amendments to the Bill have been made.

(4) Deleted.

(5) On a motion that the Finance Bill be taken into consideration, a member may discuss matters relating to general administration, local grievances within the sphere of the responsibility of Government of Rajasthan or monetary or financial policy of Government.

**(घ) वित्त विधेयक**

**154का. वित्त विधेयक.-** (1) इस नियम में “वित्त विधेयक” का तात्पर्य ऐसे विधेयक से है जो साधारणतया प्रत्येक वर्ष राजस्थान सरकार की अगले वित्तीय वर्ष के लिये वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है तथा उसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्थापनों को प्रभावी करने का विधेयक सम्मिलित है।

(2) सदन में वित्त विधेयक के पुरःस्थापन के बाद किसी भी समय अध्यक्ष विधेयक के सदन द्वारा पारण में अन्तर्गस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से या, अलग-अलग एक या अधिक दिन नियत कर सकेगा और जब ऐसा नियतन कर दिया गया हो तो अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों के अन्तिम दिन निश्चित समय पर प्रक्रम या प्रक्रमों के सम्बन्ध में जिनके लिये एक या अधिक दिन नियत किये गये हैं सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा :

परन्तु यदि किसी मंत्री को उस प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देने का अधिकार हो जो उस दिन निश्चित समय पर चर्चाधीन हो और यदि उसने उस समय अपना उत्तर देना प्रारम्भ नहीं किया हो तो अध्यक्ष उससे यह पूछेगा कि उसे अपना उत्तर देने के लिए कितने समय की, जो एक घंटे से अधिक नहीं होगा, आवश्यकता है और तत्समय सदन को सम्बोधित करने वाले किसी भी सदस्य को ऐसे समय अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहेगा जिससे निश्चित समय से पहले उतना समय उपलब्ध रहे जितना मंत्री ने कहा है कि उसे अपने उत्तर के लिए चाहिए।

(3) जब उप-नियम (2) के अनुसार नियत दिन या नियत दिनों के अन्तिम दिन निश्चित समय पर रखे जाने वाला प्रश्न या प्रश्नों में से एक प्रश्न यह हो कि विधेयक को पारित किया जाये तो इस बात के होते हुए भी कि विधेयक में संशोधन किए गए हैं, उप-नियम (2) प्रभावी होगा।

(4) विलोपित किया गया।

(5) इस प्रस्ताव पर कि वित्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये कोई सदस्य सामान्य प्रशासन, राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली स्थानीय शिकायतों या सरकार की आर्थिक या वित्तीय नीति से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर सकेगा।

(6) In other respects, the rules applicable to Bills in Chapter X of these rules shall apply.

**155. Business that can be taken up on a day allotted for financial business.**— Notwithstanding that a day has been allotted for other business under rule 142, 144 or 154, a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted.

**156. Time limit for disposal of financial business.**— In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business including allotment of time for the disposal of various kinds of such business, and where time is so allotted, he shall, at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted.

**Explanation.**— Financial business includes any business which the Speaker holds as coming within this category under the Constitution.

(6) अन्य प्रकरणों में इन नियमों के अध्याय 10 में विधेयकों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे।

**155. कार्य जो वित्तीय कार्य के लिए नियत किसी दिन लिया जा सकता है.-** इस बात के होते हुए भी नियम 142, 144 या 154 के अन्तर्गत अन्य कार्य के लिए कोई दिन नियत किया जा चुका हो विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किये जा सकेंगे और ऐसे दिन सदन द्वारा वह कार्य प्रारम्भ करने से पहले जिसके लिए वह दिन नियत किया गया हो, विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा।

**156. वित्तीय कार्य को निबटाने के लिये समय सीमा.-** इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किये जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष ऐसी सब शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिये जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निबटाने के लिये नियत समय सम्मिलित है, आवश्यक हो और जब इस तरह समय नियत किया जाये तो वह निश्चित समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से सम्बन्धित, जिनके लिये समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

**व्याख्या.-** वित्तीय कार्य में कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसे अध्यक्ष संविधान के अन्तर्गत इस वर्ग का ठहराये।

## CHAPTER XIX

### Privileges

#### (a) Questions of Privilege

**157. Question of Privilege.**— A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof.

**158. Notice of question of privilege.**— A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Principal Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document.

**159. Conditions of admissibility of the question of privilege.**— The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely :—

- (i) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;
- (ii) the matter requires the intervention of the House.

**160. Mode of raising a question of privilege.**— (1) The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto :

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order :

Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of question.

## अध्याय 19

### विशेषाधिकार

#### (क) विशेषाधिकार के प्रश्न

**157. विशेषाधिकार प्रश्न.-** कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या सदन के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्गस्त हो।

**158. विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना.-** जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार हो, प्रमुख सचिव को देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।

**159. विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें.-** विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

- (1) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;
- (2) विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

**160. विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की रीति.-** (1) अध्यक्ष यदि नियम 157 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा :

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 157 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक समझे, उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और कह सकेगा कि वह सम्मति देने से इंकार करता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता :

परन्तु यह भी कियदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह प्रश्नों के निबटारे जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा।

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than ten members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted. If less than ten members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

**161. Questions of privilege to be considered by House or Committee.**—If leave under rule 160 is granted, the House may consider the question and come to a decision or refer it to the Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member.

**162. Reference of questions of privilege to Committee by Speaker.**— Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report.

**163. Power of Speaker to give directions.**— The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee of Privileges or in the House.

**(b) Intimation to Speaker of arrest, detention, etc. and  
release of a member**

**164. Intimation to Speaker by Magistrate of arrest, detention, etc. of a member.**—When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule.

**165. Intimation to Speaker on release of a member.**— When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule.

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा, और तदनुसार यदि कम से कम दस सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि दस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है।

**161. विशेषाधिकार के प्रश्न पर सदन या समिति द्वारा विचार किया जायेगा.-** यदि नियम 160 के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाती है तो सदन प्रश्न पर विचार कर सकेगा और विनिश्चय कर सकेगा, या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले या किसी अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।

**162. अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना.-** इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा।

**163. अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति.-** अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति में या सदन में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से सम्बन्धित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो आवश्यक हों।

**(ख) सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की**

**अध्यक्ष को सूचना**

**164. दण्डाधिकारी द्वारा सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि की अध्यक्ष को सूचना.-** जब कोई सदस्य कोई दण्ड, दोषारोप या किसी दण्ड अपराध के लिए बन्दी किया जाये या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाये या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जावे, तो यथास्थिति, दण्ड देने वाला न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।

**165. सदस्य की रिहाई पर अध्यक्ष को सूचना.-** जब कोई सदस्य बन्दी किया जाये और दोषसिद्धि के बाद अपील लम्बित होने तक जमानत पर रिहा किया जाये या अन्यथा रिहा किया जाये तो ऐसे तथ्य की सूचना भी सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जाएगी।

**166. Treatment of communications received from Magistrate.**—As soon as may be, the Speaker shall, after he has received a communication referred to in rule 164 or rule 165, read it out in the House if in session, or if the House is not in session, direct that it may be published in the Bulletin for the information of the members :

Provided that if the intimation of the release of a member either on bail or by discharge on appeal is received before the House has been informed of the original arrest, the fact of his arrest or his subsequent release or discharge may not be intimated to the House by the Speaker.

**(c) Procedure regarding service of a legal process and arrest within the precincts of the House**

**167. Arrest within the precincts of House.**— No arrest shall be made within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

**168. Service of legal process.**— A legal process, civil or criminal, shall not be served within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

**166. दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना के साथ व्यवहार.-** नियम 164 या नियम 165 में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र अध्यक्ष उसे सदन में पढ़कर सुनायेगा, यदि वह सत्र में हो, या यदि सदन सत्र में न हो तो निदेश देगा कि वह सदस्यों की जानकारी के लिए विधान सभा समाचार में प्रकाशित कर दी जाये :

परन्तु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सदन को मूल बन्दीकरण की सूचना दी जाने से पहले ही प्राप्त हो जाये तो उसके बन्दीकरण या उसकी बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष चाहे तो सदन को सूचित न करे।

**(ग) सदन की प्रसीमाओं में वैध आदेशों के निर्वहन और बन्दीकरण के बारे में प्रक्रिया**

**167. सदन की प्रसीमाओं में बन्दीकरण.-** सदन की प्रसीमाओं में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, कोई बन्दीकरण नहीं किया जायेगा।

**168. वैध आदेश का निर्वहन.-** सदन की प्रसीमाओं में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, किसी व्यावहारिक अथवा अपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

## CHAPTER XX

### Subordinate Legislation

**169. Laying of regulation, rule, etc. on the Table.**— (1) Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Legislature to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned sine die and later prorogued, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act.

(2) Where the specified period is not so completed, the regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. shall be re-laid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session.

**170. Allotment of time for discussion of amendment.**— The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a day or days or part of a day as he may think fit for the consideration and passing of an amendment to such regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. of which notice may be given by a member :

Provided that notice of the amendment shall be in such form as the Speaker may consider appropriate and shall comply with these rules.

**171. Transmission of amendment.**—After an amendment is passed by the House, it shall be forwarded by the Principal Secretary to the Minister concerned.

**172. Regulation, rule, etc. as amended to be laid on the Table.**— If a regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. is modified in accordance with the amendment passed by the House, the amended regulation, rule, sub-rule, buy-law, etc. shall be laid on the Table.

## अध्याय 20

### अधीनस्थ विधान

**169. विनियम, नियम आदि का मेज पर रखा जाना.-** (1) जब संविधान के या विधान सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधान कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि सदन के सामने रखी जाये, तो संविधान या तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी, जब तक कि संविधान या संगत अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो।

(2) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाये।

**170. संशोधन पर चर्चा के लिये समय का नियतन.-** अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श से, ऐसे विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाये, विचार करने और उसे पारित करने के लिए, एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा :

परन्तु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी, जैसा कि अध्यक्ष समुचित समझे, और उसमें इन नियमों का पालन किया जायेगा।

**171. संशोधन का पहुँचाना.-** संशोधन, सदन द्वारा पारित किये जाने के बाद, प्रमुखसचिव द्वारा सम्बन्धित मंत्री को भेजा जायेगा।

**172. विनियम, नियम आदि संशोधित रूप में मेज पर रखा जाना.-** यदि किसी विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि में सदन द्वारा पारित संशोधन के अनुसार रूप भेद किया जाये तो संशोधित विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि मेज पर रखे जायेंगे।

## CHAPTER XXI

### Resignation and vacation of seats in the House

**173. Resignation of seats in House.**— (1) A member who desires to resign his seat in the House shall intimate in writing under his hand addressed to Speaker his intention to resign his seat in the House in the following form :

"To

The Speaker,

Rajasthan Legislative Assembly,

Jaipur.

Sir,

I hereby tender my resignation of my seat in the House with effect from.....

*Yours faithfully,*

Place.....

Member, Rajasthan Legislative

Date.....

Assembly (*Division Number.....*)"

(2) If a member hands over the letter of resignation to the Speaker personally and informs him that the resignation is voluntary and genuine and Speaker has no information or knowledge to the contrary, the Speaker may accept the resignation immediately.

(3) If the Speaker receives the letter of resignation either by post or through some one else, the Speaker may make such enquiry as he thinks fit to satisfy himself that the resignation is voluntary and genuine. If the Speaker, after making a summary enquiry either himself or through the agency of Assembly Secretariat or through such other agency as he may deem fit, is satisfied that the resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept the resignation.

(4) A member may withdraw his letter of resignation at any time before it is accepted by the Speaker.

## अध्याय 21

### सदन के स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता

**173. सदन के स्थानों का त्याग.-** (1) जो सदस्य सदन के अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह सदन के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्न रूप में देगा :-

“सेवा में,  
अध्यक्ष,  
राजस्थान विधान सभा,  
जयपुर।  
श्रीमान्,

मैं एतद्वारा दिनांक.....से सदन में अपने स्थान से पद त्याग करता हूँ।

स्थान.....

भवदीय

तिथि.....

सदस्य

राजस्थान विधान सभा

(विभाजन संख्या.....)”

(2) यदि कोई सदस्य त्याग-पत्र अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से देता है और उसे सूचित करता है कि त्याग-पत्र स्वेच्छया और वास्तविक है और अध्यक्ष को उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है तो अध्यक्ष तुरन्त त्याग-पत्र स्वीकार कर सकेगा।

(3) यदि अध्यक्ष त्याग-पत्र डाक द्वारा या किसी अन्य की मार्फत प्राप्त करता है तो अध्यक्ष अपना समाधान करने के लिए कि त्याग-पत्र स्वेच्छया और वास्तविक है, ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। यदि अध्यक्ष का या तो स्वयं या विधान सभा सचिवालय की एजेन्सी के मार्फत या किसी ऐसी अन्य एजेन्सी, जो वह ठीक समझे, की मार्फत संक्षिप्त जांच के पश्चात् समाधान हो जाता है कि त्याग-पत्र स्वेच्छया या वास्तविक नहीं है, तो वह त्याग-पत्र स्वीकार नहीं करेगा।

(4) कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने से पूर्व अपना त्याग-पत्र वापस ले सकेगा।

(5) The Speaker shall, as soon as may be after he has accepted the resignation of a member, inform the House that the member has resigned his seat in the House and that he has accepted the resignation.

**Explanation:—** When the House is not in session, the Speaker shall inform the House immediately after the House reassembles.

(6) The Secretary shall, as soon as may be after the Speaker has accepted the resignation of a member, cause the information to be published in the Bulletin and the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused :

Provided that where the resignation is to take effect from a future date, the information shall be published in the Bulletin and the Gazette not earlier than the date from which it is to take effect.

**174. Vacation of seats in House.**—(1) The seat of a member shall be declared vacant under clause (4) of Article 190 of the Constitution on a motion by the Leader of the House or by such other member to whom he may delegate his functions in this behalf.

(2) If the motion referred to in sub-rule (1) is carried, the Principal Secretary shall cause the information to be published in the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused.

(5) अध्यक्ष, किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र सदन को सूचना देगा कि सदस्य ने सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उसने त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

**स्पष्टीकरण :-** जब सदन सत्र में नहीं हो तो अध्यक्ष सदन की फिर से बैठक होने के तुरन्त पश्चात् सदन को सूचित करेगा।

(6) अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के त्याग-पत्र स्वीकार कर लेने के बाद यथासम्भव शीघ्र सचिव इस जानकारी को विधान सभा समाचार और राज-पत्र में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्ति की पूर्ति के हेतु कार्यवाही करने के लिए भेजेगा :

परन्तु जहां पद त्याग किसी भविष्य की तारीख से प्रभावी होना है तो यह जानकारी विधान सभा समाचार और राज-पत्र में उस तारीख से पहले प्रकाशित नहीं की जायेगी जिससे प्रभावी होनी है।

**174. सदन में स्थानों का रिक्त होना.-** (1) संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के अन्तर्गत किसी सदस्य का स्थान सदन के नेता के या किसी ऐसे अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर जिसे वह इस सम्बन्ध में अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन करे, रिक्त घोषित किया जावेगा।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो प्रमुखसचिव यह जानकारी राज-पत्र में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्ति की पूर्ति के हेतु कार्यवाही करने के लिये भेजेगा।

## CHAPTER XXII

### Leave of Absence from the Sittings of the House

**175. Application for leave of absence.**— (1) A member desiring permission of the House to remain absent from the sittings thereof under clause (4) of Article 190 of the Constitution shall make an application in writing to the Speaker.

(2) An application under sub-rule (1) shall specify the period for which leave of absence is required, indicating also the date of commencement and of termination of such leave of absence and grounds for it :

Provided that leave of absence applied for at any one time shall not exceed a period of sixty days.

**176. Decision of House communicated to member.**—The Principal Secretary shall as soon as may be, after a decision has been signified by the House on an application for leave of absence, communicate it to the member.

**177. Lapse of unexpired portion of leave if the member attends House earlier.**— If a member who has been granted leave of absence under these rules attends the session of the House during the period for which the leave of absence has been granted to him, the unexpired portion of the leave from the date of his resumed attendance shall lapse.

## अध्याय 22

### सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

**175. अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र.-** (1) जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के अन्तर्गत सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे वह अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन-पत्र देगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में उस कालावधि का उल्लेख होगा जिसके लिए अनुपस्थिति की अनुमति अपेक्षित हो और उसमें ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि और अनुपस्थिति की अनुमति के आधार भी दर्शाये जायेंगे :

परन्तु किसी एक समय साठ दिन की कालावधि से अधिक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा।

**176. सदन का विनिश्चय सदस्य को संसूचित किया जाएगा.-** अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र के बारे में सदन द्वारा विनिश्चय व्यक्त किये जाने के पश्चात्, यथासम्भव शीघ्र, प्रमुखसचिव उस सदस्य को संसूचित करेगा।

**177. यदि सदस्य पहले सदन में उपस्थित हो जाये तो उसकी छुट्टी के असमाप्त भाग का व्यपगमन.-** यदि कोई सदस्य जिसे इन नियमों के अन्तर्गत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो उस कालावधि के दौरान जिसके लिए उसे अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, सदन के सत्र में उपस्थित हो जाये तो उसकी पुनः उपस्थिति की तिथि से छुट्टी का असमाप्त भाग व्यपगत हो जायेगा।

## **CHAPTER XXIII**

### **Communications between the Governor and the House**

#### **178. Communications from Governor to House.—**

Communications from the Governor to the House shall be made to the Speaker by written message signed by the Governor or, if the Governor is absent from the place of sitting of the House, his message shall be conveyed to the Speaker through a Minister.

#### **179. Communications from House to the Governor.—**

Communications from the House to the Governor shall be made—

- (i) by formal address, after motion made and carried in the House; and
- (ii) through the Speaker.

## अध्याय 23

### राज्यपाल तथा सदन के बीच संवाद

**178. राज्यपाल से सदन को संवाद.-** राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किये हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जायेगा या यदि राज्यपाल सदन की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो, तो उसका संदेश मंत्री की मार्फत अध्यक्ष को भेजा जायेगा।

**179. सदन से राज्यपाल को संवाद.-** सदन से राज्यपाल को संवाद.-

- (1) सदन में प्रस्ताव किये जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समावेदन द्वारा; और
- (2) अध्यक्ष की मार्फत किया जायेगा।

## CHAPTER XXIV

### Committees

#### (a) General

**180. Appointment of Committee.**— (1) The members of a Committee shall be appointed or elected by the House or nominated by the Speaker, as the case may be.

(2) No member shall be appointed to a Committee if he is not willing to serve on it. The proposer shall ascertain whether the member whose name is proposed by him is willing to serve on the Committee.

(3) Casual vacancies in a Committee shall be filled by appointment or election by the House on a motion made, or nomination by the Speaker, as the case may be, and any member appointed, elected or nominated to fill such vacancy shall hold office for the unexpired portion of the term for which the member in whose place he is appointed, elected or nominated would have normally held office.

**180A. Objections to membership of Committee.**—Where an objection is taken to the inclusion of a member in a Committee on the ground that the member has a personal, pecuniary or direct interest of such an intimate character that it may prejudicially affect the consideration of any matters to be considered by the Committee, the procedure shall be as follows :—

- (a) The member who has taken objection shall precisely state the ground of his objection and the nature of the alleged interest, whether personal, pecuniary or direct, of the proposed member in the matters coming up before the Committee;
- (b) after the objection has been stated, the Speaker shall give an opportunity to the member proposed on the Committee, against whom the objection has been taken, to state the position;
- (c) if there is dispute on facts, the Speaker may call upon the member taking objection and the member against whose appointment on the Committee objection has been taken, to produce documentary or other evidence in support of their respective cases;

## अध्याय 24

### समितियां

#### (क) सामान्य

**180. समिति की नियुक्ति.-** (1) समिति के सदस्य, यथास्थिति, सदन द्वारा नियुक्त या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(2) यदि कोई सदस्य समिति में काम करने के लिये राजी न हो तो उसे समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस सदस्य का नाम वह प्रस्थापित करना चाहता है, वह समिति में सेवा करने के लिये राजी है या नहीं।

(3) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा मनोनयन के द्वारा की जायेगी और ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित या मनोनीत कोई सदस्य उस कालावधि तक पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त, निर्वाचित या मनोनीत हुआ है सामान्यतया पद धारण करता।

**180का. समिति की सदस्यता पर आपत्ति.-** जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति की जाये कि उस सदस्य का ऐसा घनिष्ठ प्रकृति का व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है जिससे समिति द्वारा विचारणीय किन्हीं विषयों पर विचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

- (क) जिस सदस्य ने आपत्ति की है वह संक्षेप में अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में प्रस्थापित सदस्य के कथित हित, चाहे वह व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, की प्रकृति बतायेगा;
- (ख) आपत्ति का उल्लेख कर दिये जाने के पश्चात् अध्यक्ष, समिति में प्रस्थापित उस सदस्य को जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई है, स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देगा;
- (ग) यदि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद हो तो अध्यक्ष आपत्ति करने वाले सदस्य को तथा उस सदस्य को जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है, अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने के लिए कहेगा;

- (d) after the Speaker has considered the evidence so tendered before him, he shall give his decision which shall be final;
- (e) until the Speaker has given his decision, the member against whose appointment on the Committee objection has been taken shall continue to be a member thereof if elected or nominated and take part in discussion but shall not be entitled to vote; and
- (f) if the Speaker holds that the member against whose appointment objection has been taken has a personal, pecuniary or direct interest in the matter before the Committee, he shall cease to be a member thereof forthwith ;

Provided that the proceedings of the sitting of the Committee at which such member was present shall not in any way be affected by the decision of the Speaker.

**Explanation:—** For the purposes of this rule, the interest of the member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose inclusion in the Committee is objected to and not in common with the public in general or with any class or section thereof or on a matter of State policy.

**181. Term of office of the Committee nominated by the Speaker.** —A Committee nominated by the Speaker shall, unless otherwise specified in the rules contained in this Chapter, hold office for the period specified by him or until a new Committee is nominated.

**182. Resignation from Committee.**—A member may resign his seat from a Committee by writing under his hand, addressed to the Speaker.

**183. Chairman of Committee.**— (1) The Chairman of a Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the members of the Committee :

Provided that if the Deputy Speaker is a member of the Committee, he shall be appointed Chairman of the Committee.

- (घ) अध्यक्ष उसके समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय देगा, जो अन्तिम होगा;
- (ङ) जब तक अध्यक्ष ने अपना निर्णय न दिया हो वह सदस्य जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो, यदि निर्वाचित या मनोनीत हो जाये तो समिति का सदस्य बना रहेगा तथा चर्चा में भाग लेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा;
- (च) यदि अध्यक्ष यह ठहराये कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है तो उसकी समिति की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगी :

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय से किसी तरह प्रभावित नहीं होगी।

**व्याख्या:-** इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए तथा उस व्यक्ति से जिसकी समिति की सदस्यता पर आपत्ति की जाय पृथक् रूप से संबंधित होना चाहिए न कि जन-साधारण या उसके किसी वर्ग या उसके किसी भाग के साथ या राज्य की नीति के विषय से।

**181. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत समिति की पदावधि.-** अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई समिति, जब तक इस अध्याय में निहित नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, उसके द्वारा निर्दिष्ट कालावधि के लिये या जब तक कोई नई समिति मनोनीत न हो जाये, पद धारण करेगी।

**182. समिति से पद त्याग.-** कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग कर सकेगा।

**183. समिति का सभापति.-** (1) समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वह समिति का सभापति नियुक्त किया जायेगा।

(2) If the Chairman is for any reason unable to act, the Speaker may appoint another Chairman in his place.

(3) If the Chairman is absent from any sitting, the Committee shall choose another member to act as Chairman for that sitting.

**184. Quorum.**— (1) The quorum to constitute a sitting of a Committee shall be, as near as may be, one-third of the total number of members of the Committee.

(2) If at any time fixed for any sitting of the Committee, or if at any time during any such sitting, there is no quorum, the Chairman of the Committee shall either suspend the sitting until there is a quorum or adjourn the sitting to some future day.

**185. Discharge of members absent from sittings of Committee.**—If a member is absent from two or more consecutive spells of sittings of a Committee without the permission of the Chairman, a motion may be moved in the House for the discharge of such member from the Committee :

Provided that where the members of the Committee are nominated by the Speaker, such member may be discharged by the Speaker.

**186. Voting in Committee.**— All questions at any sitting of a Committee shall be determined by a majority of votes of the members present and voting.

**187. Casting vote of Chairman.**—In the case of an equality of votes on any matter, the Chairman, or the person acting as such, shall have a second or casting vote.

**188. Power to appoint sub-Committee.**—(1) A Committee may appoint one or more sub-Committees, each having the powers of the undivided Committee, to examine any matters that may be referred to them, and the reports of such sub-Committees shall be deemed to be the reports of the whole Committee, if they are approved at a sitting of the whole Committee.

(2) The order of reference to a sub-Committee shall clearly state the point or points for investigations. The report of the sub-Committee shall be considered by the whole Committee.

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष उसके स्थान पर अन्य सभापति नियुक्त कर सकेगा।

(3) यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो, तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में सभापति का कार्य करने के लिये चुनेगी।

**184. गणपूर्ति.-** (1) समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का, यथासम्भव निकट, एक-तिहाई होगा।

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिये निश्चित समय पर, या यदि बैठक के दौरान किसी समय गणपूर्ति न हो, तो समिति का सभापति या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलम्बित रखेगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर देगा।

**185. समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाना.-** यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों के विन्यास से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे, तो ऐसे सदस्यों को समिति से हटाने के लिये सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :

परन्तु जब समिति के सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायें, तो ऐसा सदस्य अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा।

**186. समिति में मतदान.-** समिति की किसी बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किये जायेंगे।

**187. सभापति का निर्णायक मत.-** किसी विषय पर मत समता की अवस्था में सभापति या सभापति का कार्य कर रहे व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

**188. उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति.-** (1) समिति किन्हीं ऐसे विषयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जायें, जांच करने के लिये एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायें।

(2) उप-समिति को निर्देश के आदेश में अनुसंधान के विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख किया जायेगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

**189. Sittings of Committee.**— The sitting of a Committee shall be held on such days at such hours as the Chairman of the Committee may fix :

Provided that if the Chairman of the Committee is not readily available, the Principal Secretary may fix the date and time of a sitting :

Provided further that in the case of Select Committee on a Bill, if the Chairman of the Committee is not readily available, the Principal Secretary may, in consultation with the Minister concerned with the Bill, fix the date and time of a sitting.

**190. Committee may sit whilst House is sitting.**—A Committee may sit whilst the House is sitting, provided that on a division being called in the House, the Chairman of the Committee shall suspend the proceedings in the Committee for such time as will, in his opinion, enable the members to vote in division.

**191. Sittings of Committee in private.**— The sittings of a Committee shall be held in private.

**192. Venue of sittings.**— The sittings of a Committee shall be held within the precincts of the Assembly House and if it becomes necessary to change the place of sitting outside the Assembly House, the matter shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

**193. All strangers to withdraw when Committee deliberates.**—All persons other than members of the Committee and officers of the Assembly Secretariat shall withdraw whenever the Committee is deliberating.

**194. Power to take evidence or call for documents.**— (1) A witness may be summoned by an order signed by the Principal Secretary and shall produce such documents as are required for the use of a Committee.

(2) It shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential.

(3) No document submitted to the Committee shall be withdrawn or altered without the knowledge and approval of the Committee.

**195. Power to send for persons, papers and records.**—A Committee shall have power to send for persons, papers and records:

**189. समिति की बैठकें.-** समिति की बैठकें ऐसे दिन और ऐसे समय होंगी जो समिति का सभापति निश्चित करे:

परन्तु यदि समिति का सभापति तत्काल न मिल सकता हो, तो प्रमुखसचिव बैठक की तिथि और समय निश्चित कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि किसी विधेयक की प्रवर समिति की अवस्था में यदि समिति का सभापति तत्काल न मिल सकता हो, तो प्रमुखसचिव सम्बन्धित मंत्री के परामर्श से बैठक की तिथि और समय निश्चित कर सकेगा।

**190. जिस समय सदन की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी.-** जिस समय सदन की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी, परन्तु सदन में विभाजन की मांग की जाने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही ऐसे समय के लिए निलम्बित कर सकेगा जिसके भीतर, उसकी राय में, सदस्य विभाजन में मत दे सकें।

**191. समिति की गुप्त रूप में बैठकें.-** समिति की बैठकें गुप्त रूप से होंगी।

**192. बैठकों का स्थल.-** समिति की बैठकें सभा भवन की प्रसीमाओं में होंगी और यदि बैठक का स्थान सभा भवन के बाहर बदलना आवश्यक हो जाये तो वह विषय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निश्चय अन्तिम होगा।

**193. जब समिति पर्यालोचन कर रही हो तो अजनबी बाहर चले जायेंगे.-** जब कभी समिति पर्यालोचन कर रही हो, तो समिति के सदस्यों, तथा विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के अतिरिक्त सब व्यक्ति बाहर चले जायेंगे।

**194. साक्ष्य लेने अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति.-** (1) कोई साक्षी प्रमुखसचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि उसके सामने दिये गये किसी साक्ष्य को वह गोपनीय या गुप्त समझे।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जावेगा और न उसमें फेरबदल की जायेगी।

**195. व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मांगने की शक्ति.-** समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मांगने की शक्ति होगी :

Provided that if any question arises whether the evidence of a person or the production of a document is relevant for the purposes of the Committee, the question shall be referred to the Speaker whose decision shall be final :

Provided further that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State, in which case the matter shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

**196. Counsel for a witness.**— A Committee may, under the direction of the Speaker, permit a witness to be heard by a counsel appointed by him and approved by the Committee.

**197. Evidence on oath.**— (1) A Committee may administer oath or affirmation to a witness examined before it.

(2) The form of the oath or affirmation shall be as follows :—

"I,..... do swear in the name of God or solemnly affirm that the evidence which I shall give in this case, shall be true, that I will conceal nothing, and that no part of my evidence shall be false."

**198. Procedure for examining witness.**— The examination of witnesses before Committee shall be conducted as follows :—

- (i) The Committee shall, before a witness is called for examination, decide the mode of procedure and the nature of questions that may be asked of the witness.
- (ii) The Chairman of the Committee may first ask the witness such question or questions as he may consider necessary with reference to the subject matter under consideration or any subject connected therewith according to the mode of procedure mentioned in clause (i) of this rule.
- (iii) The Chairman may call other members of the Committee one by one to ask any other questions.
- (iv) A witness may be asked to place before the Committee any other relevant points that have not been covered and which a witness thinks are essential to be placed before the Committee.

परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजनों के लिये संगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और भी कि सरकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इंकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षितता या हित के प्रतिकूल होगा। उस दशा में मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

**196. साक्षी के लिये वकील.-** कोई समिति, अध्यक्ष के निर्देश के अन्तर्गत, किसी साक्षी को अपनी बात किसी ऐसे वकील द्वारा कहलवाने की अनुज्ञा दे सकेगी, जो उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

**197. शपथ पर साक्ष्य.-** (1) समिति साक्षी को, जिसकी उसके सामने जांच हो, शपथ दिला सकेगी या प्रतिज्ञान करा सकेगी।

(2) शपथ या प्रतिज्ञान का रूप निम्नलिखित होगा :-

“मैं.....ईश्वर की शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ) कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सच्चा होगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।”

**198. साक्षियों की जांच के लिए प्रक्रिया.-** समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :-

- (1) समिति, किसी साक्षी को जांच के लिए बुलाये जाने से पूर्व प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकेंगे।
- (2) समिति का सभापति इस नियम के खण्ड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह विचाराधीन विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझे।
- (3) सभापति एक-एक करके समिति के अन्य सदस्यों से कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए कह सकेगा।
- (4) साक्षी से समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बातें रखने के लिए कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(v) A verbatim record of proceedings of the Committee shall, when a witness is summoned to give evidence, be kept.

(vi) The evidence tendered before the Committee may be made available to all members of the Committee.

**199. Record of decisions of Committee.**— A record of the decisions of a Committee shall be maintained and circulated to members of the Committee under the direction of the Chairman.

**200. Evidence, report and proceedings treated as confidential.**— (1) A Committee may direct that the whole or a part of the evidence or a summary thereof may be laid on the Table.

(2) No part of the evidence, oral or written, report or proceedings of a Committee which has not been laid on the Table shall be open to inspection by any one except under the authority of the Speaker.

(3) The evidence given before a Committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Table:

Provided that the Speaker may, in his discretion, direct that such evidence be confidentially made available to members before it is formally laid on the Table.

**201. Special Reports.**— A Committee may, if it thinks fit, make a special report on any matter that arises or comes to light in the course of its work which it may consider necessary to bring to the notice of the Speaker or the House, notwithstanding that such matter is not directly connected with or does not fall within or is not incidental to its terms of reference.

**202. Report of Committee.**— (1) Where the House has fixed any time for the presentation of a report by a Committee, the report shall be presented within the said period :

Provided that the House may, on a motion made by the Chairman or, in his absence, by any other member of the Committee, extend the time for the presentation of the report.

(2) Reports may be either preliminary or final.

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए आहूत किया जाये तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः विवरण रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सब सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

**199. समिति के विनिश्चयों का अभिलेख.-** समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जायेगा और सभापति के निदेश के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा।

**200. साक्ष्य, प्रतिवेदन तथा कार्यवाही का गोपनीय समझा जाना.-**

(1) समिति निदेश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश अथवा उसका सारांश मेज पर रख दिया जाये।

(2) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिये गये अधिकार के सिवाय मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का, अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का, जो मेज पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा।

(3) किसी समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह मेज पर न रख दिया गया हो :

परन्तु अध्यक्ष, अपने स्वविवेक से, निदेश दे सकेगा कि ऐसा साक्ष्य मेज पर औपचारिक रूप से रखे जाने के पहले गुप्त रूप से उपलब्ध कर दिया जाये।

**201. विशेष प्रतिवेदन.-** कोई समिति यदि वह ठीक समझे, किसी विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सदन के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, विशेष प्रतिवेदन दे सकेगी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय समिति के निदेश पदों से प्रत्यक्षतया सम्बन्धित नहीं है या उनके भीतर नहीं आता या उनसे आनुषंगिक नहीं है।

**202. समिति का प्रतिवेदन.-** (1) जहां समिति के किसी प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए सदन ने कोई समय निश्चित किया हो, वहां प्रतिवेदन उक्त कालावधि के भीतर उपस्थापित किया जायेगा :

परन्तु सदन, सभापति द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ा सकेगा।

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकेंगे या अन्तिम।

(3) The report of the Committee shall be signed by the Chairman on behalf of the Committee :

Provided that in case the Chairman is absent or is not readily available, the Committee shall choose another member to sign the report on behalf of the Committee.

**203. Availability of report to Government before presentation.**— A Committee may, if it thinks fit, make available to Government any completed parts of its report before presentation to the House. Such report shall be treated as confidential until presented to the House.

**204. Presentation of Report.**— (1) The report of a Committee shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee.

(2) In presenting the report the Chairman or, in his absence, the member presenting the report shall, if he makes any remarks, confine himself to a brief statement of fact, but there shall be no debate on that statement at this stage.

**205. Printing, publication or circulation of report prior to its presentation to House.**— The Speaker may, on a request being made to him and when the House is not in session, order the printing, publication or circulation of a report of a Committee although it has not been presented to the House. In that case the report shall be presented to the House during its next session at the first convenient opportunity.

**206. Power to make suggestions on procedure.**— A Committee shall have power to pass resolutions on matters of procedure relating to that Committee, for the consideration of the Speaker who may make such variations in procedure as he may consider necessary.

**207. Power of Committee to make detailed rules.**— A Committee may, with the approval of the Speaker, make detailed rules of procedure to supplement the provisions contained in the rules in this Chapter.

**208. Power of Speaker to give direction.**— (1) The Speaker may from time to time issue such directions to the Chairman of a Committee as he may consider necessary for regulating its procedure and the organisation of its work.

(3) समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हो या तत्काल न मिल सकता हो, तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

**203. उपस्थापन के पहले प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध किया जाना.-** समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन के किसी पूरे भाग को सदन में उपस्थापित करने से पहले सरकार को उपलब्ध कर सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन, जब तक कि वे सदन में उपस्थापित न किये जायें, गुप्त समझे जायेंगे।

**204. प्रतिवेदन का उपस्थापन.-** (1) समिति का प्रतिवेदन सदन में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थापित करते समय सभापति या, उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थापित करने वाला सदस्य, यदि कोई अभ्युक्ति करे तो वह अपने आपको संक्षिप्त तथ्य कथन तक सीमित रखेगा, किन्तु उस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

**205. प्रतिवेदन का सदन में उपस्थापन के पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन.-** अध्यक्ष, उससे प्रार्थना की जाने पर और जब सदन सत्र में न हो तो किसी समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेगा, यद्यपि वह सदन में उपस्थापित न किया गया हो। उस अवस्था में प्रतिवेदन सदन में उसके आगामी सत्र के दौरान प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जायेगा।

**206. प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति.-** किसी समिति को उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

**207. समिति की विस्तृत नियम बनाने की शक्ति.-** कोई समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से इस अध्याय के नियमों में निहित उपबन्धों के अनुपूरण के लिये विस्तृत प्रक्रिया के नियम बना सकेगी।

**208. अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति.-** (1) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह उसकी प्रक्रिया के विनियमन तथा उसके कार्य संघटन के लिये आवश्यक समझे।

(2) If any doubt arises on any point of procedure or otherwise, the Chairman may, if he thinks fit, refer the point to the Speaker whose decision shall be final.

**209. Business before Committee not to lapse on prorogation of House.**— Any business pending before a Committee shall not lapse by reason only of the prorogation of the House and the Committee shall continue to function notwithstanding such prorogation.

**210. Unfinished work of Committee.**— Where a Committee has not been able to complete its work before the expiry of its term or before the dissolution of the Assembly, the new Committee may take up the work at the stage where the outgoing Committee left it. Any preliminary report, memorandum or note that the Committee may have prepared or any evidence that the Committee may have taken shall be made available to the new Committee.

**211. Applicability of general rules to Committees.**— Except for matters for which special provision is made in the rules relating to any particular Committee, the general rules in this Chapter shall apply to all Committees and if and so far as any provision in the special rules relating to a Committee is inconsistent with the general rules, the former rules shall prevail.

**(b) Business Advisory Committee**

**212. Constitution of Business Advisory Committee.**— At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker may nominate a Committee called the Business Advisory Committee consisting of not more than fifteen members including the Speaker who shall be the Chairman of the Committee :

Provided that the Speaker may invite any other member including the Leader of the House, where he is not a member of the Committee, as a special invitee at a sitting of the Committee for consultation or advice.

**213. Functions of Committee.**— (1) It shall be the function of the Committee to recommend-

- (a) the order in which Government and other business may be discussed in the House;

(2) यदि किसी प्रक्रिया के प्रश्न पर या अन्य प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हो, तो सभापति, यदि वह ठीक समझे, उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

**209. समिति के समक्ष लम्बित कार्य सदन के सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होगा.-** किसी समिति के समक्ष लम्बित कोई कार्य केवल सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा और इस प्रकार सत्रावसान होने पर भी समिति कार्य करती रहेगी।

**210. समिति का असमाप्त काम.-** जहां समिति, अपनी अवधि की समाप्ति से पूर्व, अथवा विधान सभा के विघटन से पूर्व, अपना काम पूरा न कर सकी हो वहां नयी समिति उस कार्य को उस अवस्था से शुरू कर सकेगी जिस पर पिछली समिति ने उसे छोड़ा था। कोई भी प्रारम्भिक प्रतिवेदन, जापन या टिप्पणी, जो समिति ने तैयार की हो या कोई भी साक्ष्य जो समिति ने लिया हो, नयी समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

**211. सामान्य नियमों का समितियों पर लागू होना.-** उन समितियों को छोड़कर जिनके लिये किसी विशेष समिति से सम्बन्धित नियमों में विशेष उपबन्ध रखा गया हो, इस अध्याय में सामान्य नियम सभी समितियों पर लागू होंगे और यदि जहां तक किसी समिति से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों में कोई उपबन्ध सामान्य नियमों से असंगत हो, तो पूर्वोक्त नियम लागू होंगे।

#### **(ख) कार्य सलाहकार समिति**

**212. कार्य सलाहकार समिति का गठन.-** यथास्थिति सदन के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति नामक एक समिति मनोनीत कर सकेगा जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर, जो समिति का सभापति होगा, पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी सदस्य को, जिसमें सदन का नेता भी सम्मिलित है जहां वह समिति का सदस्य न हो, परामर्श अथवा सलाह के लिये समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

**213. समिति के कृत्य.-** (1) समिति का कृत्य यह होगा कि यह-

(क) उस क्रम की सिफारिश करे जिसमें सरकारी तथा अन्य कार्य पर सदन में चर्चा की जा सकेगी;

(b) the number of hours or day or days or actual day or days that may be allotted for discussion of different types of Government and other business.

(2) The Committee shall have the power to indicate in the proposed time-table the different hours at which the various stages of the Bill or other business shall be completed.

(3) The Committee shall have such other functions as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

**214. Report of Committee.**— The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report.

**215. Motion moved in House on Report.**— At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report :

Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter :

Provided further that not more than half an hour shall be allotted for the discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion.

**216. Notification of allocation of Time Order.**— The allocation of time in respect of Bills and other business as approved by the House shall take effect as if it were an Order of the House and shall be notified in the Bulletin.

**217. Disposal of outstanding matters at the appointed hour.**— At the appointed hour, in accordance with the allocation of Time Order for the completion of a particular stage of a Bill or other business, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or other business.

**218. Variation in the allocation of Time Order.**— No variation in the allocation of Time Order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House :

(ख) उन घंटों या दिन या दिनों की संख्या का वास्तविक दिन या दिनों के बारे में सिफारिश करे जो भिन्न-भिन्न प्रकार के सरकारी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए आबंटित किये जायें।

(2) समिति को प्रस्थापित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य सरकारी कार्य किस-किस समय पूरे होंगे।

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जायें।

**214. समिति का प्रतिवेदन.-** समिति की सिफारिशें सदन को एक प्रतिवेदन के रूप में उपस्थापित की जायेंगी।

**215. प्रतिवेदन पर सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना.-** सदन में प्रतिवेदन के उपस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् किसी समय पर यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन को स्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषयों के सम्बन्ध में समिति को वापस सौंपा जावे :

परन्तु यह भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

**216. समय के बंटवारे के आदेश की अधिसूचना.-** विधेयकों तथा अन्य कार्य के सम्बन्ध में समय का बंटवारा, जैसा कि सदन द्वारा अनुमोदित हो, इस प्रकार प्रभावी होगा जैसा कि वह सदन का आदेश हो और उसे विधान सभा समाचार में अधिसूचित किया जायेगा।

**217. निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निपटारा.-** अध्यक्ष विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम को या अन्य कार्य को पूरा करने के लिये समय के बंटवारे के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम के या अन्य कार्य के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों का निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

**218. समय के बंटवारे के आदेश में परिवर्तन.-** समय के बंटवारे के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाये और वह सदन द्वारा स्वीकृत न किया जाये :

Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time, not exceeding one hour without any motion being moved :

Provided further that the Speaker may, on being satisfied as to the urgent need therefor, make such variation in the allocation of Time Order as he may deem appropriate.

**(c) Select Committees on Bills**

**219. Constitution of Select Committee.**— The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made.

**220. Other members may be present at a sitting.**— Members who are not members of the Select Committee may be present during the deliberations of the Committee but shall not address the Committee nor sit in the body of the Committee :

Provided that a Minister may, with the permission of the Chairman, address the Committee of which he may not be a member.

**221. Notice of amendments and procedure generally.**—  
(1) If notice of a proposed amendment has not been given before the day on which the Bill is taken up by the Select Committee, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Chairman allows the amendment to be moved.

(2) In other respects, the procedure in a Select Committee shall, as far as practicable, be the same as is followed in the House during the consideration stage of a Bill, with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

**222. Notice of amendments by members other than members of Committee.**— When a Bill has been referred to a Select Committee, any notice given by a member of any amendment to a clause in the Bill shall stand referred to the Committee provided that where notice of amendment is received from a member who is not a member of the Select Committee, such amendment shall not be taken up by the Committee unless moved by a member of the Committee.

परन्तु अध्यक्ष, सदन का अभिप्राय जान कर, कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये बिना भी समय बढ़ा सकता है जो एक घंटे से अधिक न होगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, इसकी अविलम्बनीय आवश्यकता के बारे में समाधान हो जाने पर, समय-क्रम के बंटवारे में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा जैसा वह समुचित समझे।

**(ग) विधेयकों पर प्रवर समितियां**

**219. प्रवर समिति का गठन.-** किसी विधेयक की प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये।

**220. समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित हो सकेंगे.-** जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति के पर्यालोचन के दौरान उपस्थित रह सकेंगे किन्तु वे न तो समिति को सम्बोधित करेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे :

परन्तु सभापति की अनुज्ञा से कोई मंत्री उस समिति को सम्बोधित कर सकेगा जिसका कि वह सदस्य न हो।

**221. संशोधनों की सूचना और सामान्य रूप में प्रक्रिया.-** (1) यदि प्रस्थापित संशोधनों की सूचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिये जाने के दिन से पूर्व न दी गई हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि सभापति संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(2) अन्य प्रकरणों में, प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ, जो चाहे रूप के भेद में हों, अथवा कोई अंश जोड़कर या निकाल कर किये गये हों, जैसे अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, यथासाध्य वही होगी जिसका सदन में विधेयक के विचार प्रक्रम के दौरान अनुसरण किया जाता है।

**222. समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना.-** जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो, तो विधेयक के किसी खण्ड के संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जायेगी, परन्तु जब संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है, तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों।

**223. Power of Committee to take evidence.**— A Select Committee may hear expert evidence and representatives of special interests affected by the measure before them.

**224. Report of Committee.**— (1) As soon as may be, after a Bill has been referred to a Select Committee, the Select Committee shall meet from time to time in accordance with rule 189 to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House:

Provided that where the House has not fixed any time for the presentation of the report by a Select Committee, the report shall be presented before the expiry of three months from the date on which the House adopted the motion for the reference of the Bill to the Select Committee :

Provided further that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) The Select Committee shall in their report state whether the publication of the Bill directed by these rules has taken place, and the date on which the publication has taken place.

(3) Where a Bill has been altered, the Select Committee may, if they think fit, include in their report a recommendation to the member-in-charge of the Bill that his next motion should be a motion for circulation, or, where the Bill has already been circulated, for re-circulation.

(4) Any member of the Select Committee may record a minute of dissent on any matter or matters connected with the Bill or dealt within the report.

(5) A minute of dissent shall be couched in temperate and decorous language and shall not refer to any discussion in the Select Committee nor cast aspersion on the Committee.

(6) If in the opinion of the Speaker a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary or otherwise inappropriate, he may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minute of dissent.

**225. Presentation of report.**— The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman, or, in his absence, by any member of the Committee.

**223. समिति की साक्ष्य लेने की शक्ति.-** प्रवर समिति विशेषज्ञ साक्ष्य को और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उसके समक्ष विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता हो।

**224. समिति का प्रतिवेदन.-** (1) किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद, यथासम्भव शीघ्र, प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिए नियम 189 के अनुसार समय-समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी :

परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास की समाप्ति होने से पहले उपस्थापित कर दिया जायेगा जिस तिथि को कि सदन ने प्रवर समिति को विधेयक सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था :

परन्तु यह भी कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाये।

(2) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि इन नियमों के निदेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं और प्रकाशन किस तिथि को हुआ है।

(3) जब विधेयक में फेरबदल की गई हो तो प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे अपने प्रतिवेदन में विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि उसका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए अथवा, जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो, तो पुनः परिचालन का।

(4) प्रवर समिति का कोई सदस्य विधेयक से सम्बन्धित या प्रतिवेदन में दिये गये किसी विषय या विषयों पर विमति टिप्पणी अभिलिखित कर सकेगा।

(5) विमति टिप्पणी संयत और शिष्ट भाषा में लिखी जायेगी और न उसमें प्रवर समिति में की गई चर्चा का निर्देश किया जायेगा और न समिति पर आक्षेप किया जायेगा।

(6) यदि अध्यक्ष की राय में किसी विमति टिप्पणी में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पदावलियां हों जो असंसदीय या अन्यथा अनुपयुक्त हों, तो वह ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या पदावलियों को विमति टिप्पणी में से निकाल दिये जाने का आदेश दे सकेगा।

**225. प्रतिवेदन का उपस्थापन.-** किसी विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, विमति टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, सदन में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा।

**226. Printing and Publication of reports.**— The Principal Secretary shall cause every report of a Select Committee to be printed, and a copy of the report shall be made available for the use of every member of the House. The report, and the Bill, as reported by the Select Committee, shall be published in the Gazette.

**(d) Committee on Petitions**

**227. Constitution of Committee on Petitions.**— At the commencement of the House, or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee on Petitions consisting of not more than fifteen members :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee, and that if a member, after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

**228. Functions of Committee.**— (1) The Committee shall examine every petition referred to it, and if the petition complies with these rules, the Committee may direct that it be circulated. Where circulation of the petition has not been directed, the Speaker may at any time direct that the petition be circulated.

(2) Circulation of the petition shall be in extenso or in summary form as the Committee or the Speaker, as the case may be, may direct.

(3) It shall also be the duty of the Committee to report to the House on specific complaints made in the petition referred to it after taking such evidence as it deems fit and to suggest remedial measures either in a concrete form applicable to the case under review or to prevent such cases in future.

(4) The Committee shall also meet as often as necessary to consider representations, letters and telegrams from various individuals, associations, etc., which are not covered by the rules relating to petitions, and give direction for their disposal :

Provided that representations, which fall in the following categories shall not be considered by the Committee, but shall be filed on receipt in the Secretariat :—

- (i) anonymous letter or letters on which names and/or addresses of senders are not given or are illegible, and

**226. प्रतिवेदनों का मुद्रण तथा प्रकाशन.-** प्रमुख सचिव प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित करायेगा, और प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रतिवेदन तथा विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, राज-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

**(घ) याचिका समिति**

**227. याचिका समिति का गठन.-** यथास्थिति, सदन के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष एक याचिका समिति मनोनीत करेगा जिसमें पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाये, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**228. समिति के कृत्य.-** (1) समिति, उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निदेश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाये। यदि याचिका के परिचालित किये जाने का निदेश न दिया गया हो, तो अध्यक्ष किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाये।

(2) याचिका उसके सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जायेगी, जैसा कि, यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष निदेश दे।

(3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि, ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, जैसा कि वह ठीक समझे उसे सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतें सदन को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से सम्बन्धित, ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिये, प्रतिकारक उपायों का सुझाव दें।

(4) समिति, विभिन्न व्यक्तियों, संघों आदि से प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों, पत्रों और तारों पर विचार करने के लिए भी, जो याचिकाओं से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत नहीं आते जितनी बार आवश्यक हो अपनी बैठक करेगी और उनके निपटारे के लिए निदेश देगी :

परन्तु निम्नलिखित प्रवर्गों में आने वाले अभ्यावेदनों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, अपितु वे सचिवालय में प्राप्त होने पर फाइल कर दिये जायेंगे :-

- (i) गुमनाम पत्र अथवा ऐसे पत्र जिन पर भेजने वाले का नाम और/अथवा पता न दिया हुआ हो अथवा अपठनीय हो, और

- (ii) endorsement copies of letters addressed to authorities other than the Speaker or House unless there is a specific request on such a copy praying for redress of the grievance.

(5) The Speaker may, before referring any petition to the Committee on Petitions, also, if necessary, ascertain facts from the State Government and inform the member presenting the petition appropriately.

**(e) Committee on Public Accounts**

**229. Functions of Committee on Public Accounts.—** (1)

There shall be a Committee on Public Accounts for the examination of accounts showing the appropriation of sums granted by the House for the expenditure of the State, the annual finance accounts of the State and such other accounts laid before the House as the Committee may think fit.

(2) In scrutinising the Appropriation Accounts of the State and the report of the Comptroller and Auditor General thereon, it shall be the duty of the Committee to satisfy itself—

- (a) that the moneys shown in the accounts as having been disbursed were legally available for, and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged;
- (b) that the expenditure conforms to the authority which governs it; and
- (c) that every re-appropriation has been made in accordance with the provisions made in this behalf under rules framed by competent authority.

(3) It shall also be the duty of the Committee.—

- (a) to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of State corporations, trading and manufacturing schemes, concerns and projects together with the balance sheets and statements of profit and loss accounts which the Governor may have required to be prepared or are prepared under the provisions of the statutory rules regulating the financing of a particular corporation, trading or manufacturing scheme or concern or project and the report of the Comptroller and Auditor-General thereon;

- (ii) अध्यक्ष या सदन से भिन्न किन्हीं प्राधिकारियों को सम्बोधित पत्रों की पृष्ठांकित प्रतियां, जब तक कि परिवेदना से परित्राण पाने के लिए उक्त प्रतिलिपि पर कोई विनिर्दिष्ट निवेदन न हो।

(5) अध्यक्ष, किसी याचिका को याचिका-समिति को निर्दिष्ट करने से पूर्व, यदि आवश्यक हो, राज्य सरकार से तथ्यों को सुनिश्चित कर सकेगा और याचिका के प्रस्तुतकर्ता सदस्य को समुचित रूप से सूचित कर सकेगा।

### (ड) जन लेखा समिति

**229. जन लेखा समिति के कृत्य.-** (1) राज्य के व्यय के लिये सदन द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और सदन के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जांच के लिये, जो समिति ठीक समझे, एक जन लेखा समिति होगी।

(2) राज्य के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले :-

- (क) कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिये विधिवत् उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था जिसमें वह लगाया गया है या भारित किया गया है;
- (ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है; और
- (ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में किये उपबन्धों के अनुसार किया गया है।
- (3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा :-
- (क) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं और परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की तथा संतुलनपत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो या जो किसी विशेष निगम, व्यापार संस्था या परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हों और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना;

- (b) to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of autonomous and semi-autonomous bodies, the audit of which may be conducted by the Comptroller and Auditor-General of India either under the directions of the Governor or by a statute of Legislature; and
- (c) to consider the report of the Comptroller and Auditor-General in case where the Governor may have required him to conduct an audit of any receipts or to examine the accounts of stores and stocks.
- (4) It shall also be open to the Committee to ask for information and examine any case involving loss, nugatory expenditure or financial irregularities even though such a case does not appear in an Audit Report.
- (5) If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted by the House for that purpose, the Committee shall examine with reference to the facts of each case the circumstances leading to such an excess and make such recommendations as it may deem fit :

Provided that the Committee shall not exercise its functions in relation to public undertakings as are allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker.

**230. Constitution of Committee.**— (1) The Committee shall consist of not more than fifteen members, who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote :

Provided that the Speaker may fill up casual vacancies not exceeding one-third of the total membership of the Committee by nomination. Such nominated members shall hold office till the vacancies to which they are nominated are filled by election by the House or for the remaining term of office whichever is earlier :

Provided further that a Minister shall not be elected or nominated a member of the Committee and that if a member, after his election or nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

- (ख) स्वायत्तशासी तथा अर्द्धस्वायत्तशासी निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा-विवरण की जांच करना, जिसकी लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा राज्यपाल के निर्देशों के अन्तर्गत या विधान मण्डल की किसी संविधि के अनुसार की जा सके; और
- (ग) उन मामलों में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में राज्यपाल ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्कन्ध के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की हो।
- (4) समिति हानि, निरर्थक व्यय अथवा वित्तीय अनियमितताओं के किसी भी मामले की सूचना भी मांग सकेगी और परीक्षा भी कर सकेगी, चाहे भले ही ऐसा मामला अंकेक्षा प्रतिवेदन में न आया हो।
- (5) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिये सदन द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ अधिक धन व्यय किया गया हो, तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो और ऐसी सिफारिश करेगी जो ठीक समझे :

परन्तु समिति उन राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का प्रयोग नहीं करेगी, जो इन नियमों अथवा अध्यक्ष द्वारा राजकीय उपक्रम समिति को आबंटन किये जायें।

**230. समिति का गठन.-** (1) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु अध्यक्ष आकस्मिक रिक्तताओं को, जो समिति की कुल सदस्यता की एक तिहाई से अधिक न हो मनोनयन से भर सकेगा। ऐसे मनोनीत सदस्य उस समय तक सदस्य रहेंगे जब तक रिक्त स्थान जिनके लिये वे मनोनीत किये गये हैं सदन द्वारा निर्वाचन से न भर दिये जावें अथवा सदस्यता की शेष अवधि तक जो भी पहले हो :

परन्तु यह भी कि कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित अथवा मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित अथवा मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year :

Provided that the Speaker may at any time extend the term of office not exceeding six months.

**(f) Committees on Estimates**

**231. Formation of Committees on Estimates.**— There shall be two Committees on estimates, namely, Committee on Estimates ‘A’ and Committee on Estimates ‘B’ for the examination of estimates pertaining to different Departments as mentioned in the Fourth Schedule :

Provided that the Speaker or the House may at any time vary the allocation of estimates pertaining to individual departments among different Committees inter se as also allocate estimates or subjects pertaining to department or departments not mentioned above to any of these Committees :

Provided further that any Estimates Committee may, with the previous permission in writing of the Speaker, undertake examination of any subject pertaining to any department allocated to the other Committee, in which case such subject or department shall, so long as the examination persists, be deemed to have been allocated to the former :

Provided further again that the Committees shall not exercise their functions in relation to Public Undertakings as are allocated to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker.

**231A. Functions of Committees.**— (1) The functions of the Committees shall be :—

- (a) to report what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform, consistent with policy underlying the estimates, may be effected;
- (b) to suggest alternative policies in order to bring about efficiency and economy in administration; and
- (c) to examine whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates.

(2) It shall also be the function of one of the Committees on Estimates named by the Speaker to suggest the form in which the estimates shall be presented to the Assembly.

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय इस पदावधि को छह माह से अनाधिक समय तक बढ़ा सकेगा।

**(च) प्राक्कलन समितियां**

**231. प्राक्कलन समितियों का गठन.-** चतुर्थ अनुसूची में यथावर्णित भिन्न-भिन्न विभागों में सम्बन्धित प्राक्कलनों की परीक्षा करने के लिए दो प्राक्कलन समितियां होंगी अर्थात् प्राक्कलन समिति 'क' तथा प्राक्कलन समिति 'ख' :

परन्तु अध्यक्ष या सदन किसी भी समय भिन्न-भिन्न समितियों में अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित प्राक्कलनों के पारस्परिक बंटवारे में परिवर्तन कर सकेगा और साथ ही ऐसे विभाग या विभागों का, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है, उनसे सम्बन्धित प्राक्कलनों या विषयों को इन समितियों में से किसी को भी आबंटित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि कोई भी प्राक्कलन समिति, अध्यक्ष की लिखित पूर्वानुमति से, किसी भी विभाग से सम्बन्धित दूसरी समिति को आबंटित विषय की परीक्षा कर सकेगी और ऐसी स्थिति में ऐसा विषय या विभाग, जब तक परीक्षा चालू रहती है, पूर्ववर्ती समिति को आबंटित किया हुआ समझा जायेगा :

परन्तु पुनः यह और कि ये समितियां राजकीय उपक्रमों के संबंध में अपने कृत्य नहीं कर सकेगी जो इन नियमों अथवा अध्यक्ष द्वारा राजकीय उपक्रम समिति को आबंटित किये हुए हैं।

**231का. समितियों के कृत्य.-** (1) समितियों के कृत्य ये होंगे :-

(क) प्राक्कलनों से सम्बन्धित नीति से संगत मितव्ययिताएं, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार क्या किये जा सकते हैं इस संबंध में रिपोर्ट करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना; और

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना।

(2) प्राक्कलन समितियों में से किसी एक का, जिसे अध्यक्ष कहे, यह भी कृत्य होगा कि वह ऐसा प्रारूप सुझाये जिसमें कि सदन को प्राक्कलन प्रस्तुत किये जाने हैं।

**232. Constitution of Committees.**— Each of the two Committees shall consist of not more than fifteen members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote :

Provided that the Speaker may fill up casual vacancies not exceeding one-third of the total membership of any of these Committees by nomination. Such nominated members shall hold office for the remaining term of office unless the vacancies to which they are nominated are earlier filled by election by the House :

Provided further that a Minister shall not be elected or nominated a member of any of these Committees and that if a member, after his election or nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of each of these Committees shall not exceed one year :

Provided that the Speaker may at any time extend the term of office not exceeding six months.

**233. Examination of estimates by Committees.**— Each of these Committees may continue the examination of the estimates from time to time throughout the financial year and report to the House as its examination proceeds. It shall not be incumbent on these Committees to examine the entire estimates of any one year. The demands for grants may be finally voted notwithstanding the fact that any of these Committees has made no report.

**(ff) Committee on Public Undertakings**

**233A. Functions of Committee on Public Undertakings.**— There shall be a Committee on Public Undertakings for the examination of the working of the Public Undertakings specified in the Fifth. Schedule. The functions of the Committee shall be—

- (a) to examine the reports and accounts of the Public Undertakings specified in Fifth Schedule and such other Undertakings as may be decided by the House from time to time or the Speaker when the House is not in session;
- (b) to examine the reports, if any, of the Comptroller and Auditor-General on the Public Undertakings;

**232. समितियों का गठन.-** दोनों समितियों में प्रत्येक में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सदन द्वारा प्रतिवर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु अध्यक्ष आकस्मिक रिक्तियों को जो इनमें से किसी भी समिति की कुल सदस्यता से एक तिहाई से अधिक न हो, मनोनयन से भर सकेगा। उक्त मनोनीत सदस्य शेष पदावधि तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे रिक्तियां जिनके प्रति उनका मनोनयन हुआ है सदन द्वारा पहले ही निर्वाचन से न भर ली जायें :

परन्तु यह भी कि किसी भी मंत्री को इन समितियों में से किसी के सदस्य के रूप में निर्वाचित अथवा मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये निर्वाचित अथवा मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय इस पदावधि को छह माह से अनधिक समय तक बढ़ा सकेगा।

**233. समितियों द्वारा प्राक्कलनों की जांच-** इनमें से प्रत्येक समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष भर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाये सदन को रिपोर्ट कर सकेगी। इन समितियों के लिये यह अनिवार्य नहीं होगा कि वे किसी भी एक वर्ष के सब प्राक्कलनों की जांच करे। इस बात के होते हुए भी कि किसी भी समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा।

#### **(चच) राजकीय उपक्रम समिति**

**233का. राजकीय उपक्रम समिति के कृत्य.-** पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजकीय उपक्रमों के कार्यकरण की परीक्षा के लिए एक राजकीय उपक्रम समिति होगी। समिति के कृत्य ये होंगे :-

- (क) पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपक्रमों और ऐसे अन्य उपक्रमों, जो सदन द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा जब सदन सत्र में न हो, समय-समय पर विनिश्चित किये जायें, के प्रतिवेदनों और लेखों की परीक्षा करना;
- (ख) राजकीय उपक्रमों पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों, यदि कोई हों, की परीक्षा करना;

- (c) to examine, in the context of the autonomy and efficiency of the Public Undertakings, whether the affairs of the Public Undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices; and
- (d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committees on Estimates in relation to the Public Undertakings specified in the Fifth Schedule as are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time :

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely :—

- (i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of the Public Undertakings;
- (ii) matters of day-to-day administration;
- (iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular Public Undertaking is established.

**233B. Constitution of Committee.**— (1) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable votes:

Provided that the Speaker may fill up casual vacancies not exceeding one-third of the total membership of the Committee by nomination. Such nominated members shall hold office till the vacancies to which they are nominated are filled by election by the House or for the remaining term of office whichever is earlier:

Provided further that a Minister shall not be elected or nominated a member of the Committee and that if a member, after his election or nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year :

Provided that the Speaker may at any time extend the term of office not exceeding six months.

(ग) राजकीय उपक्रमों के स्वशासन और दक्षता के संदर्भ में इस बात की परीक्षा करना कि क्या राजकीय उपक्रमों के कामकाज का प्रबन्ध कारबार के ठोस सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार किया जा रहा है; तथा

(घ) पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजकीय उपक्रमों के संबंध में जनलेखा समिति और प्राक्कलन समितियों में निहित ऐसे कृत्यों का प्रयोग करना जो उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत नहीं आते तथा जो समय-समय पर समिति को अध्यक्ष द्वारा आबंटित किये जायें :

परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी की भी परीक्षा या अन्वेषण नहीं करेगी, अर्थात् :-

- (i) राजकीय उपक्रमों के कारोबारों या वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न महत्वपूर्ण सरकारी नीति के मामले;
- (ii) प्रशासन के नित्य प्रति के मामले;
- (iii) ऐसे मामले, जिन पर विचार करने के लिये उस विशेष संविधि में व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है।

**233खा. समिति का गठन.-** (1) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु अध्यक्ष आकस्मिक रिक्तताओं को, जो समिति की कुल सदस्यता की एक तिहाई से अधिक न हो, मनोनयन से भर सकेगा। ऐसे मनोनीत सदस्य उस समय तक सदस्य रहेंगे जब तक कि रिक्त स्थान जिनके लिए वे मनोनीत किये गये हैं सदन द्वारा निर्वाचन से न भर लिये जावें अथवा सदस्यता की शेष अवधि तक, जो भी पहले हो :

परन्तु यह भी कि कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित अथवा मनोनीत नहीं किया जायेगा, और यदि कोई सदस्य, समिति के लिये निर्वाचित अथवा मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय इस पदावधि को छह माह से अनधिक समय तक बढ़ा सकेगा।

**(g) Committee of Privileges**

**234. Constitution of Committee of Privileges.**— At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee of Privileges consisting of not more than fifteen members :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee, and that if a member, after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

**235. Examination of question by Committee.**— (1) The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so, the nature of the breach, and the circumstances leading to it and make such recommendations as it may deem fit.

(2) Where the House or the Speaker, as the case may be, has not fixed any time for the presentation of the report by the Committee, the report shall be presented within a period of six months in the case of a motion referred to the Committee by the Speaker under Rule 162, or where the question of privilege has been referred by the House, not later than the last day of the first week of the session commencing after the expiry of six months from the last day of session in which the question has been so referred :

Provided that where the Committee has not been able to finish its work, the Speaker or the House, as the case may be, may, on a motion made by the Chairman, extend the time for the presentation of the report.

(3) Where a question has been referred to the Committee on the complaint made by a member or any other person, it shall not be open to the complainant to withdraw the complaint at any stage of the examination of the same by the Committee.

(4) The report may also state the procedure to be followed by the House in giving effect to the recommendations made by the Committee.

**236. Consideration of report.**— (1) After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or any other member shall move that the report be taken into consideration, where-upon the Speaker may put the question to the House.

**(छ) विशेषाधिकार समिति**

**234. विशेषाधिकार समिति का गठन.-** यथास्थिति, सदन के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति मनोनीत करेगा जिसमें पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा, और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**235. समिति द्वारा प्रश्न की जांच.-** (1) समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी कि किसी विशेषाधिकार का भंग अन्तर्गस्त है या नहीं, और यदि है, तो किस स्वरूप का है और किन परिस्थितियों में हुआ है और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे।

(2) जहां, यथास्थिति, सदन अथवा अध्यक्ष ने समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया हो वहां प्रतिवेदन नियम 162 के अधीन अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्देशित प्रस्ताव के मामले में 6 माह की कालावधि के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा अथवा जहां सदन द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न निर्दिष्ट किया गया हो वहां उस सत्र के, जिसमें प्रश्न इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है, अन्तिम दिन से 6 माह समाप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन के बाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा :

परन्तु जहां समिति अपना कार्य समाप्त न कर सकी हो, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा सदन, सभापति द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय में वृद्धि कर सकेगा।

(3) जहां किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर आधारित प्रश्न किसी समिति को निर्दिष्ट किया गया हो वहां समिति द्वारा इसकी परीक्षा करने के किसी भी प्रक्रम पर शिकायत को शिकायतकर्ता वापस नहीं ले सकेगा।

(4) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सदन द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का भी प्रतिवेदन में उल्लेख किया जा सकेगा।

**236. प्रतिवेदन पर विचार.-** (1) प्रतिवेदन के उपस्थित किये जाने के बाद, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये जिसके बाद अध्यक्ष प्रश्न को सदन के सामने रख सकेगा।

(2) Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer the details of the report further than is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House.

(3) After the motion made under sub-rule (1) is agreed to, the Chairman or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the House agrees, or disagrees or agrees with amendments, with recommendations contained in the report.

**237. Priority for consideration of report of Committee.—**

A motion that the report of the Committee be taken into consideration shall be accorded the priority assigned to a matter of privilege under sub-rule (1) of rule 160, unless there has been undue delay in bringing it forward :

Provided that when a date has already been fixed for the consideration of the report, it shall be given priority as a matter of privilege on the day so appointed.

**237A. Treatment of a report in respect of which no motion that the report be taken into consideration has been made.—**

The recommendations contained in a report of the Committee which has been presented to the House and in respect of which no motion has been made under sub-rule (1) of rule 236 before the expiry of the first week of the session succeeding the session in which the same has been presented, shall be deemed to have been agreed to by the Assembly at the expiry of the first week of the session, unless any member moves before such expiry that the House disagrees, or agrees with amendment, with the said recommendations, in which case the matter shall be decided by the House.

**(h) Committee on Subordinate Legislation**

**238. Function of Committee on Subordinate Legislation.—**

There shall be a Committee on Subordinate Legislation to scrutinize and report to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bye-laws, etc., conferred by the Constitution or delegated by Legislature are being properly exercised within such delegation.

(2) प्रश्न को सदन के सामने रखने से पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुज्ञा दे सकेगा जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के ब्यौरे का उससे अग्रेत्तर निदेश नहीं किया जायेगा जितना यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो कि सदन द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।

(3) उप-नियम (1) के अन्तर्गत किये गये प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई अन्य सदस्य या अन्य कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है।

**237. समिति के प्रतिवेदन पर विचार के लिये पूर्ववर्तिता.-** ऐसे प्रस्ताव को कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, जब तक कि उसे लाने में अनुचित विलम्ब न हो गया हो, वह पूर्ववर्तिता प्रदान की जायेगी जो नियम 160 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत किसी विशेषाधिकार विषय के लिये नियत है :

परन्तु जब प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए पहले ही कोई तिथि निश्चित की जा चुकी हो, तो उस विशेषाधिकार विषय की पूर्ववर्तिता इस तरह निश्चित दिन को दी जायेगी।

**237का. उस प्रतिवेदन पर, जिस पर विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव न किया गया हो अभिक्रिया.-** समिति के उस प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर जो सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है और जिसके बारे में उस सत्र के, जिसमें वह प्रस्तुत किया गया था, उत्तरवर्ती सत्र के प्रथम सप्ताह की समाप्ति से पूर्व, नियम 236 के उप-नियम (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, सत्र के प्रथम सप्ताह की समाप्ति पर सदन की सहमति मान ली जायेगी जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई सदस्य यह प्रस्ताव न कर दे कि सदन उक्त सिफारिशों से सहमत नहीं है अथवा संशोधन के साथ सहमत है, तथा उस स्थिति में मामला सदन द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

#### **(ज) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति**

**238. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के कृत्य.-** एक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदित करने के लिये होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या सभा द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया जा रहा है।

**239. Constitution of Committee.**— (1) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee, and that if a member, after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

**240. Numbering and publication of Orders.**— Each regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc., framed in pursuance of the provisions of the Constitution or the legislative functions delegated by Legislature to a subordinate authority, whether laid before the House or not, hereinafter referred to as "Order", shall, subject to such rules as the Speaker may in consultation with the Leader of the House prescribe, be numbered centrally and published in the Gazette immediately after it is promulgated.

**241. Duties of Committee.**— After each such Order referred to in rule 240 is promulgated, the Committee shall select for scrutiny such of them as it may consider appropriate and in respect of each of them, in particular consider-

- (i) whether it is in accord with the general objects of the Constitution or the Act pursuant to which it is made;
- (ii) whether it contains matter which in the opinion of the Committee should more properly be dealt within an Act of Legislature;
- (iii) whether it contains imposition of any tax;
- (iv) whether it directly or indirectly bars the jurisdiction of the court;
- (v) whether it gives retrospective effect to any of the provisions in respect of which the Constitution or the Act does not expressly give any such power;
- (vi) whether it involves expenditure from the Consolidated Fund of the State or the Public Revenues;

**239. समिति का गठन.-** (1) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात्, मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**240. आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन.-** संविधान के उपबन्धों या सभा द्वारा किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये प्रत्येक विनियम, नियम, उप-विधि आदि, जिसे सदन के समक्ष चाहे रखा गया हो अथवा नहीं, और जिसको इसके पश्चात् “आदेश” कहा गया है, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से विहित करे, प्रख्यापित होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय स्थान में संख्याकित किया जायेगा और राज-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

**241. समिति के कर्तव्य.-** नियम 240 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे आदेश के प्रख्यापन के पश्चात् समिति छानबीन के लिए इनमें से ऐसों का चयन करेगी जिन्हें वे समुचित समझे और इनमें से प्रत्येक के बारे में समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि-

1. वह संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;
2. उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है या नहीं जिसको अधिक समुचित ढंग से निबटाने के लिए समिति की राय में विधान-मण्डल का अधिनियम होना चाहिये;
3. उसमें कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं;
4. उसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है या नहीं;
5. वह उन उपबन्धों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके सम्बन्ध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;
6. उसमें राज्य की संचित निधियां लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्गस्त है या नहीं;

- (vii) whether it appears to make some unusual or unexpected use of the powers conferred by the Constitution or the Act pursuant to which it is made;
- (viii) whether there appears to have been unjustifiable delay in its publication or in laying it before Legislature; and
- (ix) whether for any reason its form or purport calls for any elucidation.

**242. Report of Committee.**— (1) If the Committee is of opinion that any Order should be annulled wholly or in part, or should be amended in any respect, it shall report that opinion and the grounds thereof to the House.

(2) If the Committee is of opinion that any other matter relating to any Orders should be brought to the notice of the House, it may report that opinion and matter to the House.

**243. Power of Speaker to give directions.**—The Speaker may issue such directions as he may consider necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of any question of subordinate legislation either in the Committee or in the House.

**(i) Committee on Government Assurances**

**244. Functions of Committee on Government Assurances.**— There shall be a Committee on Government Assurances to scrutinize the assurances, promises, undertakings, etc., given by Ministers from time to time on the floor of the House and to report on—

- (a) the extent to which such assurances, promises, undertakings, etc., have been implemented; and
- (b) where implemented whether such implementation has taken place within the minimum time necessary for the purpose.

**245. Constitution of Committee.**—(1) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

7. उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है;
8. उसके प्रकाशन में या सभा के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं; और
9. किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिये किसी विशुद्धिकरण की आवश्यकता है या नहीं।

**242. समिति का प्रतिवेदन.-** (1) यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सदन को प्रतिवेदित करेगी।

(2) यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से सम्बन्धित कोई अन्य विषय सदन की सूचना में लाया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा विषय सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी।

**243. अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति.-** अध्यक्ष, समिति में या सदन में अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार से सम्बन्धित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिये ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

#### **(झ) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति**

**244. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के कृत्य.-** मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिये और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिये सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति होगी-

- (क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है; तथा
- (ख) जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिये आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं।

**245. समिति का गठन.-** (1) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा, और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाये, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

**(j) Rules Committee**

**246. Functions of Rules Committee.**—There shall be a Committee on Rules to consider matters of procedure and conduct of business in the House and to recommend any amendments or additions to these rules that may be deemed necessary.

**247. Constitution of Committee.**—The Committee on Rules shall be nominated by the Speaker and shall consist of fifteen members including the Chairman of the Committee. The Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be member of the Committee from the date of such appointment.

**248. Laying of report on the Table.**— (1) The recommendations of the Committee shall be laid on the Table and within a period of seven days, beginning with the day on which they are so laid, any member may give notice of any amendment to such recommendations.

(2) Any notice given by a member of any amendment to the recommendations of the Committee shall stand referred to the Committee who shall consider it and make such changes in their recommendations as the Committee may consider fit. The final report of the Committee after taking into consideration the amendments suggested by the members shall be laid on the Table. Thereafter, on the House agreeing to the report on a motion made by a member of the Committee, the amendments to the rules, as approved by the House, shall be promulgated by the Speaker in the Bulletin.

(3) If notice of such amendment has not been given within seven days, the recommendations of the Committee shall be deemed to have been approved by the House and on the expiry of the said period, the Speaker shall promulgate in the Bulletin the amendments to the rules as recommended by the Committee.

(4) The amendments to the rules shall come into force on their publication in the Bulletin until otherwise specified.

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**(ज) नियम समिति**

**246. नियम समिति के कृत्य.-** सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने और इन नियमों में ऐसे संशोधनों या वृद्धियों की सिफारिश करने के लिये, जो आवश्यक समझी जायें, एक नियम समिति होगी।

**247. समिति का गठन.-** नियम समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेगी और उसमें समिति के सभापति को मिलाकर पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होगा :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**248. प्रतिवेदन का मेज पर रखा जाना.-** (1) समिति की सिफारिशें मेज पर रखी जायेंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जायें उससे आरम्भ होकर सात दिनों की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा।

(2) समिति की सिफारिशों में से किसी सदस्य द्वारा दी गई संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी, जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जो समिति उचित समझे। समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् मेज पर रख दिया जाएगा। तत्पश्चात् समिति के सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सदन के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सदन द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में अध्यक्ष द्वारा विधान सभा समाचार में प्रख्यापित कर दिए जायेंगे।

(3) यदि ऐसे संशोधनों की सूचना सात दिन के भीतर न दी गई हो तो समिति की सिफारिश सदन द्वारा अनुमोदित की गई समझी जाएगी और उक्त कालावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष समिति द्वारा सिफारिश किए गए नियमों के संशोधनों को विधान सभा समाचार में प्रख्यापित करेगा।

(4) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन विधान सभा समाचार में उनके प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे।

**(k) House Committee**

**249. Constitution of House Committee.**— (1) There shall be a House Committee consisting of not more than fifteen members including the Chairman.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year. A member may be renominated by the Speaker to the new House Committee :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be member of the Committee from the date of such appointment.

**250.** Deleted.

**251. Functions of Committee.**— (1) The function of the House Committee shall be-

- (i) to deal with all questions relating to residential accommodation for members of Assembly; and
- (ii) to exercise supervision over facilities for accommodation, food, medical aid and other amenities accorded to members in members' residences and hostels in Jaipur, in particular, and over other amenities and facilities provided to members under rules.

(2) the functions of the Committee shall be advisory.

**252. Power to appoint sub-committee.**— (1) The Committee may appoint one or more sub-committees, each having the powers of the undivided Committee, to examine any special points relating to residential accommodation, food, medical aid and other amenities in members' residences and hostels in Jaipur, in particular, and to other amenities and facilities that are or may be provided to members and the reports of such sub-committee shall be deemed to be the reports of the whole Committee if they are approved at a sitting of the whole Committee.

(2) The order of reference to a sub-committee shall clearly state the point or points for investigation. The report of the sub-committee shall be considered by the whole Committee.

**(ट) गृह समिति**

**249. गृह समिति का गठन.-** (1) एक गृह समिति होगी जिसमें सभापति को मिलाकर पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाएगी और उसके सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा नयी गृह समिति के लिए पुनः मनोनीत किया जा सकेगा :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा, और यदि कोई सदस्य समिति के लिए मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**250.** विलोपित किया गया।

**251. समिति के कृत्य :-** (1) गृह समिति के कृत्य ये होंगे :-

- (i) सभा के सदस्यों के निवास-स्थान सम्बन्धी सभी प्रश्नों के बारे में कार्यवाही करना; और
- (ii) सदस्यों को विशेषकर जयपुर में उनके निवास-स्थानों और होस्टलों में दी गई आवास, भोजन, चिकित्सा-सहायता सम्बन्धी और अन्य सुविधाओं तथा नियमों के अधीन सदस्यों को उपलब्ध अन्य सुविधाओं तथा प्रसुविधाओं की देखभाल करना।

(2) समिति के कृत्य मंत्रणात्मक होंगे।

**252. उप-समिति नियुक्त करने की शक्ति.-** (1) समिति आवास स्थान, भोजन, चिकित्सा-सहायता और सदस्यों के विशेषकर जयपुर के निवास स्थानों और होस्टलों में अन्य सुविधाओं तथा ऐसी दूसरी सुविधाओं तथा प्रसुविधाओं, जो सदस्यों को उपलब्ध हों अथवा उपलब्ध कराई जाये, के सम्बन्ध में किसी विशेष बात की जांच करने के लिए एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायें।

(2) किसी उप-समिति को निदेश के आदेश में जांच की बात या बातें स्पष्टतया लिखी होंगी। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

**253. Appeal against decision of Committee.**— An appeal against the decision of the House Committee shall lie to the Speaker whose decision shall be final.

**(l) Library Committee**

**253 A. Constitution of Library Committee.**— (1) There shall be a Library Committee consisting of not more than ten members including the Chairman.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and the term of office of its members shall not exceed one year :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be member of the Committee from the date of such appointment.

**253 B. Functions of the Committee.**— The functions of the Library Committee shall be-

- (i) to consider and advise on such matters concerning the Rajasthan Legislative Assembly Library and the Research and Reference Branch as may be referred to it by the Speaker from time to time;
- (ii) to consider suggestions for improvement of the Rajasthan Legislative Assembly Library and the Research and Reference Branch; and
- (iii) to assist members of Assembly in fully utilising the services provided by the Library and the Research and Reference Branch.

**(m) Committee on Welfare of Scheduled Castes**

**253 C. Constitution of the Committee.**— (1) There shall be a Committee for the Welfare of Scheduled Castes.

(2) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that no Minister shall be nominated a member of the Committee and if a member after his appointment to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

**253. समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.-** गृह समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को की जायेगी जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

**(ठ) पुस्तकालय समिति**

**253का. पुस्तकालय समिति का गठन.-** (1) एक पुस्तकालय समिति होगी जिसमें सभापति को मिलाकर दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेगी और उसके सदस्यों की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा, और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**253खा. समिति के कृत्य.-** पुस्तकालय समिति के कृत्य ये होंगे.-

- (1) विधान सभा पुस्तकालय और अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा से सम्बन्धित ऐसे विषयों पर, जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर उसे निर्दिष्ट करे, विचार करना तथा परामर्श देना;
- (2) विधान सभा पुस्तकालय और अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा के सुधार करने के लिये सुझावों पर विचार करना; और
- (3) विधान सभा सदस्यों को पुस्तकालय और अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये सहायता देना।

**(ड) अनुसूचित जाति कल्याण समिति**

**253गा. समिति का गठन.-** (1) अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यों की देखरेख के लिये एक समिति होगी।

(2) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जावेगा और यदि कोई सदस्य समिति के मनोनयन के पश्चात मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**253 D. Functions of the Committee.**— The Committee shall examine the steps taken by the State Government in connection with the welfare and over-all development of the Scheduled Castes.

**(n) Committee on Welfare of Scheduled Tribes**

**253 E. Constitution of the Committee.**— (1) There shall be a Committee for the Welfare of the Scheduled Tribes.

(2) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that no Minister shall be nominated a member of the Committee and if a member after his appointment to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

**253 F. Functions of the Committee.**— The Committee shall examine the steps taken by the State Government in connection with the welfare and over-all development of the Scheduled Tribes.

**(o) General Purposes Committee**

**253 G. Constitution of Committee.**— (1) There shall be a General Purposes Committee consisting of the Speaker, Deputy Speaker, members of the Panel of Chairmen, Chairmen of all standing Parliamentary Committees of the Rajasthan Legislative Assembly (except the Parliamentary Consultative Committees), Leaders of recognised parties and groups in the Rajasthan Legislative Assembly and such other members as may be nominated by the Speaker. The Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee.

**253 H. Functions of Committee.**— The functions of the Committee shall be to consider and advise on such matters concerning the affairs of the House as may be referred to it by the Speaker from time to time.

**(p) Parliamentary Consultative Committees**

**253 I. 1. Composition.**— (1) The Speaker may, in consultation with the Leader of the House, constitute as many Parliamentary Consultative Committees as he thinks fit, in respect of a Department or group of Departments of the State Government composed of members of the Assembly only.

**253घा. समिति के कृत्य.-** समिति राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

**(ढ) अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति**

**253<sup>3</sup>क. समिति का गठन.-** (1) अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यों की देखरेख के लिए एक समिति होगी।

(2) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जावेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जायेगा तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**253चा. समिति के कृत्य.-** समिति राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

**(ण) सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति**

**253छा. समिति का गठन.-** (1) सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्य, राजस्थान विधान सभा की समस्त स्थायी संसदीय समितियाँ (संसदीय परामर्शदात्री समितियों को छोड़कर) के सभापति, राजस्थान विधान सभा में मान्यता प्राप्त दलों तथा ग्रुपों के नेता तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायें, सम्मिलित होंगे। अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होगा।

**253जा. समिति के कृत्य.-** समिति के कृत्य ये होंगे कि वह सदन के मामलों से सम्बन्धित ऐसे विषयों पर जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें, विचार करे और सलाह दे।

**(त) संसदीय परामर्शदात्री समितियाँ**

**253झा.-1-गठन.-** (1) अध्यक्ष, सदन के नेता से परामर्श करके, राज्य सरकार के किसी विभाग या विभागों के किसी ग्रुप के सम्बन्ध में उत्तनी संसदीय परामर्शदात्री समितियाँ, जितनी वह उपयुक्त समझे, गठित कर सकेगा जिनमें केवल विधान सभा सदस्य ही सम्मिलित किये जा सकेंगे।

(2) Before nominating a member to a Parliamentary Consultative Committee, the Speaker may, as far as possible, ascertain the option of the member in respect of serving on a particular Parliamentary Consultative Committee, but the decision of the Speaker shall be final.

(3) Each Parliamentary Consultative Committee shall be presided over by a Minister or a State Minister having independent charge of a Department or Departments under him :

Provided that one Minister or State Minister may be the Chairman of more than one Parliamentary Consultative Committee, and that more than one Minister or State Minister may be the members of the same Parliamentary Consultative Committee, in which case the Committee shall be presided over by the Minister or the State Minister having charge of the particular department or departments being discussed at the meeting for the time being :

Provided further that in the absence of the Minister or the State Minister concerned, any other State Minister nominated by the Speaker may preside over the meeting of the Committee.

(4) The Secretary shall be the Secretary to all Parliamentary Consultative Committees.

**2. Term.**— The Parliamentary Consultative Committees shall be constituted in the beginning of the term of the Assembly, but it shall be open to the Speaker to reconstitute any of these Committees as and when necessary in consultation with the Leader of the House or to nominate a fresh member or change the nomination of a member to a particular Parliamentary Consultative Committee as and when he may deem fit.

**3. Functions and Powers.**— (1) The functions of the Parliamentary Consultative Committees will be :

- (a) to act as a liaison between the members and the State Government;
- (b) to enable the members to obtain such information from the State Government, in relation to the policy, programmes, plans, performance, achievements, functioning and expenditure of the Department or Departments concerned, as the members may desire to have, and to provide a forum for discussion and exchange of views :

(2) संसदीय परामर्शदात्री समिति के लिए किसी सदस्य को मनोनीत करने से पूर्व अध्यक्ष जहां तक सम्भव हो किसी विशिष्ट संसदीय परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाने के सम्बन्ध में सदस्य का विकल्प सुनिश्चित करेगा, लेकिन अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्रत्येक संसदीय परामर्शदात्री समिति का सभापति एक मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के विभाग या विभागों वाला एक राज्य मंत्री होगा :

परन्तु यह कि एक मंत्री या राज्य मंत्री एकाधिक संसदीय परामर्शदात्री समितियों का सभापति हो सकेगा, तथा एकाधिक मंत्री या राज्य मंत्री उसी संसदीय परामर्शदात्री समिति का सदस्य हो सकेगा और उस स्थिति में समिति की बैठक का सभापतित्व वह मंत्री या राज्य मंत्री करेगा जिसके प्रभार में आने वाले विभाग या विभागों पर उक्त बैठक में तत्समय के लिए विचार किया जा रहा हो :

परन्तु यह और कि सम्बन्धित मंत्री या राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई अन्य राज्य मंत्री समिति की बैठक का सभापति कर सकेगा।

(4) सचिव समस्त संसदीय परामर्शदात्री समितियों का सचिव होगा।

**2. अवधि.-** संसदीय परामर्शदात्री समितियां विधान सभा की अवधि के प्रारम्भ में गठित की जायेंगी किन्तु अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके जब कभी आवश्यक हो इन समितियों में से किसी का पुनर्गठन कर सकेगा, या जब कभी वह उचित समझे किसी संसदीय सलाहकार समिति में किसी सदस्य के मनोनयन में परिवर्तन कर सकेगा या किसी नये सदस्य को उसके लिए नामजद कर सकेगा।

**3. कृत्य तथा शक्तियां.-** (1) संसदीय परामर्शदात्री समितियों के कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) सदस्यों तथा राज्य सरकार के बीच सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करना :

(ख) सम्बन्धित विभाग या विभागों की नीति, कार्यक्रम, योजनाओं, कार्य-सम्पादन उपलब्धियों, कार्यकरण तथा व्यय के सम्बन्ध में, राज्य सरकार से ऐसी सूचनाएं, जो सदस्य प्राप्त करना चाहें, सदस्यों को प्राप्त करवाना तथा विचार-विमर्श और विचार-विनिमय के लिए एक मंच की व्यवस्था करना :

Provided that it shall be within the competence of the Minister to claim privilege in respect of such information as he may deem fit.

(c) to provide a forum for ventilation of grievances of public nature.

(2) It shall not be open to the Committee to call for records, summon witnesses, require production of documents or to make on the spot studies.

**4. Meetings and Working Procedure.**— (1) The Parliamentary Consultative Committees shall ordinarily meet only on a day or days when there is no sitting of the Assembly, but it may also, at the instance of the Chairman, meet on any day when there is a sitting of the Assembly. In any event, there shall be a meeting of each Parliamentary Consultative Committee at least once in every two months between the date on which the Assembly has been adjourned sinedie and the date of the next sitting of the Assembly.

(2) The meetings of the Parliamentary Consultative Committees shall be held in the precincts of the House when summoned in Jaipur but they may also be convened outside Jaipur at the discretion of the Chairman, in which case the venue will be decided by the Chairman.

(3) The Chairman may, for the purpose of assisting him in making available to members information desired by them, require the service of any official of the Department concerned and may ask him to make available any documents or information as he may think fit.

(4) There shall be no voting, resolution or report of the Committees, but the proceedings of the Committees may be drawn up and circulated to the members concerned.

(5) The Chairman shall be free to announce the decisions, if any, taken as a result of the discussions of the Committee, to the press.

(6) No decisions involving financial implications or bearing upon the working of an autonomous board or body shall be taken at the meeting of the Parliamentary Consultative Committees.

(7) Nothing transacted in the course of discussions in the Committees shall be referred to in the House either by the members or by the Chairman.

परन्तु मंत्री ऐसी सूचना के सम्बन्ध में जो वह उचित समझे, सदस्यों को देने से इंकार कर सकेगा।

(ग) जन अभियोगों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच की व्यवस्था करना।

(2) समिति को अभिलेख मंगाने, साक्षियों को बुलाने, दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने या स्थल-अध्ययन करने का अधिकार नहीं होगा।

**4. बैठकें तथा कार्य करने की प्रक्रिया.-** (1) संसदीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक साधारणतया केवल उसी दिन या उन्हीं दिनों होगी जब सदन की बैठक न हो, किन्तु सभापति के कहने पर समिति की बैठक सदन की बैठक के दिन भी हो सकेगी। किसी भी स्थिति में प्रत्येक संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक विधान सभा के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने की तिथि और विधान सभा की अगली बैठक की तिथि के बीच की अवधि में प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(2) संसदीय परामर्शदात्री समितियों की बैठकें, जब जयपुर में बुलाई जायें तो सदन परिसर में आयोजित की जायेंगी लेकिन सभापति के विवेकानुसार वे जयपुर के बाहर भी बुलाई जा सकेंगी, उस स्थिति में बैठक स्थान सभापति द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(3) सभापति, सदस्यों को उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने में उसकी सहायता करने के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित विभाग के किसी भी कर्मचारी की सेवा की अपेक्षा कर सकेगा तथा उसे ऐसे किसी दस्तावेज या ऐसी कोई सूचना, जो वह (सभापति) उचित समझे, उपलब्ध कराने के लिए कह सकेगा।

(4) समितियों में मतदान, संकल्प या समिति का कोई प्रतिवेदन नहीं होंगे लेकिन समितियों के कार्यवाही के विवरण तैयार किये जायेंगे तथा सम्बन्धित सदस्यों को भेजे जायेंगे।

(5) सभापति, समिति के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप लिये गये विनिश्चयों, यदि कोई हों, की घोषणा प्रेस को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(6) संसदीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक में ऐसे कोई विनिश्चय नहीं किये जायेंगे जिनमें वित्तीय भार या किसी स्वशासी बोर्ड या निकाय के कार्यकरण से संबंध रखने वाली बात अन्तर्वलित हो।

(7) समितियों में विचार-विमर्श के दौरान हुई किसी भी कार्यवाही को सदस्यों या सभापति द्वारा सदन में निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

**(q) Question and Reference Committee**

**253J. Constitution of the Committee.**— (1) At the beginning of each financial year of the Legislative Assembly, the Speaker shall constitute a "Question and Reference Committee", the term of office of which shall be one year.

(2) The Committee shall consist of not more than fifteen members, who shall be nominated by the Speaker :

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and where a Member is appointed as a Minister after his nomination to the Committee, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

**253K. Functions of the Committee.**— (1) If the answer to a Starred question, Unstarred question, Short notice question, Call attention motion and a notice under rule 295 is not received from the Government in time even after sufficient opportunity having been given or if the answer received does not give satisfaction to the Speaker and the Speaker deems it proper so to do, he may refer the matter to the Question and Reference Committee.

(2) In addition to the matters aforesaid, any matter relating to the House, if not within the jurisdiction of any other Committee under the rules, may be referred by the Speaker to the said Committee for consideration.

**(r) Women and Children Welfare Committee**

**253L. Constitution of the Committee.**— (1) The Speaker shall, as far as may be, at the beginning of the financial year, constitute a Committee on the Welfare of Women and Children, the term of office of which shall ordinarily be two years.

(2) The Committee shall consist of not more than fifteen members out of which not more than ten shall be women members. All members shall be nominated by the Speaker :

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and where a member after his nomination to the Committee is appointed as a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

**(थ) प्रश्न एवं संदर्भ समिति**

**253आ. समिति का गठन.-** (1) विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष “प्रश्न एवं संदर्भ समिति” का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

(2) समिति में अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नाम निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**253टा. समिति के कार्य.-** (1) यदि किसी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं नियम 295 के अधीन दी गयी सूचना का उत्तर पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी शासन की ओर से समय से प्राप्त नहीं हो अथवा प्राप्त उत्तर अध्यक्ष को समाधानकारक नहीं हो और अध्यक्ष ऐसा करना उचित समझे तो वे उस प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर सकेंगे।

(2) उपर्युक्त मुद्दों के अतिरिक्त सदन से सम्बन्धित यदि अन्य कोई प्रकरण, जो नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा उक्त समिति को विचार हेतु संदर्भित किया जा सकेगा।

**(द) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति**

**253ठ. समिति का गठन.-** (1) यथासम्भव वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी एक समिति नियुक्त करेंगे जिसका कार्यकाल साधारणतः दो वर्ष का होगा।

(2) समिति में अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे जिनमें अधिक से अधिक 10 महिला सदस्य होंगी। सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नाम निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**253M. Functions of the Committee.**— There shall be a Committee for the prevention of atrocity on, traffic in and exploitation of women and children as well as for their welfare. The functions of the Committee shall be as follows :—

- (a) to consider the complaints received with regard to the atrocities, trafficking and exploitation against the provisions of the Constitution of India or of a Rajasthan Act, and to give a report to the Assembly as to what action should be taken by the State Government with regard to the matter under its jurisdiction. The Committee shall examine complaints generally relating to all matters covering atrocities on, traffic in and exploitation of the women and children in the State and particularly to the following subjects and shall submit its comments, suggestions and recommendations by way of a report to the Assembly, namely:—
  - (1) Cases of the children below the age of 14 years who, within the meaning of Article 24 of the Constitution, are employed to work in any factories, hotels or mines or are engaged in any other hazardous employment in the State;
  - (2) Working of the orphan homes, observation homes, women welfare homes or women reformatories, special schools made for women and children;
  - (3) Cases of exploitation of women and their murder committed in the State for dowry;
  - (4) Evils developed among the children by the use of drugs and other intoxicating substances;
  - (5) Issues raised in the Assembly during discussion on atrocities, trafficking and exploitation of women and children;
  - (6) Working of the administrative departments and the Directorate of Women and Children Welfare running women and children welfare programmes in the State;
- (b) to submit implementation report to the Assembly with regard to the action taken by the State Government on the measures proposed by the Committee; and
- (c) to examine the cases relating to the aforesaid matters which the Committee may deem proper or which may specifically be entrusted by the Assembly or the Speaker.

**253डा. समिति के कृत्य.-** महिलाओं एवं बालकों के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार तथा शोषण पर रोक लगाने तथा उनके कल्याण के लिए एक समिति होगी। समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

(क) भारत के संविधान तथा राजस्थान के किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधाओं के विरुद्ध उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण सम्बन्धी, प्राप्त शिकायतें जहां तक कि उनका सम्बन्ध राजस्थान राज्य से हो, पर विचार करना एवं सभा को यह प्रतिवेदन दे कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषय के बारे में क्या कार्यवाही करनी चाहिये। समिति प्रदेश की महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण सामान्यतः सभी विषयों तथा विशेषकर निम्नलिखित विषयों की शिकायतों का परीक्षण करेगी और अपनी अभ्युक्तियां, सुझाव, सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को जो राज्य के किन्हीं कारखानों, होटलों, खानों एवं संकटमय नौकरी में रखे गये थे, उनके प्रकरण;

(2) महिलाओं एवं बालकों के लिये बनाये गये अनाथ आश्रम, संप्रेक्षण गृह, अनाथालय, महिला कल्याण गृह या महिला सुधारालयों, विशेष पाठशालाओं का कार्य चालन;

(3) दहेज के कारण प्रदेश में होने वाली महिलाओं के शोषण एवं हत्या के प्रकरण;

(4) बालकों को नशीले पदार्थों एवं नशा लाने वाली अन्य वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न बुराईयां;

(5) महिलाओं एवं बालकों के उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण के सम्बन्ध में विधान सभा में हुई चर्चा के दौरान उठाये गये मुद्दे

(6) राज्य में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को चलाये जाने वाले प्रशासकीय विभागों, महिलाओं तथा बाल कल्याण संचालनालय के कार्य चालन;

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपाय पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभा को कार्यान्वयन प्रतिवेदन देना;

(ग) उपर्युक्त विषय में ऐसे मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे जायें।

**253 N. Regulation of the procedure.**— The Speaker may issue such directions as he may consider necessary for regulating the procedure in connection with all matters related with the consideration of the Committee or the Assembly.

**(s) Committee on Welfare of Backward Classes**

**253 O. Constitution of the Committee.**— (1) There shall be a Committee for the Welfare of the Backward Classes.

(2) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that no Minister shall be nominated a member of the Committee and if a member after his appointment to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

**253 P. Functions of the Committee.**— The Committee shall examine the steps taken by the State Government in connection with the welfare and over-all development of the Backward Classes.

**(t) Committee on Welfare of Minorities**

**253 Q. Constitution of the Committee.**— (1) There shall be a Committee for the Welfare of the Minorities.

(2) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that no Minister shall be nominated a member of the Committee and if a member after his appointment to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

**253 R. Functions of the Committee.**— The Committee shall examine the steps taken by the State Government in connection with the welfare and over-all development of the minorities.

**253दा. प्रक्रिया का विनियमन.-** अध्यक्ष, समिति या सभा के विचार से सम्बन्धित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह आवश्यक समझें।

**(ध) पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति**

**253णा. समिति का गठन.** (1) पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी कार्यों की देखरेख के लिए एक समिति होगी।

(2) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जावेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**253ता. समिति के कृत्य.-** समिति राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

**(न) अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति**

**253था. समिति का गठन.-** (1) अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों की देखरेख के लिये एक समिति होगी।

(2) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जावेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**253दा. समिति के कृत्य.-** समिति राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

**(u) Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions**

**253 S. Functions of the Committee.**— (1) There shall be a Committee for examination of accounts showing the appropriation of sums granted by the House for the expenditure of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions, the annual finance accounts of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions and such other accounts laid before the House as the Committee may think fit.

(2) In scrutinizing the Appropriation of Accounts of the State and the report of the Comptroller and Auditor General thereon, It shall be the duty of the Committee to satisfy itself –

- (a) that the moneys shown in the accounts as having been disbursed were legally available for, and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged;
- (b) that the expenditure conforms to the authority which governs it; and
- (c) that every re-appropriation has been made in accordance with the provisions made in this behalf under rules framed by competent authority.

(3) To examine whether the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions are performing their duties in accordance with the law bearing in mind the autonomy of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.

(4) To examine any other points if referred to the Committee by the Hon'ble Speaker with reference to the objectives of Local Bodies or Panchayati Raj Institutions.

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following matters namely :-

- A. Matters of Major policies of the government as distinct from Local Bodies and Panchayati Raj Institutions;
- B. Day to day matters of administration of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions; and

**(प) स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं सम्बन्धी समिति**

**253धा. समिति के कृत्य.-** (1) स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के व्यय के लिये सदन द्वारा मंजूर की गयी राशि के विनियोजन को दर्शाने वाले लेखाओं, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के वार्षिक वित्त लेखाओं और सदन के समक्ष रखे गये ऐसे अन्य लेखाओं, जो समिति उचित समझे, के परीक्षण के लिये एक समिति होगी।

(2) राज्य के लेखाओं के विनियोजन और उस पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा में समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करें-

- (क) कि लेखाओं में संवितरित किये गये रूप में दर्शाया गया धन, उस सेवा या प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसे उपयोजित या प्रभारित किया गया है, विधिक रूप से उपलब्ध और उस पर लागू होता था;
- (ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो उसे शासित करता है; और
- (ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोजन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरचित नियमों के अधीन इस निमित्त बनाये गये उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(3) यह परीक्षण करना कि क्या स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाएं, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं की स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए, विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं।

(4) स्थानीय निकायों या पंचायतीराज संस्थाओं के उद्देश्यों के सम्बन्ध में किन्हीं अन्य बिन्दुओं का परीक्षण करना यदि माननीय अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किये जाये;

परन्तु समिति निम्नलिखित मामलों में से किसी का भी परीक्षण और अन्वेषण नहीं करेगी, अर्थात् :-

- (क) स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं से भिन्न सरकार की मुख्य नीतियों के मामले;
- (ख) स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासन के दैनंदिन मामले; और

- C. Matters for the consideration of which machinery is established by or under any other special statute under which the Local Bodies and Panchayati Raj Institution are established.

**253 T. Constitution of Committee.**— (1) The Committee shall consist of not more than fifteen members, who shall be nominated by the Speaker every year from amongst its members :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member, after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

**(v) Committee on Environment**

**253 U. Constitution of Committee on Environment.**— There shall be a Committee on Environment consisting of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

**253 V. Functions of the Committee.**— The functions of the Committee shall be,—

- (i) to study the environmental problems within the State and to recommend remedial measures thereto;
- (ii) to examine the nature, degree and extent of the environmental imbalances caused by different kinds of pollution in the State like water pollution, air pollution, noise pollution and the like, the results of such pollution and to suggest remedial measures for the prevention and control thereof;
- (iii) to examine the working and activities of the Department/Board or the industrial establishments situated in the State in relation to environment;

- (ग) ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए, किसी अन्य विशिष्ट कानून जिसके अधीन स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्था स्थापित की गयी है, द्वारा या उसके अधीन तंत्र स्थापित किया गया है।

**253जा. समिति का गठन.-** (1) समिति में पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा, और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**(फ) पर्यावरण सम्बन्धी समिति**

**253पा. पर्यावरण सम्बन्धी समिति का गठन.-** एक पर्यावरण संबंधी समिति होगी जिसमें पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जावेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनयन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**253फा. समिति के कृत्य.-** समिति के कृत्य ये होंगे:-

- (1) राज्य के भीतर पर्यावरणीय समस्याओं पर अध्ययन करना और उसके उपचारिक उपायों की सिफारिश करना;
- (2) राज्य में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उन जैसे विभिन्न तरह के प्रदूषणों द्वारा कारित पर्यावरणीय असंतुलन की प्रकृति, मात्रा और विस्तार तथा ऐसे प्रदूषण के परिणाम का परीक्षण करना और उनके निवारण और नियंत्रण के लिये उपचारिक उपायों का सुझाव देना;
- (3) राज्य में पर्यावरण से सम्बन्धित स्थित विभाग/बोर्ड या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य और क्रिया-कलापों का परीक्षण करना;

- (iv) to review the implementation of the plans and programmes (both Central and State) relating to maintenance of environmental balance with regards to State;
- (v) to report what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform consistent with the policy approved by State Legislature may be effected;
- (vi) to examine the annual reports of the Department/ Board relating to the State in respect of environment with a view to find out whether the expenditure incurred was commensurate with the results achieved;
- (vii) to report to the Assembly on the action taken by the State Government on different measures suggested by the Committee; and.
- (viii) to examine such other matters as may be deemed fit by the Committee or specially referred to it by the House or by the Speaker.

**(w) COMMITTEE ON ETHICS**

**253AA.– Constitution of the Committee.-**

- (1) At the beginning of each financial year of the Legislative Assembly, the Speaker shall constitute a “Ethics Committee”, the term of the office of which shall be one year.
- (2) The Committee shall consist of not more than nine members, who shall be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister, Government Chief Whip, Government Deputy Chief or Whip of any party in the House shall not be nominated a Member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed as a Minister, Government Chief Whip, Government Deputy Chief Whip or Whip of any party in the house he shall cease to be a Member of the Committee from the date of such appointment.

**253BB.– Functions of the Committee.–** The Committee shall examine every complaint concerning the unethical conduct of a member both within and outside the House referred to it by the Speaker or the House or taken up by it suo-moto.

- (4) राज्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने से सम्बन्धित (केन्द्र और राज्य दोनों) की योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना;
- (5) यह रिपोर्ट करना कि राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के समनुरूप कौनसी अर्थव्यवस्था संगठन में अभिवृद्धियाँ, दक्षता या प्रशासनिक सुधार प्रभावित हो सकेंगे;
- (6) पर्यावरण के संदर्भ में राज्य से सम्बन्धित विभाग/बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदनों का यह पता लगाने के दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उपगत व्यय प्राप्त परिणामों के अनुरूप था;
- (7) समिति द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विधान सभा को रिपोर्ट करना; और
- (8) ऐसे अन्य मामलों का, जिन्हें समिति द्वारा उचित समझा जाय या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाय, परीक्षण करना।

**(ब) सदाचार समिति**

**253का का.- समिति का गठन**

- (1) विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष “सदाचार समिति” का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
- (2) समिति में 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे;

परन्तु कोई मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक या सदन के किसी दल का सचेतक समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनीत किये जाने के पश्चात मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक या सदन के किसी दल का सचेतक नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

**253. खा खा.- समिति के कृत्य:-** समिति अध्यक्ष अथवा सदन द्वारा उसे निर्दिष्ट की गई अथवा उसके द्वारा स्वप्रेरणा से ली गई किसी सदस्य के विरुद्ध सदन के बाहर अथवा अन्दर अनैतिक व्यवहार से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करेगी।

**253CC.— Reference of Complaints.-** (1) A Complaint relating to the unethical conduct of a Member, including a Minister, other than the Speaker, outside the House may be made by any person to the Speaker in writing in the form of a petition, who may refer it to the Committee for enquiry and report.

- (2) The House may also refer complaint of unethical conduct of a Member, on a motion to the committee for enquiry and report.
- (3) The Committee may also suo-moto take up for enquiry, matters relating to unethical conduct of Member whenever felt necessary.
- (4) Every complaint-
  - (a) Shall contain a concise statement of the material facts on which the complainant relies; and
  - (b) Shall be accompanied by copies of the documentary evidence, if any, on which the complainant relies.
- (5) Every complaint shall be signed by the Complainant and verified in the manner laid down in the code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908) for the verification of pleadings.
- (6) Every annexure to the petition shall also be signed by the complainant and verified in the same manner.
- (7) On receipt of a complaint under sub-rule (1), the Speaker shall consider whether the complaint complies with the requirements of this rule and if the petition complies with the said requirements, he shall refer it the Committee for enquiry.

**253DD.— Procedure in respect of enquiry.-**(1) Where the Committee, after making preliminary verification, proposes to conduct enquiry, it-

- (a) shall forward a copy of the complaint together with its enclosures, if any, or in case of any enquiry which the committee proposes to conduct on its own motion, a statement setting out the grounds therefore to the member concerned.

**253 गा गा.- शिकायतें निर्दिष्ट करना:-** (1) किसी सदस्य, जिसमें अध्यक्ष से भिन्न मंत्री भी सम्मिलित हैं, के सदन के बाहर किये गये अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में याचिका के रूप में अध्यक्ष को की जा सकेगी, जिसे वे समिति को जांच करने अथवा प्रतिवेदन देने हेतु निर्दिष्ट कर सकेंगे।

- (2) सदन भी किसी प्रस्ताव पर किसी सदस्य के अनैतिक आचरण की शिकायत समिति को जाँच करने हेतु अथवा प्रतिवेदन देने के लिये निर्दिष्ट कर सकेगा।
- (3) समिति किसी सदस्य के अनैतिक व्यवहार से संबंधित मामलों का स्वप्रेरणा से भी, जब भी आवश्यक समझे, जाँच हेतु ले सकेगी।
- (4) प्रत्येक शिकायत-
  - (क) में वस्तु परक तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन, जिस पर कि शिकायत आधारित है, अन्तर्विष्ट होगा, और-
  - (ख) में दस्तावेजों साक्ष्य की प्रतियां, यदि कोई हो, जिस पर कि शिकायत आधारित है, संलग्न होगी।
- (5) प्रत्येक शिकायत शिकायकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अभिवचनों के प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित ढंग से प्रमाणित होगी।
- (6) याचिका के प्रत्येक परिशिष्ट पर भी शिकायकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा उसी ढंग से प्रमाणित भी होंगे।
- (7) उप नियम(1) के अधीन शिकायत प्राप्ति के पश्चात अध्यक्ष विचार करेंगे कि शिकायत इस नियम की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करती है, तो वे इसे जांच हेतु समिति को निर्दिष्ट करेंगे।

**253 घा घा.- जांच के संबंध में प्रक्रिया :-** (1) समिति यदि प्राथमिक सत्यापन के पश्चात जांच करने का प्रस्ताव रखती है, तो वह-

- (क) शिकायत की एक प्रति मय संलग्न पत्रों के, यदि कोई हो, अथवा ऐसी किसी जांच जिसे संचालित करने का प्रस्ताव समिति स्वयं रखती है, जांच के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए एक कथन सम्बद्ध सदस्य को प्रेषित करेगी।

- (b) Shall afford to the member concerned and opportunity to send his reply on such complaints or statements.
- (2) (a) Every preliminary verification and subsequent enquiry referred to in sub-rule (1) shall be conducted incamera and in particular, the identity of the complainant and of the member shall not be disclosed.
  - (b) Every such enquiry shall be completed within a period of 3 months unless there is sufficient cause for not completing the enquiry within that period.
- (3) Save as aforesaid, the procedure for conducting any enquiry shall be so far, as may be, the same as the procedure for enquiry and determination of any question as to the breach of privilege of the House.
- (4) The Committee may, in its discretion, refuse to enquire or discontinue the enquiry into any complaint, if in its opinion,-
  - (a) it is frivolous or vexatious or is not made in good faith; or
  - (b) There are no sufficient grounds for enquiry or as the case may be for continuing enquiry.
- (5) In any case where the Committee decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint it shall record the reasons therefore and communicate the same to the Member and the Complainant.

**253EE.— Punishment for false complaints.**— Those who file false, frivolous or vexatious complaints are liable for punishment by the House.

**253FF.— Prohibition against publication of contents of the complaints.**— The contents of the complaints shall not be made public by anybody in any manner or in any form before the presentation or the Report of the Committee to the House, and whoever intentionally makes the contents of the complaint published before the report of the committee is presented to the house, is liable for punishment by the House.

**253GG.— Requisitioning of services of investigating agency.**— The Committee is at liberty to requisition the services of any agency for the purpose of investigation of complaints.

- (ख) समिति ऐसी शिकायत अथवा कथनों पर अपना उत्तर प्रेषित करने का अवसर संबंधित सदस्य को प्रदान करेगी।
- (2) (क) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सत्यापन तथा पश्चातवर्ती जांच एक बंद कमरे में की जायेगी तथा विशिष्ट रूप से शिकायकर्ता तथा सदस्य की पहचान प्रकट नहीं की जायेगी।
- (ख) ऐसी प्रत्येक जांच तीन माह की अवधि में पूर्ण की जायेगी, जब तक कि इस अवधि में जांच पूर्ण न करने का पर्याप्त कारण न हो।
- (3) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, जांच करने की प्रक्रिया जहां तक सम्भव हो सके, वही होगी, जो कि सदन के विशेषाधिकार हनन के किसी प्रश्न की जांच और निर्धारण हेतु अपनाई जाती है।
- (4) समिति अपने स्वविवेक से किसी शिकायत पर जांच करने से इंकार या उसे बंद कर सकेगी, यदि उसकी राय में-
- (क) यह तुच्छ अथवा तंग करने वाली है अथवा सद्भावपूर्वक नहीं की गई है अथवा
- (ख) जांच के या यथास्थिति इसे जारी रखने के, पर्याप्त, कारण नहीं हैं।
- (5) किसी भी मामले में जहां समिति किसी शिकायत पर विचार न करने अथवा किसी शिकायत के संबंध में जांच को बन्द करने का निर्णय लेती है, तो समिति इसके कारणों को अभिलिखित करेगी तथा सदस्य और शिकायकर्ता को इसकी सूचना देगी।

**253 3। 3।- झूठी शिकायत के लिए दण्ड.-** जो व्यक्ति झूठी, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत दर्ज कराते हैं, सदन द्वारा दण्ड के लिये दायी हैं।

**253 चा चा.-शिकायत की विषयवस्तु के प्रकाशन के विरुद्ध प्रतिषेध.-** सदन में समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापन किये जाने से पूर्व शिकायत की विषयवस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से या किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं किया जायेगा तथा सदन में समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने से पूर्व कोई साशय शिकायत की विषयवस्तु को प्रकाशित करता है, सदन द्वारा दण्ड के लिये दायी होगा।

**253 छा छा.- जांच अन्वेषण करने वाली एजेंसी (अभिकरण) की सेवाओं की मांग.-** शिकायत के अन्वेषण करने के प्रयोजन से समिति किसी एजेंसी (अभिकरण) की सेवाओं की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

**253HH.– Report of the Committee.-** (1) The Committee shall examine every complaint where prima-facie case is established with reference to the facts and submit its report to the House with such recommendations as it may deem fit.

- (2) The report may also suggest the procedure to be followed by the House for giving effect to the recommendations made by the Committee.

**253 II.– Consideration of Report.–** After the Report has been presented, the Chairman may move that the Report be taken into consideration where upon the Speaker put the question to the House.

**253 जा जा.- समिति का प्रतिवेदन.-** (1) जहां आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाता है, समिति तथ्यों के आधार पर प्रत्येक शिकायत की जांच करेगी तथा अपना प्रतिवेदन ऐसी सिफारिशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझती है, प्रस्तुत करेगी।

(2) समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को प्रभावी बनाने हेतु सदन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सुझाव भी अपने प्रतिवेदन में दे सकती है।

**253 झा झा.- प्रतिवेदन पर विचार:-** प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात सभापति प्रस्ताव रख सकेंगे कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाय, जिस पर अध्यक्ष सदन में प्रश्न कर सकेगा।

## CHAPTER XXV

### General Rules of Procedure

#### Notices

**254. Notices by members.**— (1) Every notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Principal Secretary and signed by the member giving notice, and shall be left at the Notice Office which shall be open for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except Sunday or public holiday.

(2) Notices left at the Notice Office after the hours notified under sub-rule (1) shall be treated as given on the next open day.

**255. Circulation of notices and papers to members.**—

(1) The Principal Secretary shall make every effort to circulate to each member a copy of every notice or other paper which is required by these rules to be made available for the use of members.

(2) A notice or other paper shall be deemed to have been made available for the use of every member if a copy thereof is deposited in such manner and in such place as the Speaker may, from time to time, direct :

Provided that a notice shall not be given publicity by any one until it has been admitted and circulated to members :

Provided further that a notice of a question shall not be given publicity until the question is answered in the House.

**256. Lapse of pending notices on prorogation of House.**—

On the prorogation of the House, all pending notices, other than notices of intention to move for leave to introduce a Bill shall lapse and fresh notices shall be given for the next session :

Provided that a fresh notice shall be necessary of intention to move for leave to introduce any Bill in respect of which sanction or recommendation has been granted under the Constitution if the sanction or recommendation, as the case may be, has ceased to be operative.

## अध्याय 25

### प्रक्रिया के सामान्य नियम

#### सूचनाएं

**254. सदस्यों द्वारा सूचनाएं.-** (1) इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना प्रमुखसचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जायेगी, और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और सूचनालय में छोड़ दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिए रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुला रहेगा।

(2) सूचनालय में उप-नियम (1) के अन्तर्गत अधिसूचित समय के बाद छोड़ी गई सूचनाएं अगले खुलने वाले दिन दी गई समझी जायेंगी।

**255. सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन.-** (1) प्रमुख सचिव, प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक सूचना या पत्र की एक प्रति, जिसकी इन नियमों के अनुसार सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध किये जाने की अपेक्षा है, परिचालित करने का भरसक प्रयत्न करेगा।

(2) कोई सूचना या अन्य पत्र प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध किया गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रति ऐसी रीति से और ऐसे स्थान में रख दी जाये जैसा कि अध्यक्ष, समय-समय पर, निदेश दे :

परन्तु किसी सूचना का किसी के द्वारा तब तक प्रचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्वीकार नहीं की जाये तथा सदस्यों में परिचालित नहीं कर दी जाये :

परन्तु यह भी कि किसी प्रश्न की सूचना का तब तक प्रचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका उत्तर सदन में नहीं दिया जाये।

**256. सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगमन.-** सत्रावसान होने पर किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के विचार की सूचनाओं के अतिरिक्त सब लम्बित सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी और अगले सत्र के लिये नई सूचनाएं देनी पड़ेंगी :

परन्तु किसी ऐसे विधेयक को, जिसके संबंध में संविधान के अन्तर्गत मंजूरी या सिफारिश प्रदान की गई हो, पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के विचार की नई सूचना का दिया जाना आवश्यक होगा, यदि यथास्थिति, मंजूरी या सिफारिश प्रवर्तित नहीं रही हो।

**257. Motion, resolution or amendment moved not to lapse.**— A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House.

**258. Speaker to amend notices of questions and motions, etc.**— If in the opinion of the Speaker, any notice contains words, phrases or expressions which are argumentative, unparliamentary, ironical, irrelevant, verbose, or otherwise inappropriate, he may, in his discretion, amend such notice before it is circulated.

### **Motions**

**259. Repetition of motion.**— A motion raising a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session shall in no case be repeated.

**260. Withdrawal of motion.**— (1) A member who has made a motion may withdraw the same by leave of the House.

(2) The leave shall be signified not upon question but by the Speaker taking the pleasure of the House. The Speaker shall ask "Is it your pleasure that the motion be withdrawn". If no one dissents, the Speaker shall say : "The motion is by leave withdrawn". But if any dissentient voice be heard or a member rises to continue the debate, the Speaker shall forthwith put the motion :

Provided that if an amendment has been proposed to a motion, the original motion shall not be withdrawn until the amendment has been disposed of.

**261. Adjournment of debate on motion.**— At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned.

**262. Dilatory motion in abuse of the rules of House.**— (1) If the Speaker is of opinion that a motion for the adjournment of a debate is an abuse of the rules of the House, he may either forthwith put the question thereon or decline to propose the question.

**257. प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होंगे.-** कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है और सदन में लम्बित है, केवल सत्रावसान होने के कारण ही व्यपगत नहीं होगा।

**258. प्रश्नों और प्रस्तावों आदि की सूचना का अध्यक्ष द्वारा संशोधित किया जाना.-** यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पद हैं जो प्रतर्कात्मक, असंसदीय, व्यंगात्मक, असंगत, आडम्बरपूर्ण या अन्यथा अनुचित हों, तो वह स्वविवेक से, ऐसी सूचना में परिचालित किये जाने के पूर्व संशोधन कर सकेगा।

#### प्रस्ताव

**259. प्रस्तावों की पुनरुक्ति.-** ऐसे प्रस्ताव की, जिसमें सारवान रूप से ऐसे ही प्रश्न के समान कोई प्रश्न उठाया गया हो जिस पर सदन उसी सत्र में विनिश्चय कर चुका हो, किसी भी अवस्था में पुनरुक्ति नहीं की जायेगी।

**260. प्रस्ताव की वापसी.-** (1) जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया हो वह उसे सदन की अनुमति से वापस ले सकेगा।

(2) अनुमति प्रश्न पर नहीं, अपितु अध्यक्ष द्वारा सदन की इच्छा जानकर व्यक्त की जायेगी। अध्यक्ष पूछेगा : “क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाये” यदि कोई विमत में न हो तो अध्यक्ष कहेगा : “प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया।” किन्तु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिये उठे तो अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव रखेगा :

परन्तु यदि किसी प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्थापित किया गया हो तो मूल प्रस्ताव वापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि संशोधन न निबटा दिया गया हो।

**261. प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन.-** किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये।

**262. विलम्बकारी प्रस्ताव जिससे सदन के नियमों का दुरुपयोग हो.-** (1) यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव सदन के नियमों का दुरुपयोग है तो वह इस पर या तो तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा।

(2) If the Speaker is of opinion that a motion for re-circulation of a Bill to elicit further opinion thereon is in the nature of a dilatory motion in abuse of the rules of the House inasmuch as the original circulation was adequate or comprehensive or that no circumstance has arisen since the previous circulation to warrant the re-circulation of the Bill, he may forthwith put the question thereon or decline to propose the question.

(3) If the Speaker is of opinion that a motion for re-committal of a Bill to a Select Committee of the House or circulation or re-circulation of the Bill after the Select Committee of the House has reported thereon is in the nature of a dilatory motion in abuse of the rules of the House inasmuch as the Select Committee of the House has dealt with the Bill in a proper manner or that no unforeseen or new circumstance has arisen since the Bill emerged from such Committee, he may forthwith put the question thereon or decline to propose the question.

**263. Motion that policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration.**— A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the House but the House shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a member moved a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and the vote of the House shall be taken on such motion.

#### **Anticipating Discussion**

**264. Anticipating discussion.**— No member shall anticipate the discussion of any subject of which notice has been given provided that in determining whether a discussion is out of the order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time.

#### **Amendments**

**265. Scope of amendments.**— (1) An amendment shall be relevant to, and within the scope of, the motion to which it is proposed.

(2) An amendment shall not be moved which has merely the effect of a negative vote.

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि किसी विधेयक पर अग्रेत्तर राय जानने के लिए उसे पुनः संचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी स्वरूप का है जिससे सदन के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि मूल परिचालन ही पर्याप्त था या यह कि पूर्व परिचालन के बाद विधेयक के पुनः परिचालन की आवश्यकता के हेतु कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है तो वह उस पर तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा।

(3) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति को फिर से सौंपे जाने या उसके परिचालन या पुनः परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है जिससे कि सदन के नियमों का दुरुपयोग होगा, क्योंकि सदन की प्रवर समिति विधेयक पर उचित रीति से विचार कर चुकी है या यह कि विधेयक के ऐसी समिति से आने के बाद कोई अप्रत्याशित या नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है तो उस पर तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा।

**263. यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये.-** यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये, सदन के मत के लिए नहीं रखा जायेगा, किन्तु सदन ऐसे विषय पर प्रस्तावक का भाषण समाप्त होने के बाद तुरन्त चर्चा करेगा और निश्चित समय पर वाद-विवाद की समाप्ति पर कोई अग्रेत्तर प्रश्न नहीं रखा जायेगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखे और ऐसे प्रस्ताव पर सदन का मत लिया जायेगा।

#### चर्चा की प्रत्याशा

**264. चर्चा की प्रत्याशा.-** कोई सदस्य किसी ऐसे विषय की चर्चा की प्रत्याशा नहीं करेगा जिसकी सूचना दी जा चुकी हो परन्तु यह निर्धारित करने के लिए कि चर्चा प्रत्याशा के आधार पर नियम ग्राह्य है या नहीं, अध्यक्ष अप्रत्याशित विषय के सदन के सामने उचित समय के भीतर लाये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखेगा।

#### संशोधन

**265. संशोधनों की व्याप्ति.-** (1) संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्थापित किया जाये।

(2) ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायेगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत है।

(3) An amendment on a question shall not be inconsistent with previous decision on the same question.

(4) An amendment to an amendment may be moved with the permission of the Speaker and no prior notice is required in such a case.

**266. Notice of amendments.**— Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice.

**267. Selection of amendments.**— The Speaker shall have power to select the amendments to be proposed in respect of any motion, and may, if he thinks fit, call upon any member who has given notice of an amendment to give such explanation of the object of the amendment as may enable him to form a judgement upon it.

**268. Putting of amendments.**— The Speaker may put amendments in such order as he may think fit :

Provided that the Speaker may refuse to put an amendment which in his opinion is frivolous.

#### **Rules to be observed by Members**

**269. Rules to be observed by members while present in House.**— While the House is sitting, a member.—

- (i) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;
- (ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner;
- (iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the House and also when taking or leaving his seat;
- (iv) shall not pass between the Chair and any member who is speaking;
- (v) shall not leave or enter or move in the House when the Speaker is addressing the House;

(3) किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किये गये पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।

(4) संशोधन में संशोधन का प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे मामले में पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

**266. संशोधन की सूचना.-** किसी प्रस्ताव के संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है उससे एक दिन पहले दी जायेगी यदि अध्यक्ष ऐसी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे।

**267. संशोधन का संवरण.-** किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अध्यक्ष को प्रस्थापित किये जाने वाले संशोधनों का संवरण करने की शक्ति होगी और यदि वह ठीक समझे तो किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिए कह सकेगा जिससे वह उसका निर्णय करने में समर्थ हो सके।

**268. संशोधनों का रखा जाना.-** अध्यक्ष संशोधन उस क्रम में रख सकेगा, जिसे वह ठीक समझे :

परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे संशोधन को रखने से इंकार कर सकेगा, जो उसकी राय में तुच्छ हो।

#### सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

**269. सदन में उपस्थित रहते समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम.-** जब सदन की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य-

- (1) ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो;
- (2) किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा;
- (3) सदन में प्रवेश करते समय या सदन के बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्ष-पीठ के प्रति नमन करेगा;
- (4) अध्यक्ष-पीठ और ऐसे सदस्य के बीच से जो भी भाषण दे रहा हो, नहीं गुजरेगा;
- (5) जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहा हो तो सदन से बाहर नहीं जायेगा, या सदन में प्रवेश नहीं करेगा, अथवा सदन में इधर-उधर नहीं जायेगा;

- (vi) shall always address the Chair;
- (vii) shall keep to his usual seat while addressing the House;
- (viii) shall maintain silence when not speaking in House;
- (ix) shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and shall avoid making running commentaries when speeches are being made in the House;
- (x) shall not applaud when a stranger enters any of the galleries or the Governor's Box;
- (xi) shall not while speaking make any reference to the strangers in any of the galleries;
- (xii) shall not smoke or drink water or any other potable or eat anything in the House;
- (xiii) shall not bring arms, stick or umbrella inside the House; and
- (xiv) shall not sleep in the House.

**270. Members to speak when called by Speaker.**— When a member rises to speak, his name shall be called by the Speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so called shall be entitled to speak.

**271. Mode of addressing House.**— A member desiring to make any observations on any matter before the House shall speak from his place, shall rise when he speaks and shall address the Speaker :

Provided that a member disabled by sickness or infirmity may be permitted to speak sitting.

**272. Rules to be observed while speaking.**— A member while speaking shall not-

- (i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;
- (ii) make a personal charge against a member;

- (6) सदैव अध्यक्ष-पीठ को ही सम्बोधित करेगा;
- (7) सदन को सम्बोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेगा;
- (8) जब सदन में नहीं बोल रहा हो तो शांत रहेगा;
- (9) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, चीत्कार नहीं करेगा या बाधा नहीं डालेगा और जब सदन में भाषण दिये जा रहे हों तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा;
- (10) जब किसी दीर्घा में अथवा राज्यपाल प्रकोष्ठ में कोई अजनबी प्रवेश करें तो प्रशंसा घोष नहीं करेगा;
- (11) भाषण करते समय किसी दीर्घा में बैठे हुए अजनबियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेगा;
- (12) सदन में धूमपान नहीं करेगा अथवा पानी अथवा अन्य किसी पेय का उपयोग नहीं करेगा या कोई चीज नहीं खायेगा;
- (13) सदन में हथियार, लकड़ी अथवा छाता नहीं लायेगा; और
- (14) सदन में नींद नहीं लेगा।

**270. अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना.-** जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारा जायेगा। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाये उसी को बोलने का हक होगा।

**271. सदन को सम्बोधित करने की रीति.-** सदन के समक्ष किसी विषय पर कुछ चर्चा करने का इच्छुक सदस्य अपने स्थान से बोलेगा, बोलते समय खड़ा होगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा :

परन्तु रोग या दुर्बलता के कारण असमर्थ किसी सदस्य को बैठकर बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

**272. बोलते समय पालनीय नियम.-** बोलते समय कोई सदस्य-

- (1) किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;
- (2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोप नहीं करेगा;

- (iii) use offensive expressions about the conduct of proceedings of the Assembly, Parliament or any State Legislature;
- (iv) reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it;
- (v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;

**Explanation.**— The words "persons in high authority" mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn in terms to be approved by him;

- (vi) use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate;
- (vii) utter treasonable, seditious or defamatory words;
- (viii) use his right of speech for the purpose of obstructing the business of the House;
- (ix) read his speech, but may refresh his memory by reference to notes;
- (x) reflect upon the conduct of the Speaker except on a substantive motion for his removal; and
- (xi) reflect upon the conduct of the President or the Governor of any State.

**273. Procedure regarding allegation against a person.—**

No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply :

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.

- (3) सभा, संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा;
- (4) सदन के किसी निर्धारण पर, उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर आक्षेप नहीं करेगा;
- (5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो;

**व्याख्या:-** शब्द “उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों” का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा, अध्यक्ष की राय में उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए;

- (6) वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेगा;
- (7) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा;
- (8) अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिये नहीं करेगा;
- (9) अपना भाषण नहीं पढ़ेगा परन्तु अपनी स्मृति को टिप्पणियों से अभिनव कर सकेगा;
- (10) अध्यक्ष को हटाने के मूल प्रस्ताव के माध्यम को छोड़कर उसके आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा; और
- (11) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा।

**273. किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया.-** किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता।

**274. Questions to be asked through the Speaker.—**

When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a question of another member on any matter then under consideration of the House, he shall ask the question through the Speaker.

**275. Irrelevance or repetition.—**

The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech.

**276. Personal explanation.—**

A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise.

**Order of speeches and right of reply**

**277. Order of speeches and right of reply.—**

(1) After the member who moves a motion has spoken, other members may speak to the motion in such order as the Speaker may call upon them. If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled, except with the permission of the Speaker, to speak to the motion at any later stage of the debate.

(2) Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion except with the permission of the Speaker.

(3) A member who has moved a motion may speak again by way of reply :

Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker.

**278. Mover's reply concludes debate.—**

The reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate.

**274. प्रश्नों का अध्यक्ष की मार्फत पूछा जाना.-** जब चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिये या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को उस सदन के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष की मार्फत प्रश्न पूछेगा।

**275. असंगति या पुनरुक्ति.-** अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सदन का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निर्देश दे सकेगा।

**276. वैयक्तिक स्पष्टीकरण.-** कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

**भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार**

**277. भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार.-** (1) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के बोल चुकने के बाद अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम से बोल सकेंगे जिसमें कि अध्यक्ष उनको पुकारे। यदि कोई सदस्य इस प्रकार पुकारे जाने पर न बोले तो फिर उसे अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, वाद-विवाद के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर बोलने का हक नहीं होगा।

(2) उत्तर देने के अधिकार के प्रयोग को छोड़कर या इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, एक बार से अधिक नहीं बोलेगा।

(3) कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तरस्वरूप पुनः बोल सकेगा :

परन्तु इस उप-नियम की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी विधेयक या संकल्प में संशोधन प्रस्ताव के प्रस्तावक को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना उत्तर देने का कोई अधिकार मिलता है।

**278. प्रस्तावक के उत्तर से वाद-विवाद का समाप्त हो जाना.-** वाद-विवाद सब अवस्थाओं में मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने पर समाप्त हो जावेगा।

### **Address by Speaker**

**279. Address by Speaker.**— The Speaker may himself, or on a point being raised or on a request made by a member, address the House at any time on a matter under consideration in the House with a view to aid members in their deliberations, and such expression of views shall not be taken to be in the nature of a decision.

### **Procedure when Speaker rises**

**280. Procedure when Speaker rises.**— (1) Whenever the Speaker rises, he shall be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak shall immediately sit down.

(2) No member shall leave his seat while the Speaker is addressing the House.

### **Closure**

**281. Closure.**—(1) At any time after a motion has been made, any member may move : "That the question be now put," and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion : "That the question be now put."

(2) Where the motion: "That the question be now put," has been carried, the question or questions consequent thereon shall be put forthwith without further debate :

Provided that the Speaker may allow a member any right of reply which he may have under these rules.

**282. Limitation of debate.**— (1) Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protracted, the Speaker may, after taking the sense of House, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be.

(2) At the appointed hour, in accordance with the time limit

**अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन**

**279. अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन.-** अध्यक्ष स्वयं ही या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना की जाने पर, किसी भी समय सदन में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सदन को सम्बोधित कर सकेगा और इस प्रकार व्यक्त किये गये मत को किसी प्रकार के विनिश्चय के रूप में नहीं समझा जायेगा।

**अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया**

**280. अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया.-** (1) जब कभी अध्यक्ष खड़ा हो तो, उसे शांतिपूर्वक सुना जायेगा और जब कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा हो या बोलने वाला हो तुरन्त बैठ जायेगा।

(2) जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहा हो तो कोई सदस्य अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा।

**समापन**

**281. समापन.-** (1) किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा : “कि अब प्रश्न रखा जाये” और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा : “कि अब प्रश्न रखा जाये।”

(2) जब यह प्रस्ताव “कि अब प्रश्न रखा जाये” स्वीकृत हो जाये तो उससे आनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को, अग्रेत्तर वाद-विवाद के बिना तुरन्त रख दिया जायेगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कोई उत्तर देने का अधिकार दे सकेगा जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो।

**282. वाद-विवाद की परिसीमा.-** (1) जब कभी विधेयक के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद अनुचित रूप से लम्बा हो जाये तो अध्यक्ष, सदन का अभिप्राय जानने के बाद, यथास्थिति, विधेयक या प्रस्ताव के किसी प्रक्रम या सब प्रक्रमों पर चर्चा की समाप्ति के लिये समय सीमा निश्चित कर सकेगा।

(2) विधेयक या प्रस्ताव के किसी खास प्रक्रम को पूरा करने के लिये

fixed for the completion of a particular stage of a Bill or a motion, the Speaker shall, unless the debate is sooner concluded, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or the motion.

**282 A. Time limit for speeches.**— Unless otherwise prescribed in these rules, the Speaker may, if he thinks fit, prescribe different time limit for speeches on different motions and other items of business.

### **Question for Decision**

**283. Procedure for obtaining decision of House.**— A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member.

**284. Proposal and putting of question.**— When a motion has been made, the Speaker shall propose the question for consideration and put it for the decision of the House. If a motion embodies two or more separate propositions, those propositions may be proposed by the Speaker as separate questions.

**285. No speech after voices collected.**— A member shall not speak on a question after the Speaker has collected the voices both of the Ayes and of the Noes on that question.

### **Division**

**286. Division.**— (1) On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say "Aye" and those against the motion to say "No."

(2) The Speaker shall then say : "I think the Ayes (or Noes as the case may be) have it". If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice. "The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" and the question before the House shall be determined accordingly.

(3) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he shall order that the Lobbies be cleared.

(b) After the lapse of two minutes, he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the "Ayes" or the "Noes" have it.

निश्चित समय सीमा के अनुसार, नियत समय पर, यदि वाद-विवाद उससे पूर्व समाप्त न हो गया हो, तो अध्यक्ष विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रक्रम के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

**282का. भाषणों के लिये समय-सीमा.-** जब तक इन नियमों में अन्यथा विहित न हो, अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, विभिन्न प्रस्तावों तथा कार्यविधि के अन्य मदों पर भाषणों के लिये भिन्न-भिन्न समय-सीमा विहित कर सकेगा।

#### विनिश्चय के लिये प्रश्न

**283. सदन का विनिश्चय प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया.-** जिस विषय पर सदन का विनिश्चय अपेक्षित हो वह सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, अध्यक्ष द्वारा रखे गये प्रश्न के द्वारा, विनिश्चित किया जायेगा।

**284. प्रस्थापना तथा प्रश्न का रखा जाना.-** जब कोई प्रस्ताव किया गया हो तो अध्यक्ष प्रश्न को विचार के लिये प्रस्थापित करेगा और उसे सदन के विनिश्चय के लिये रखेगा। यदि किसी प्रस्ताव में दो या अधिक अलग-अलग प्रस्थापनाएं शामिल हों तो वे प्रस्थापनाएं अध्यक्ष द्वारा अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्थापित की जा सकेंगी।

**285. आवाजें संग्रहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना.-** जिस प्रश्न पर अध्यक्ष “हां” वालों और “ना” वालों, दोनों की आवाजें संग्रहीत कर ले तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

#### विभाजन

**286. विभाजन.-** (1) किसी वाद-विवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष प्रश्न रखेगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे “हां” और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे “ना” कहने के लिये कहेगा।

(2) अध्यक्ष तब कहेगा : “मैं समझता हूँ कि ‘हां’ (या यथास्थिति ‘ना’) वाले जीत गये हैं।” यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति न की जाये तो वह दो बार कहेगा : “हां” (या यथास्थिति ‘ना’) वाले जीत गये” और सदन के समक्ष प्रश्न तदनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(3) (क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाये, तो वह आदेश देगा कि सभा कक्षों को खाली कर दिया जाये।

(ख) दो मिनट बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि उसकी राय में “हां” वाले जीत गये या “ना” वाले।

(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded by the members going into the Lobbies:

Provided that if, in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for "Aye" and those for "No", respectively, to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House. In such a case, the names of the voters shall not be recorded.

(4) If the Speaker grants the request for a Division, the Division Bell shall be rung for five minutes.

(5) After the division bell stops ringing, the Speaker shall again read over the terms of the question.

**287. Division by going into the Lobbies.**— (1) Where the Speaker directs under clause (c) of sub-rule (3) of rule 286 that the votes shall be recorded by the members going into the Lobbies, he shall direct the 'Ayes' to go into the Right Lobby and the 'Noes' into the Left Lobby. In the 'Ayes' or 'Noes' Lobby, as the case may be, each member shall state his Division Number and the Division Clerk, while marking his number on the Division List, shall simultaneously call out the name of the member.

(2) After voting in the Lobbies is completed, the Division Clerks shall bring the Division Lists to the Table where the votes shall be counted by the officers at the Table and the totals of 'Ayes' and 'Noes' presented to the Speaker :

Provided that where a member remains neutral and desires that the fact of his remaining neutral may be recorded, such fact shall be recorded.

(3) The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged.

(4) A member who is unable to go to the Division Lobby owing to sickness or infirmity may, with the permission of the Speaker, have his vote recorded either at his seat or in the Lobby before the result of the Division is announced.

#### **Papers quoted to be laid on the Table**

**288. Papers quoted to be laid on the Table.**— If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :

(ग) यदि इस तरह घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष निदेश देगा कि सदस्य सभा-कक्षों में जाकर अपने मत अभिलिखित कराएं :

परन्तु यदि, अध्यक्ष की राय में, विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई हो तो वह क्रमशः “हां” तथा “ना” वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थानों में खड़े होने के लिए कह सकेगा और गणना होने पर सदन का निर्धारण विधोषित कर सकेगा। ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अभिलिखित नहीं किये जायेंगे।

(4) यदि अध्यक्ष विभाजन की प्रार्थना को स्वीकार करता है तो विभाजन घंटी पांच मिनट तक बजायी जायेगी।

(5) विभाजन घंटी का बजना बन्द होने के पश्चात् अध्यक्ष प्रश्न के पदों को दुबारा पढ़ेगा।

**287. सभा कक्षों में जाकर विभाजन.-** (1) जब नियम 286 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अधीन अध्यक्ष यह निदेश दे कि सभा कक्षों में जाकर सदस्यों द्वारा अपने मत अभिलिखित कराये जायें तो वह “हां” वालों से दायें सभा-कक्ष में जाने के लिये कहेगा और “ना” वालों से बायें सभा-कक्ष में यथास्थिति “हां” या “ना” वाले सभा कक्ष में, प्रत्येक सदस्य अपनी विभाजन संख्या बतायेगा और विभाजन लिपिक, विभाजन सूची में उसकी संख्या पर निशान लगाते हुए साथ-साथ सदस्य का नाम पुकारेगा।

(2) सभा कक्ष में मतदान पूर्ण होने के बाद विभाजन लिपिक विभाजन सूचियां मेज पर लायेंगे जहां उपस्थित अधिकारियों द्वारा मत गिने जायेंगे और “हां” तथा “ना” वालों के योग अध्यक्ष के सामने उपस्थित किये जायेंगे :

परन्तु जब कोई सदस्य तटस्थ रहे और चाहे कि उसके तटस्थ रहने का तथ्य अभिलिखित किया जाये तो ऐसा तथ्य अभिलिखित किया जायेगा।

(3) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विधोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) जो सदस्य बीमारी या दौर्बल्य के कारण विभाजन सभा कक्ष तक जाने में असमर्थ हो वह, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, अपना मत या तो अपने स्थान पर या सभा कक्ष में, विभाजन का परिणाम विधोषित किये जाने से पहले, अभिलिखित करा सकेगा।

#### **उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना**

**288. उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना.-** यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा :

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary of gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

**289. Treatment of papers and other things laid on the Table of House.**— (1) A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the member presenting it.

(2) All papers, documents and other things laid on the Table shall be considered public and shall not be allowed to be withdrawn or returned except with the permission of the Speaker :

Provided that the Speaker may dispose of things other than papers and documents in such manner as he may consider necessary or appropriate.

**Procedure when a Minister disclosed sources of advice  
or opinion given to him**

**289 A. Procedure when a Minister discloses source of advice or opinion given to him.**— If, in answer to a question or during debate, a Minister discloses the advice or opinion given to him by any officer of the Government or by any other person or authority, he shall ordinarily lay the relevant document or parts of document containing that opinion or advice or a summary thereof on the Table.

**Objection to vote of a Member on grounds of personal,  
pecuniary or direct interest**

**289 B. Objection to vote of a member.**— If the vote of a member in a Division in the House is challenged on the ground of personal, pecuniary or direct interest in the matter to be decided, the Speaker may, if he considers necessary, call upon the member making the challenge to state precisely the ground of his objection, and the member whose vote has been challenged to state his case, and shall decide whether the vote of the member should be disallowed or not and his decision shall be final:

Provided that the vote of a member or members is challenged immediately after the Division is over and before the result is announced by the Speaker.

परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा :

परन्तु यह भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज्य-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे, तो संगत-पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा।

**289. सदन की मेज पर रखे गये पत्रों व अन्य वस्तुओं के साथ व्यवहार.-** (1) मेज पर रखा जाने वाला पत्र या दस्तावेज उसे मेज पर रखने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा।

(2) मेज पर रखे गये सभी पत्र, दस्तावेज और अन्य दूसरी वस्तुएं सार्वजनिक समझे जायेंगे और अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना न वापस लिये जायेंगे और न ही लौटाये जायेंगे :

परन्तु अध्यक्ष पत्रों और दस्तावेजों के अलावा अन्य दूसरी वस्तुओं का निर्वर्तन इस प्रकार कर सकेगा जैसा वह आवश्यक अथवा उपयुक्त समझे।

**प्रक्रिया जब कोई मंत्री उसे दी गई सलाह अथवा राय का स्रोत प्रकट करे**

**289क. प्रक्रिया जब कोई मंत्री उसे दी गई सलाह अथवा राय का स्रोत प्रकट करे.-** यदि किसी प्रश्न के उत्तर में अथवा वाद-विवाद के दौरान कोई मंत्री किसी सरकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा उसे दी गई सलाह अथवा राय को प्रकट करता है तो वह साधारणतया सम्बद्ध दस्तावेज अथवा दस्तावेज के वे भाग जिनमें सलाह अथवा राय समाविष्ट हो अथवा उनका विवरण सदन की मेज पर रखेगा।

**किसी सदस्य के मत पर व्यक्तिगत, आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष हित के**

**आधार पर आपत्ति**

**289ख. किसी सदस्य के मत पर आपत्ति.-** यदि किसी सदस्य के विभाजन के समय सदन में दिये गये मत को निर्णयाधीन विषय में उसके व्यक्तिगत, आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष हित के आधार पर चुनौती दी जाये, तो अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, चुनौती देने वाले सदस्य को उसके आपत्ति के आधार पर संक्षेप में बताने के लिए कह सकेगा और उस सदस्य को जिसके मत को चुनौती दी गई है अपना मामला प्रस्तुत करने को कह सकेगा और यह निश्चय करेगा कि सदस्य का मत अस्वीकृत कर दिया जाये अथवा नहीं तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा :

परन्तु चुनौती विभाजन समाप्त होने के तुरन्त बाद तथा अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के पहले दी जायेगी।

**Explanation:—** For the purposes of this rule, the interest of the member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any class or section thereof or on a matter of State policy.

#### **Statement by Minister**

**290. Statement by Minister.**— A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

#### **Withdrawal and suspension of Members**

**291. Withdrawal of member.**— The Speaker may direct any member, whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly, to withdraw immediately from the House and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting.

**292. Suspension of member.**— (1) The Speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof.

(2) If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session :

Provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.

(3) A member suspended under this rule shall forthwith withdraw from the precincts of the House.

#### **Suspension of sitting**

**293. Power of Speaker to adjourn House or suspend sitting.**— In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him.

**व्याख्या:-** इस नियम के प्रयोजनों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए तथा उस व्यक्ति से, जिसके मत को चुनौती दी गई है, सीधे रूप से सम्बन्धित होना चाहिए न कि जन साधारण या उसके किसी वर्ग या उसके किसी भाग के साथ या राज्य की नीति के विषय में।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

**290. मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य.-** लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाये कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

**सदस्यों का बाहर चला जाना तथा निलम्बन**

**291. सदस्य का बाहर चला जाना.-** अध्यक्ष किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो, तत्काल सदन से बाहर चले जाने का निदेश दे सकेगा और जिस सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जाये वह तुरन्त बाहर चला जायेगा और उस दिन की अवशिष्ट बैठक के समय तक अनुपस्थित रहेगा।

**292. सदस्य का निलम्बन.-** (1) यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष-पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे या जो हठपूर्वक और जान बूझकर सदन के कार्य में बाधा डाल कर सदन के नियमों का दुरुपयोग करे।

(2) यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाये तो वह तुरन्त प्रश्न रखेगा कि सदस्य (उसका नाम लेकर) को सत्र के अवशिष्ट काल तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये :

परन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, संकल्प कर सकेगा कि ऐसा निलम्बन समाप्त किया जाये।

(3) इस नियम के अन्तर्गत निलम्बित सदस्य तुरन्त सदन की प्रसीमाओं से बाहर चला जायेगा।

**बैठक का निलम्बन**

**293. अध्यक्ष की सदन को स्थगित करने या बैठक को निलम्बित करने की शक्ति.-** सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे उसके द्वारा बताये गये समय के लिए सदन को स्थगित कर सकेगा या किसी बैठक को निलम्बित कर सकेगा।

**Points of Order**

**294. Points of order and decisions thereon.**— (1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment :

Provided that the Speaker may permit a member to raise point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before the House.

(3) Subject to conditions referred to in sub-rule (1) and (2), a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so, give his decision thereon which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a point of order but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

(6) A member shall not raise a point of order--

- (a) to ask for information; or
- (b) to explain his position; or
- (c) when a question on any motion is being put to the House; or
- (d) which may be hypothetical; or
- (e) that Division Bells did not ring or were not heard.

**295. Raising a matter which is not a point of order.**— A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Principal Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix.

**औचित्य प्रश्न**

**294. औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय.-** (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(2) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।

(3) उप-नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा।

(4) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेगा।

(5) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) कोई सदस्य-

(क) जानकारी मांगने के लिये; या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये; या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के समक्ष रखा जा रहा हो; या

(घ) काल्पनिक; या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेगा।

**295. ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो.-** जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह प्रमुखसचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतलायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि को दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे।

**Maintenance of Order**

**296. Speaker to preserve order and enforce decisions.—**

The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions.

**Report of Proceedings**

**297. Report of proceedings of House.—**

The Principal Secretary shall cause to be prepared a full report of the proceedings of the House at each of its sittings and shall, as soon as practicable, publish it in such form and manner as the Speaker may, from time to time, direct.

**298. Expunction of words from debates.—**

If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House.

**299. Indication in printed debates of expunged proceedings.—**

The portion of the proceedings of the House so expunged shall be marked by asterisks and an explanatory foot-note shall be inserted in the proceedings as follows:—

"Expunged as ordered by the Chair"

**Printing and Publication of Assembly papers**

**300. Printing and publication of Assembly papers.— (1)**

The Speaker may authorise printing, publication, distribution or sale of any paper, document or report in connection with the business of the House or any paper, document or report laid on the Table or presented to the House or a Committee thereof.

(2) A paper, document or report printed, published, distributed or sold in pursuance of sub-rule (1) shall be deemed to have been printed, published, distributed or sold under the authority of the House within the meaning of clause (2) of Article 194 of the Constitution.

(3) If a question arises whether a paper, document or report is in connection with the business of the House or not, the question shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

**व्यवस्था बनाये रखना**

**296. अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और विनिश्चयों का प्रवर्तन करेगा.-** अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और विनिश्चयों के प्रवर्तनों के प्रयोजन के लिये उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी।

**कार्यवाही का वृत्तान्त**

**297. सदन की कार्यवाही का वृत्तान्त.-** प्रमुख सचिव सदन की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तान्त तैयार करायेगा और उसे यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दे।

**298. वाद-विवाद से शब्दों का निकाला जाना.-** यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाये।

**299. मुद्रित वाद-विवाद में से निकाली गई कार्यवाही को दर्शाना.-** सदन की कार्यवाही में से इस तरह निकाले गए अंश पर तारांक लगाया जाएगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जायेगी :-

“अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।”

**सभा के पत्रों का मुद्रण तथा प्रकाशन**

**300. सभा के पत्रों का मुद्रण तथा प्रकाशन.-** (1) अध्यक्ष सदन के कार्य के सम्बन्ध में किसी पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन अथवा मेज पर रखे गए या सदन या उसकी किसी समिति के सामने उपस्थापित किए गए किसी पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन, वितरण के प्राधिकार या विक्रय का प्राधिकार दे सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अनुसरण में मुद्रित, प्रकाशित, वितरित या विक्रीत कोई पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 194 के खण्ड (2) के अर्थ में सदन के अन्तर्गत मुद्रित, प्रकाशित, वितरित या विक्रीत समझा जावेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन सदन के कार्य से सम्बन्धित है या नहीं, तो उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

### **Custody of Papers**

**301. Custody of papers.**— The Principal Secretary shall have custody of all records, documents and papers belonging to the House or any of its Committees or Assembly Secretariat and he shall not permit any such records, documents or papers to be taken from the Assembly House without the permission of the Speaker.

### **Chamber of the House**

**302. Restriction on use of the Chamber of House.**— The Chamber of the House shall not be used for any purpose other than the sittings of the House.

### **Admission of Strangers**

**303. Admission of strangers.**— The admission of the strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker.

**304. Withdrawal of strangers.**— The Speaker may, whenever he thinks fit, order any strangers to withdraw from the House or any gallery to be cleared.

**305. Removal and takings into custody of strangers.**— The Marshal/Sergeant-at-Arms or an officer of the Assembly Secretariat authorised in this behalf by the Speaker shall remove from the precincts of the House or take into custody any stranger whom he may see, or who may be reported to him to be, in any portion of the precincts of the House which is reserved for the exclusive use of members and also any stranger who, having been admitted into any portion of the precincts of the House, misconducts himself or wilfully infringes the regulations made by the Speaker under rule 303 or does not withdraw when the strangers are directed to withdraw under rule 304 while House is sitting.

### **Suspension of Rules**

**306. Suspension of Rules.**— Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being.

### पत्रों की अभिरक्षा

**301. पत्रों की अभिरक्षा.-** सदन या उसकी किसी समिति के अथवा विधान सभा सचिवालय के सब अभिलेख, दस्तावेज और पत्र, प्रमुख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वह किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों या पत्रों को, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, विधान सभा सचिवालय से बाहर नहीं ले जाने देगा।

### सदन का वेश्म

**302. सदन के वेश्म के उपयोग पर निर्बन्धन.-** सदन के वेश्म का उपयोग सदन की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

### अजनबियों का प्रवेश

**303. अजनबियों का प्रवेश.-** सदन की बैठकों के दौरान सदन के उन भागों में, जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए रक्षित न हों, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

**304. अजनबियों का बाहर जाना.-** अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, अजनबियों को सदन से अथवा किसी भी दीर्घा से बाहर चले जाने का आदेश दे सकेगा।

**305. अजनबियों को हटाना तथा उन्हें अभिरक्षा में लेना.-** मार्शल/सशस्त्र परिचारक या विधान सभा सचिवालय का कोई अधिकारी जो इसके लिये अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत हो, किसी अजनबी को, जिसे वह सदन की प्रसीमाओं के उस भाग में, जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिये रक्षित हो, देखे या उसका वहां होना उसे बताया जाये, और उस अजनबी को भी, जो सदन की प्रसीमाओं के किसी भी भाग में प्रवेश पाकर अशोभनीय व्यवहार करता हो या अध्यक्ष द्वारा नियम 303 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता हो या जब सदन की बैठक हो रही हो और नियम 304 के अन्तर्गत अजनबियों को बाहर जाने का निदेश दिया हो तब बाहर नहीं जाता हो, तो वह उसे सदन की प्रसीमाओं से हटायेगा या उसे अपनी अभिरक्षा में लेगा।

### नियमों का निलम्बन

**306. नियमों का निलम्बन.-** कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।

**Residuary Powers**

**307. Residuary powers.**—All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct.

**Interpretation and Removal of Difficulties**

**308. Interpretation and removal of difficulties.**— If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final.

**अवशिष्ट शक्तियां**

**307. अवशिष्ट शक्तियां.-** ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दे।

**व्याख्या तथा कठिनाइयों का निराकरण**

**308. व्याख्या तथा कठिनाइयों का निराकरण.-** यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो तो उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

**FIRST SCHEDULE**

**Form of Petition**

(See rule 97 )

To,

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY, JAIPUR.

Sub.: .....  
.....  
.....

Sir,

Petitioner(s) pray as under :—

Petitioner(s) as in duty bound will ever pray :—

---

| S.<br>No. | Name/Names of<br>the petitioner/petitioners | Address | Signature or<br>Thumb impression |
|-----------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| (1)       |                                             |         |                                  |
| (2)       |                                             |         |                                  |
| (3)       |                                             |         |                                  |
| (4)       |                                             |         |                                  |
| (5)       |                                             |         |                                  |

---

Date :

Member  
Rajasthan Legislative Assembly  
(Division No.....)

**प्रथम अनुसूची**  
**याचिका का प्रपत्र**  
(देखिये नियम 97)

सेवा में,

राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

विषय :- .....

.....

.....

मान्यवर,

याचिका देने वाला/वाले निम्न प्रकार प्रार्थना करता है/करते हैं:-

याचिका देने वाला/वाले कर्तव्यबद्ध होकर सदा प्रार्थना करेगा/करेंगे :-

| क्र.सं. | याचिका देने वाले/<br>वालों का/के नाम | पता | हस्ताक्षर या अंगूठे<br>का निशान |
|---------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| (1)     |                                      |     |                                 |
| (2)     |                                      |     |                                 |
| (3)     |                                      |     |                                 |
| (4)     |                                      |     |                                 |
| (5)     |                                      |     |                                 |

दिनांक.....

सदस्य  
राजस्थान विधान सभा  
(विभाजन संख्या.....)

## SECOND SCHEDULE

### Form of Report on Petition by the Principal Secretary

(See rule 103)

Sir,

Under Rule.....of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajasthan Legislative Assembly, I have to report that..... petitions as per statement laid on the Table have been received relating to..... (in case of Bills ) the Bill to provide for.....which was introduced in the House on the.....20.....by Shri.....

### STATEMENT

Petitions relating to.....(in case of Bills) the Bill to provide for.....which was introduced in the House on the.....20.....

| Number of Signatories | District or town |
|-----------------------|------------------|
|                       |                  |

Principal Secretary

**द्वितीय अनुसूची**  
**याचिका पर प्रमुखसचिव द्वारा प्रतिवेदन का प्रपत्र**  
(देखिये नियम 103)

श्रीमान,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम.....के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदन करना है कि..... के सम्बन्ध में मेज पर रखे गये विवरण के अनुसार.....याचिकाएं प्राप्त हुई हैं.....(विधेयकों की दशा में) .....जिसका उपबन्ध करने वाला.....विधेयक.....20.....को सदन में श्री.....द्वारा पुरःस्थापित किया गया था।

**विवरण**

.....(विधेयकों की दशा में)  
.....का उपबन्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में,  
जो.....20.....को सदन में पुरःस्थापित किया गया था, याचिकाएं

| हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या | जिला या नगर |
|----------------------------|-------------|
|                            |             |

प्रमुख सचिव

### THIRD SCHEDULE

#### Form of Communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member

(See rules 164 and 165 )

Place.....

Date.....

To,

The Speaker,  
Rajasthan Legislative Assembly,  
Jaipur

Dear Mr. Speaker,

#### A

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under section..... of the ..... (Act), to direct that Shri .....Member of the Rajasthan Legislative Assembly, be arrested/detained for.....(reasons for the arrest or detention, as the case may be).

Shri..... M. L . A. was accordingly arrested/taken into custody at ..... (time) on ..... (date) and is at present lodged in the ..... Jail,..... ( place).

#### B

I have the honour to inform you that Shri .....Member of the Rajasthan Legislative Assembly, was tried at the..... Court before me on a charge (or charges) of..... (reasons for the conviction).

On.....(date) after a trial lasting for .....days I found him guilty of ..... and sentenced him to imprisonment for ..... (period).

(His application for leave to appeal to\*..... is pending consideration).

\*Name of the Court.

### तृतीय अनुसूची

किसी सदस्य के, यथास्थिति, बन्दीकरण निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे  
में सूचना का प्रपत्र  
(देखिये नियम 164 व 165)

स्थान.....

दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

(क)

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि.....(अधिनियम) की धारा.....के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री.....को.....(यथास्थिति बन्दीकरण या निरोध के कारण) के लिये बन्दी/निरुद्ध कर लिया जाये।

तदनुसार श्री.....विधान सभा के सदस्य को.....(तिथि को).....(समय) बन्दी कर लिया गया है- हवालात में रख दिया गया है और उसे इस समय.....जेल ....(स्थान) में रखा गया है।

(ख)

मुझे आपको सूचना देनी है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री.....पर.....(दोषसिद्धि के कारण) के दोषारोप (या दोषारोपों के लिये).....न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया।

.....दिन तक मुकदमा चलने के बाद.....(तिथि) को मैंने उसे.....का अपराधी पाया और उसे.....(कालावधि) के कारावास का दण्डादेश दिया।

(.....\* की अपील करने की अनुमति के लिये उसका प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लम्बित है।

\*न्यायालय का नाम

**C**

I have the honour to inform you that Shri .....  
Member of the Rajasthan Legislative Assembly, who was convicted  
on.....(date) and imprisoned for.....(period).....  
.....(reasons for conviction) was released on bail pending  
appeal or released on the sentence being set aside on appeal, as the  
case may be, on the.....(date).

Yours faithfully,

(Judge, Magistrate or Executive Authority)

(ग)

मुझे आपको सूचना देनी है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री.....को जिसे.....(तिथि) को सिद्धदोष ठहराया गया था और.....के लिये (दोषसिद्धि के कारण) .....(कालावधि) का कारावास दिया गया था.....(तिथि) को अपील लम्बित होने तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था (या, यथास्थिति, अपील पर दण्डादेश रद्द होने पर रिहा कर दिया गया)।

भवन्निष्ठ,

(न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी)।

## **FOURTH SCHEDULE**

### **Division of Department among Estimates Committee 'A' and Estimates Committee 'B'**

(See rule 231)

#### **Estimates Committee 'A'**

Estimates pertaining to all departments under the control of the following Administrative Departments of the State Government:-

1. Industries Department
2. Mines Department
3. Public Works Department
4. Elementary Education Department
5. Secondary Education Department
6. Higher Education Department
7. Sanskrit Education Department
8. Technical Education Department
9. General Administration Department
10. Commercial Taxes Department
11. Registration and Stamp Department
12. Excise Department
13. Treasury and Accounts Administration Department Provident Fund Department
14. State Insurance and
15. Pension Department
16. Council of Ministers Department
17. Forest and Environment Department
18. Local Self Government Department
19. Energy Department
20. Arts and Culture Department
21. Youth Affairs and Sports Department'
22. Sainik Welfare Department
23. Minorities Affairs Department
24. Devasthan Department
25. Panchayati Raj Department
26. Rural Development Department
27. Petroleum Department
28. Tourism Department
29. Information Technology and Communications Department
30. Science and Technology Department

**चतुर्थ अनुसूची**  
**प्राक्कलन समिति 'क' व प्राक्कलन समिति 'ख' में**  
**विभागों का विभाजन**  
(देखिये नियम 231)

**प्राक्कलन समिति 'क'**

राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों के नियंत्रणाधीन समस्त विभागों से सम्बन्धित प्राक्कलन :-

1. उद्योग विभाग
2. खान विभाग
3. लोक निर्माण विभाग
4. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
5. माध्यमिक शिक्षा विभाग
6. उच्च शिक्षा विभाग
7. संस्कृत शिक्षा विभाग
8. तकनीकी शिक्षा विभाग
9. सामान्य प्रशासन विभाग
10. वाणिज्यिक कर विभाग
11. पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग
12. आबकारी विभाग
13. खजाना और लेखा प्रशासन विभाग
14. राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग
15. पेंशन विभाग
16. मंत्रिमण्डल विभाग
17. वन एवं पर्यावरण विभाग
18. स्थानीय निकाय विभाग
19. ऊर्जा विभाग
20. कला, साहित्य विभाग
21. युवा मामले एवं खेल विभाग
22. सैनिक कल्याण विभाग
23. अल्पसंख्यक मामलात विभाग
24. देवस्थान विभाग
25. पंचायतीराज विभाग
26. ग्रामीण विकास विभाग
27. पेट्रोलियम विभाग
28. पर्यटन विभाग
29. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
30. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

**Estimates Committee 'B'**

Estimates pertaining to all Departments under the control of the following Administrative Departments of the Government :-

1. Revenue Department
2. Cooperative Department
3. Agriculture Department
4. Horticulture Department
5. Gopalan Department
6. Animal Husbandry and Fisheries Department
7. Water Resources and IGNP Department
8. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
9. Election Department
10. Planning Department, Economic and Statistics Department
11. Medical and Health Department
12. Medical Education Department
13. Ayurved, Homoeopathy & Unani Medical Department
14. Labour and Employment Department
15. Home Department, Police Department, Anti Corruption
16. Jail Department
17. Disaster Management and Relief Department
18. Public Health Engineering Department
19. Department of Law and Legal Affairs
20. Tribal Areas Development Department -All Department
21. Social Justice and Empowerment Department
22. Women and Child Development Department
23. Command Area Development Department
24. Transport Department
25. Urban Development and Housing Department
26. Information and Public Relations Department
27. Special Component Plan Department for Scheduled Castes -All Department

**प्राक्कलन समिति 'ख'**

राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों के नियंत्रणाधीन समस्त विभागों से सम्बन्धित प्राक्कलन :-

1. राजस्व विभाग
2. सहकारिता विभाग
3. कृषि विभाग
4. बागवानी विभाग
5. गोपालन विभाग
6. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग
7. जल संसाधन एवं आईजीएनपी विभाग
8. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
9. निर्वाचन विभाग
10. योजना विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
11. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
12. चिकित्सा शिक्षा विभाग
13. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग
14. श्रम एवं रोजगार विभाग
15. गृह विभाग, पुलिस विभाग, भ्रष्टाचार निवारण
16. जेल (कारागार) विभाग
17. आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग
18. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
19. कानून और कानूनी मामले विभाग
20. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग-समस्त विभाग
21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
22. महिला एवं बाल विकास विभाग
23. कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग
24. परिवहन विभाग
25. नगर विकास एवं आवास विभाग
26. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
27. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना विभाग-सभी विभाग

**FIFTH SCHEDULE**

**List of the Public Undertakings**

(See rule 233. A )

1. Ganganagar Sugar Mills
2. Palana Colliery
3. Rajasthan State Road Transport Corporation
4. Rajasthan Rajya Vidhut Utpadan Nigam Ltd.
5. Rajasthan State Transmition Corporation Ltd.
6. Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd.
7. Ajmer Vidhut Vitran Nigam Ltd.
8. Jodhpur Vidhut Vitran Nigam Ltd.
9. Rajasthan Small Scale Industries Corporation.
10. Rajasthan Hotel Corporation.
11. Rajasthan Financial Corporation
12. Rajasthan State Warehousing Corporation
13. Rajasthan State Agro-Industries Corporation
14. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation.
15. Woollen Mills, Bikaner.
16. Sodium Sulphate Works, Didwana
17. Rajasthan Housing Board
18. Rajasthan State Dairy Development Corporation
19. Rajasthan State Tanneries Ltd.
20. Rajasthan State Text-Book Board
21. Rajasthan State Mines and Minerals Ltd.
22. Rajasthan Tourism Development Corporation Ltd.

**पंचम अनुसूची**  
**राजकीय उपक्रमों की सूची**  
(देखिये नियम 233. का)

1. गंगानगर शूगर मिल्स
2. पलाना कोयला खान
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
4. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
5. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
6. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
8. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
9. राजस्थान लघु उद्योग निगम
10. राजस्थान होटल निगम
11. राजस्थान वित निगम
12. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
13. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम
14. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम
15. वूलन मिल्स, बीकानेर
16. सोडियम सल्फेट वर्क्स, डीडवाना
17. राजस्थान आवासन बोर्ड
18. राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम
19. राजस्थान स्टेट टैन्रीज लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल
21. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
22. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

23. Rajasthan State Road Development and Construction Corporation Ltd.
24. Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.
25. Rajasthan State Handloom Development Corporation
26. Rajasthan State Land Development Corporation
27. Rajasthan Khadi and Gramodhyog Mandal.
28. Rajasthan Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
29. Rajasthan Tribal Area Development Co-operative Federation Ltd.
30. Rajasthan State Co-operative Sheep & Wool Marketing Federation Ltd.
31. Rajasthan Rajya Sahkari Upbhokta Sangh Ltd.
32. Rajasthan State Co-operative Marketing Federation Ltd.
33. Rajasthan State Co-operative Housing Federation Ltd.
34. Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd., Keshoraipatan
35. Rajasthan State Co-operative Spinning and Gining Mills Federation Ltd.
36. Sriganganagar Co-operative Oil Seed Processing Mills Ltd., Gajsinghpur
37. Rajasthan Rajya Sahkari Tilhan Utpadak Sangh (Tilam Sangh)
38. Rajasthan Water Development Corporation Ltd.
39. Rajasthan Renewable Energy Corporation Ltd.

23. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
24. राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
25. राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
26. राजस्थान भूमि विकास निगम
27. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल
28. राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
29. राजस्थान ट्राइबल एरिया डवलपमेंट को-आपरेटिव फ़ैडरेशन लिमिटेड
30. राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव शीप एण्ड वूल मार्केटिंग फ़ैडरेशन लिमिटेड
31. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड
32. राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फ़ैडरेशन लिमिटेड
33. राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फ़ैडरेशन लिमिटेड
34. श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लिमिटेड, केशोरायपाटन
35. राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एण्ड जिनिंग मिल्स फ़ैडरेशन लिमिटेड
36. श्रीगंगानगर को-आपरेटिव ऑयल सीड प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड, गजसिंहपुर
37. राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ (तिलम संघ)
38. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड
39. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

# અનુક્રમણિકા